ISBN : 978-81-954790-6-1

वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं महिला सशक्तिकरण

GLOBAL ECONOMY AND WOMEN EMPOWERMENT

Edited by
Dr. Aarti Chopra & Dr. Lovenita Sankhla

वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं महिला सशक्तिकरण

Chopra & Sankhla

वैश्विक अर्थव्यवस्था
एवं
महिला सशक्तिकरण

(GLOBAL ECONOMY AND WOMEN EMPOWERMENT)

Edited by:

Dr. Aarti Chopra
Principal
Bhavan's College of Communication and Management
Jaipur, Rajasthan

Dr. Lovenita Sankhla
Guest Faculty
Department of Business Finance & Economics
Faculty of Commerce and Management Studies
Jai Narain Vyas University, Jodhpur, Rajasthan

S SHARDA GLOBAL RESEARCH PUBLICATIONS
Reg. No. - SCA/2020/14/137251
JAIPUR • DELHI

Published by:
S Sharda Global Research Publications
Shop No. G-11, Ground Floor,
Airport Plaza, Durgapura, Tonk Road
Jaipur - 302018 Rajasthan, India

© Publisher

ISBN: 978-81-954790-6-1

संस्करण: 2022

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without the prior permission in writing from the Publisher. Breach of this condition is liable for legal action. All disputes are subject to Jaipur Jurisdiction only.

Price: Rs. 460/-

Laser Type Setting by
S Sharda Global Research Publications
Jaipur - 302018 Rajasthan

Printed at
Shilpi Computer and Printers, Jaipur

विषय–सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
1	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता एवं शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन ***अवनीश कुमार सिंह एवं डॉ. निर्मला राठौर***	*01-04*
2	आकड़ों की वर्तमान तथा भविष्य में महत्वपूर्णता एवं उपयोगिता पर एक अध्ययन ***डॉ. लारेन्स कुमार बौद्ध***	*05-08*
3	माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति पर वैज्ञानिक सृजनात्मकता की प्रभावशीलता : एक अध्ययन ***डॉ. राजेश्वर प्रसाद***	*09-16*
4	क्रिप्टो करेन्सीः भारतीय विनिमय के परिवेश में क्रिप्टो करेन्सी का भविष्य ***डॉ. विजयलक्ष्मी पारीक***	*17-24*
5	वर्तमान वैश्विक शासन प्रबंधन में कौटिल्य के प्रबंधन सिद्धान्तों की प्रासंगिकता ***कंचन चारण***	*25-29*
6	पूँजीवादी पितृसत्ता, घरेलू दासता और पुनरूत्पादन के बीच मार्क्सवादी नारीवाद ***डॉ. सव्य सांची***	*30-38*
7	भारतीय महिलाएं एवं आर्थिक उदारीकरण ***शालिनी मिश्रा***	*39-50*
8	व्यावसायिक व पारम्परिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की आक्रामकता, अध्ययन आदत, एवं शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन ***विपिन कुमार वशिष्ठ एवं डॉ. निर्मला राठौर***	*51-54*
9	कुपोषण के स्तर में कमी लाने में महिला एवं बाल विकास विभाग की योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन (गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के विशेष संदर्भ में) ***श्रीमती देहूती बंछोर एवं डॉ. आर. पी. अग्रवाल***	*55-63*
10	संचार प्रौद्योगिकी व महिला सशक्तिकरण ***डॉ. सुलक्ष्मी तोषनीवाल***	*64-68*
11	भारत में महिला सशक्तिकरण एवं राष्ट्र निर्माण ***मधुरानी***	*69-75*
12	भारतीय सामाजिक–सांस्कृतिक पुनर्जागरण ***डॉ. महेन्द्र सिंह राजपुरोहित***	*76-81*

♦❐♦

वैश्विक अर्थव्यवस्था
एवं
महिला सशक्तिकरण
(GLOBAL ECONOMY AND WOMEN EMPOWERMENT)

1

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता एवं शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन

अवनीश कुमार सिंह*
डॉ. निर्मला राठौर**

प्रस्तावना

मानव जीवन में शिक्षा की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षा वह प्रकास है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यत्मिक शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा व्यक्ति के विकास एवं ज्ञानार्जन का आधार मानी जाती है। जन्म के समय मानव शिशु असहाय तथा असामाजिक होता है। जन्म के बाद पूर्ण रूप से वह माता पर निर्भर होता है, और फिर परिवार पर। शिक्षा के बिना बालक न तो सामाजिक बनता है और न व्यवहारिक ही। जैसे–जैसे वह बड़ा होता जाता है वैसे–वैसे वह अपने वातावरण से अनुकूलन करना सीखता है। जीवन के कार्यों को करने में शिक्षा उसे विशेष योगदान देती है। शिक्षा न केवल व्यक्ति को अपने वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता देती है वरन् उसके व्यवहार में ऐसे वांछनीय परिवर्तन भी करती है कि वह अपना और अपने समाज का कल्याण करने में सफल होता है। शिक्षा के सम्बन्ध में डॉ. राधाकृष्णन ने लिखा है कि ''शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुर्वर और अपूर्ण है।''

शिक्षा एक शक्तिशाली हथियार है जिसका प्रयोग व्यक्तियों की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक निर्धनता को समाप्त कर उन्हें समृद्ध बनाने के लिए होता हैं। शिक्षा का एक उद्देश्य व्यक्ति को समाज की परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित करना है। मानव एक सामाजिक प्राणी है तथा व्यक्ति का प्रथम समाज उसका अपना घर ही होता है जहाँ व्यवहार करना सीखता है।

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के सीखने में उनके सामाजिक परिपक्वता व समायोजन स्तर का अत्यधिक महत्व है। विद्यालय वातावरण एवं पारिवारिक वातावरण बालक में सामाजिक

* शोधछात्र, लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी, अलवर, राजस्थान।
** प्रोफेसर, लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी, अलवर, राजस्थान।

परिपक्वता विकसित करने में सहायक हो सकता है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है अतः हमें शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के बालको पर भी ध्यान देना होगा। बालक को जन्म के पश्चात् लैसा सामाजिक वातावरण मिलता है बालक के व्यक्तित्व का विकास वैसा ही होता है। अपने विशिष्ठ व्यक्तित्व के आधार पर वह समाज में समायोजन स्थापित करता है, उसका समायोजन जितना अच्छा होता है वह समाज में उतना ही अधिक सामाजिक रूप से परिपक्व एवं सफल माना जाता है।

सामाजिक परिपक्वता

बालक का शारीरिक विकास और मानसिक विकास की स्वाभाविक और पूर्ण अवस्था परिपक्वता है। परिपक्वता एक स्वाभाविक क्रिया है जिसके लिए बाह्य उत्तेजनाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अधिगम में बाह्य उत्तेजनाओं की आवश्यकता होती है और प्रयत्न भी करने पड़ते हैं।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किन्तु हमें यह अर्थ नहीं लगालेना चाहिए कि व्यक्ति जन्म से ही सामाजिक गुणों से सुशोभित होता है। वास्तविकता तो यह है कि जन्म के समय बालक न तो सामाजिक होता है और न असामाजिक बल्कि वह समाज–निर्पेक्ष होता है। वह सामाजिक प्राणी इसलिए है कि जन्म से ही उसकी आवश्यकताएँ तथा स्वभाव ऐसा होता है कि वह बिना समाज के अपना अस्तित्व बनाये नहीं रह सकता। जन्म के समय बालक इतना निस्हाय और पराश्रित होता है कि वह अपनी एक भी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता। आवश्यकता की पूर्ति के अभाव में उसके जीवन का अस्तित्व कैसे संभव हो सकता है। वह समाज ही है जो जन्म से मृत्युपर्यंत उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता है।

सामाजिक परिपक्वता से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा बालक सामाजिक परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार व्यवहार करता है तथा अन्य लोगों से सहयोग करना सीखता है जिसे बालक का सामाजिकरण भी कहा जाता है। **हरलॉक** का कहना है कि ''सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक सम्बन्धों में परिपक्वता को प्राप्त करना है।''

सामाजिक परिपक्वता का एक अन्य घटक है कि सामाजिक परिस्थितियों का भाँप कर तदनुरूप उसके प्रति प्रतिक्रिया करना। सामाजिक परिपक्वता विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है इसमें कई पक्षों का समावेश होता है। विकास के क्रम मे बालक का बौद्धिक पक्ष ही नहीं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। विकास के यह सभी पक्ष परस्पर एक दूसरे के सम्यक हैं। परिपक्वता की ओर अग्रसर और विकास करता हुआ बालक न केवल शारीरिक बौद्धिक और संवेगात्मक व्यवहार में बल्कि सामाजिक रूप से भी उन्नति करता है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप उसे सामाजिकता की थाती प्राप्त होती है। समाजिकता व्यक्ति के व्यवहार को सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वीकृती के साथ अदल–बदल कर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। जो कुछ चीजों को स्वीकृत एवं कुछ अन्य चीजों की अस्वीकृत को आगे ले जाती है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व पर सामाजिक समूह, औपचारिकता, अनौपचारिकता के प्रभाव को महत्व देता है।

समायोजन

समायोजन समायोजन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जीवित अवयव साधारण से जटिल अवस्था में निरन्तर समायोजन का प्रयास करता है। इस समायोजन का सम्बन्ध प्राणिशास्त्रीय आवश्यकताओं जैसे–भूख तथा प्यास की संतुष्टि से सम्बन्धित होता है अथवा मानवीय स्तर पर मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं जैसे– सम्बन्ध स्थापना की इच्छा, प्रेम तथा वात्सल्य प्राप्त करने की इच्छा या रचनात्मक आत्म प्रदर्शन के अवसर प्राप्त करने की इच्छा पूर्ति से होता है। समायोजित व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों तथा दशाओं को पर्यावरण में इस प्रकार समायोजित करने का प्रयत्न करते हैं जिससे क्रियाओं के प्रतिदिन के कार्यक्रम सरलता से चल सकें।

समायोजन को सामंजस्य, व्यवस्थापन या अनुकूलन भी कहते हैं। समायोजन दो शब्दों को मिलाकर बना है–सम और आयोजन। सम का अर्थ है भली–भाँति, अच्छी तरह या समान रूप से और आयोजन का अर्थ है व्यवस्था अर्थात् अच्छी तरह व्यवस्था करना। अतएव समायोजन का अर्थ हुआ सुव्यवस्था या अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया जिससे कि व्यक्ति की आवश्यकतायें पूरी हो जायें, मानसिक द्वन्द्व न उत्पन्न होने पायें। अनेक आवश्यकताएँ ही व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति की ओर प्रेरित करती हैं। जब व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति सरलता से हो जाती है तो उसे संतोष का अनुभव होता है नहीं तो, उसे निराशा एवं असंतोष की अनुभूति होती है।

- **शेफर** के अनुसार– ''समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक जीवित प्राणी अपनी आवश्यकताओं एवं की संतुष्टि को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के साथ सन्तुलन बनाये रखता है।''

व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य का जीवन सुखी एवं आनंदमय तभी हो सकता है, जब उसका व्यवहार समायोजित हो। बाह्य एवं आंतरिक वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में समर्थ व्यक्ति जीवन में सदैव सफलता प्राप्त करते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं को स्थिर, संतुलित रखने वाला व्यक्ति सुसमायोजित होता है। वह दूसरो के साथ सहानुभूति रखता है। अपनी परिस्थिति का तिरस्कार नहीं करता। उसके विचार, भाव, प्रतिक्रिया और व्यवहार एक सामान्य व्यक्ति के अनुभव होते हैं। वह केवल अपनी समस्याओं पर ही ध्यान केन्द्रित नहीं करता। उसका सामाजिक दायरा भी विस्तृत होता है।

शोध समस्या का औचित्य

प्रस्तुत शोध में विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता, समायोजन एवं शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। शिक्षा की दृटि से सामाजिक परिपक्वता एवं समायोजन शैक्षिक उपलब्धि के लए महत्वपूर्ण है। मनुष्य जन्म से कोरे कागज की तरह उत्पन्न होता है। सम्बद्ध परिवार व सामाजिक वातावरण से ही वह प्रभाव ग्रहण करता है, और आयु के साथ–साथ तदनुरूप सामाजिक परिपक्वता को विकसित करता है। आज का बालक सादा सरल व संयमी जीवन व्यतीत करने के बजाय बाहरी दिखावे में रहना ज्यादा पसन्द करता है इससे

उनकी सामाजिकता एवं समायोजन क्षमता में समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। पारिवारिक सम्बन्धों का बालक के मन–मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता है यदि माता–पिता में आपसी सामन्जस्य ठीक है तो बालक में वही संस्कार बढ़ते जायेंगे, और यदि पारिवारिक सम्बन्ध ठीक नहीं है तो बालक के सामाजिक गुणों एवं समायोजन में गिरावट आयेगी। पूर्व के शोध निष्कर्षों के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि बलक जितना सामाजिक रूप परिपक्व होगा वह अपने जीवन में उतना ही समायोजित होगा। यदि बालक सुसमायोजित है तो उसकी शैक्षिक उपलब्धि भी उच्च स्तर की होनी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भटनागर, चांद तथा राय, पारसनाथ,: (1977) "अनुसंधान परिचय", एल.एन. अग्रवाल पब्लिशर्स, आगरा।
2. पाठक, पी.डी, : (2007) "शिक्षा मनोविज्ञान", विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
3. पाठक, पी. डी. (1994) "शिक्षा मनोविज्ञान", विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
4. पाण्डेय, आर.एस., : (2007) "उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक", विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
5. राय, पारसनाथ : अनुसंधान परिचय, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल अस्पताल रोड़, आगरा।
6. शर्मा, आर. ए., :(2009) 'शिक्षा अनुसंधान', आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।
7. शर्मा, आर.ए. एवं चतुर्वेदि, शिखा (2013): ''शिक्षा मनोविज्ञान के दार्शनिक आधार" आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।
8. श्रीवास्तव डी.एस. एवं प्रीति (2014): "शिक्षा मनोविज्ञान", विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

❑❑❑

2

आकड़ों की वर्तमान तथा भविष्य में महत्वपूर्णता एवं उपयोगिता पर एक अध्ययन

डॉ. लारेन्स कुमार बौद्ध*

प्रस्तावना

आकड़े संख्याओं का एक जाल है आकड़े ऐसी संख्याओं को परिभाषित करते है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए वर्तमान एवं भविष्य में अपनी उपयोगिता को दर्शाते है आकड़े पहले एकत्रित किए जाते है यह कार्य मुख्य रूप से तो सबसे पहले अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया जाता है जो कि आकड़ों का संकलन किसी विशेष उद्देश्य के लिए करते है कुछ आकड़े स्वमेव ही एकत्रित हो जाते है। जैसे आजकल बहुत सारी सेवा प्रदायकर्ता कम्पनियॉ है जिनके पास असंख्य लोगों के आकड़े संकलित है जब उपभोक्ता इन कम्पनियों से कोई सेवा लेना चाहता है तो वह सबसे पहले उनका सदस्य या ग्राहक बनता है और वह यूजर आई.डी. एवं लोगिन के माध्यम से अपना सामान्य एवं निजी डाटा सेवा प्रदायकर्त्ता कम्पनियों को उनकी आवश्यकतानुसार उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में भरता है और इस तरह से कम्पनियों के पास बड़ी मात्रा में डाटा संकलित हो जाता है और संबंधित व्यक्ति कम्पनी द्वारा प्रदाय की गई सेवाओं का लाभ उठाता है इस प्रकार एक–एक से मिलकर असंख्य संख्याए तैयार हो जाती है और वह आकड़ों का रूप ले लेती है जिनका बाद में विश्लेषण किया जाता है उसके पश्चात इन्हें आकड़ों या छवि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य

- जब सरकार के पास आकड़े होते है तो उन्हें कल्याणकारी योजनाओं के सृजन में सहायता मिलती है और सरकार राज्य एवं क्षेत्रों की परिस्थिति अनुसार योजनाओं का संचालन करते है और समय–समय पर उनकी समीक्षा होती रहती है। जिस उद्देश्य

* सहायक प्राध्यापक–वाणिज्य, शासकीय महाविधालय, चीनौर, मध्यप्रदेश।

के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है उनमें कितनी सफलता मिली है और उनके क्रियान्वयन में क्या बदलाव की आश्यकता है यदि बदलाव की आवश्यकता है तो वह राज्यों के किन जिलों में है उनकों चिन्हित किया जाता है फिर उनके अनुरूप योजनाओं में बदलाव कर उनकों पुनः कल्याण कार्य करने के लिए लागू किया जाता है आकड़े उपलब्ध होने पर बजट का भी सही अनुमान लगाया जा सकता है कोई भी प्रोत्साहन योजना यदि किसी राज्य में क्रियान्वित करना है उसके लिए कितने धन की आवश्यकता होगी उसके लिए बजट में प्रावधान करने में सफलता मिलती है जब सरकार के पास आकड़े उपलब्ध होते है।

- वर्तमान समय में व्यक्ति प्रतिदिन आकड़ों का सृजन कर रहे है एक–दूसरे से बात करने, सूचनाए प्राप्त करने, वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय करने, विलों का भुगतान करने, वित्तीय बाजारों में लेनदेन एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपनी ईच्छानुसार इन आकड़ों को सरकारी एवं निजी सर्वरों पर डाल रहे है कुछ दशक पूर्व इन आकड़ों का संधारण करने के लिए व्यक्गित सर्वेक्षण करवाना पड़ता था आज वह स्वंमेव ही शून्य लागत पर संचित हो रहे है जो कि सरकार एवं अन्य उपयोगकत्ताओं के लिए बड़े हर्ष का विषय है क्योंकि इनकों यह आकड़े सहजता से एवं कम लागत पर प्राप्त हो रहे है वर्तमान समय में तकनीकी बिकास के नित्य नए अनुसंधान से ऐसे डिजिटल उपकरण बाजार में उपलब्ध है जिनमें असंख्य पृष्ठों के आकड़े एक मुठ्ठी भर की डिबाइज में समा जाते है इससे इनके रखरखाव पर भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है एवं इनको सहजता से कभी भी आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकता है जो कि बहुत ही औचित्यपूर्ण है।
- आकड़ों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम को संचालन करने में सहायता मिलती है जब सरकार या अन्य संस्थाओं के पास आकड़े होते है तों उनसे यह ज्ञात हो जाता है कि लोगों के कल्याण के लिए जिन योजनाओं एवं अभियानों का क्रियान्वयन हो रहा है किस क्षेत्र में कितने लोग लाभान्वित हुए है जिन क्षेत्रों में कम लोग लाभांवित हुए है उन क्षेत्रों में या तों योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो रहा या फिर वहॉ पर लोगों में जागरूकता का अभाव है जैसे कि वर्तमान समय में कोविड टीकाकरण का कार्य चल रहा है सरकार के पास प्रत्येक परिवार का डाटा है किस व्यक्ति को वैक्सीन लगी या नहीं लगी यह कार्य मतदाता सूची के आधार पर किया जा रहा है क्योंकि मतदातासूची में 18 वर्ष से ऊपर के सभी युवक–युवतियों के नाम होते है जो पूर्व से संकलित डाटा है और कोविड टीकाकरण अभियान की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन प्रमुखतः द्वितीयक समंको पर आधारित है इसमें मुख्य रूप से समाचार पत्र,पत्रिकाओं एवं इन्टरनेट बेबसाइड का सहारा लिया गया है।

उपकल्पना

- किसी भी योजना के क्रियान्वयन में आकड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।
- डिजिटलीकरण के युग में आकड़े एकत्रित करना आसान हो गया है।

भारत में डाटा संग्रहण की स्थिति

हमारे देश में डाटा संग्रहण की व्यवस्था अत्यधिक विकेंद्रित स्थिति में है। सामाजिक कल्याण से सम्बन्धित आकड़े एकत्रित करने की जिम्मेदारी संबंधित संघीय मंत्रालय और राज्य समकक्षों की है एक मंत्रालय द्वारा एकत्रित किए गए आकड़ो को दूसरे मंत्रालय द्वारा एकत्रित किए गए आकड़ों से पृथक रखा जाता है। चाहे वे वाहन पंजीकरण से संबंन्धित हो या शिक्षा एवं स्वामित्व संबंधी अभिलेख एवं अन्य। इस तरह से प्रत्येक मंत्रालय के पास व्यक्तियों /फर्मो के आकड़ों का एक छोटा सा पृथक अंश ही होता है इन छोटे–छोटे पृथक अंशों को एक साथ मिलाने के प्रयास की ओर हम अग्रसर हो रहे है जैसे कि आधार कार्ड को पैन डाटाबेश, बैकखातों, मोबाइल न.आदि से जोड़ने का कार्य चल रहा है इस तरह से प्रत्येक नागरिक की व्यापक सर्वागीण सूचना सरकार के पास संकलित हो जायगी जो सरकार को सशक्त बनाने का काम करेगी और यह सरकार को कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा वितरण में सहायता करेगी जब डाटा डिजिटल तरीके के इकठ्ठा होता है इसे उपयुक्त समय में संग्रहीत किया जाना चाहिए और मौजूद डाटा के साथ समेकित किया जाए तो इस प्रकार से डाटा की भरमार हो जायगी इस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध डाटा से शासन को बदलने में पर्याप्त क्षमता है लेकिन इस क्षमता को हासिल करने के लिए पर्याप्त कौशल की आवश्यकता है तभी इस डाटा का उपयोग सभी प्रशानिक स्तरों पर हो पाना सम्भव है वास्तविक समय में डाटा का उपयोग करने के लिए विश्लेषण करने के साथ–साथ डाटा को एक अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करने के लिए अपनी आंतरिक क्षमताओं का निर्माण करना चाहिए। डाटा का संधारण करने के लिए प्रत्येक सरकारी विभाग में एक इन्साइड प्रभाग की व्यवस्था होनी चाहिए वह डाटा संग्रहण,संरक्षण के साथ–साथ डाटा की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए सरकार एवं अन्य संस्थाओं के लिए चुनौती उस समय उत्पन्न हो जाती है जहॉ लोग अपना डाटा प्रकट नहीं करना चाहते है और वह हमेशा उस विकल्प का चयन कर, सर्वेक्षण में भाग न लेकर और लोग इसके लिए स्वतन्त्र भी है लेकिन इसके अपवादस्वरूप यदि बिना लाइसेंस एवं बिना रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के वाहन नहीं खरीद सकते है यदि इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाए तो सम्पत्ति के अधिकार के कार्यानवयन, सड़क सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है जिसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आकड़े सरकार एवं नागरिकों के लिए वर्तमान से लेकर भविष्य में भी अपनी महत्वपूर्णता को प्रकट कर रहे है वर्तमान में सामाजिक स्तर पर आकड़ो का प्रयोग पहले की तुलना में अधिक हो रहा है और निजी क्षेत्र द्वारा इन आकड़ों का

पूरा लाभ लिया जा रहा है। अपनी व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों के संचालन में और सरकार के पास नागरिकों के बारे में प्रशासनिक सर्वेक्षण, संस्थागत और संव्यहार संबंधी आकड़े उपलब्ध है इसलिए सरकार को सभी प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी होती है अतः अघ्ययन की प्रथम उपकल्पना स्वंयसिद्ध होती है वर्तमान डिजिटलीकरण के युग में नई–नई तकनीकी के आने एवं अनुसंधान के माध्यम से ऐसे डिबाइस तैयार किए गए है जिनमें असंख्य मात्रा में आकड़ों को रखा जा सकता है अतः अघ्ययन की द्वितीय उपकल्पना स्वंयसिद्ध होती है

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. रिसर्च मेथोडोलोजी–डॉ. सी.एम. चौधरी (2005) आ.बी.एस.ए. पब्लिकेशन्स जयपुर।
2. द् हिन्दू, इण्डियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर।
3. इन्टरनेट, वेबसाइड।

❑❑❑

3

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति पर वैज्ञानिक सृजनात्मकता की प्रभावशीलता : एक अध्ययन

डॉ. राजेश्वर प्रसाद*

प्रस्तावना

वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान दर्शन, विज्ञान का सामाजिक ज्ञान, ज्ञान–मीमांसा आदि से संप्रत्ययों का चयन करना आवश्यक है। वैज्ञानिक अभिवृत्ति को चिन्तन की पद्धति माना गया है, जैसे मुक्त चिन्तन, दूसरों के विचारों के प्रति सहनशीलता, बौद्धिक सत्यवादिता आदि। वैज्ञानिक अभिवृत्ति व्यक्ति की विशेषताओं व विचारों से संबंधित है। वैज्ञानिक अभिवृत्ति के सम्प्रत्यय के अन्तर्गत निम्नलिखित विशेषताएं आती है– कारण और प्रभाव सम्बद्धता में विश्वास, उदार मनोवृत्ति, अन्धविश्वासों से मुक्ति, निर्णय निरस्त करना, पूर्वाग्रह से मुक्ति तथा बौद्धिक उत्सुकता। इन विशेषताओं के आधार पर मनोवैज्ञानिकों के मस्तिष्क में कुछ अनुत्तरित प्रश्न वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकसित करने के संदर्भ में उत्पन्न हुए, जैसे ऐसी अभिवृत्तियां कैसे उत्पन्न होती है? इन्हें किस प्रकार अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है? कौन से व्यवहारात्मक गुण ऐसे अभिवृत्ति से सम्बन्धित है? इस प्रकार की अभिवृत्ति के विकास के लिए एक अध्यापक को किस प्रकार सहमत किया जा सकता है? क्योंकि अध्यापक को सकारात्मक बनाने के पश्चात् ही विद्यार्थी में वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकसित की जा सकती है।

वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकसित करने का दायित्व विज्ञान के अध्यापक पर है। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति की कई विशेषताओं को उत्पन्न करने के लिए वह विभिन्न संस्थितियों का प्रयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विभिन्न तत्वों को अपने व्यक्तित्व में समाहित करके और उनके व्यावहारिक प्रयोग द्वारा अपना व्यक्तिगत उदाहरण पेश कर सकता है। ऐसे अध्यापक के अनुसरण से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर स्थाई प्रभाव पड़ेगा।

* व्याख्याता–शिक्षा, सेठ आरएल सहरिया राजकीय पीजी महाविद्यालय कालाडेरा, जयपुर, राजस्थान।

वर्तमान समय में सभी शिक्षा शास्त्री इस बात पर एक मत हैं कि हम सभी कुछ रचनात्मक क्षमता के साथ पैदा हुए है, यदि उचित वातावरण प्रदान किया जाए तो इस क्षमता को निखारा जा सकता है। सृजनशील मस्तिष्क को सहायक व उत्साहवर्द्धक कारक चाहिए ताकि प्रतिभा में निखार आ सके। ये तत्व विज्ञान शिक्षण और विद्यालय के वातावरण में आजकल अनुपस्थित है। इसी कारण वैज्ञानिक सृजनशीलता का विकास नहीं हो पा रहा है, चूंकि सृजनशक्ति का निखार निर्वात में नहीं हो सकता, इसलिए अध्यापकों को आगे आना होगा, वैज्ञानिक परिस्थितियां, वातावरण सृजन करना होगा। इस प्रकार जब तक सृजनात्मक क्षमता को शिक्षा की शक्ति द्वारा विकसित न किया जाये, तब तक व्यक्ति अपनी शानदार योग्यता नहीं दिखा सकते। वैज्ञानिक सृजनात्मकता का सम्बन्ध विचार प्रवाह, लोचशीलता, मौलिकता, विस्तरण योग्यता आदि से है। इसका शिक्षा के क्षेत्र में उतना ही महत्व है, जितना बुद्धि का। गेट जेल, जैक्सन, टोरेन्स की खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सृजनात्मक विचार योग्यता, ज्ञान प्राप्ति में तथा विविध शिक्षण कौशलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्रवाहशीलता से तात्पर्य उस तीव्रता, सरलता व आसानी से है, जिससे विचार हमारे मस्तिष्क में आते है। यह एक लगातार व मुक्त प्रवाह का गुण है। लोचशीलता से तात्पर्य ऐसे विचार क्षमता से जिसे अनुरूप ढ़ाला जा सके, व्यक्ति के विचार में विविधता आती है। मौलिकता का तात्पर्य किसी व्यक्ति या वस्तु से सीधा पैदा होना या आना है। स्वतंत्र रूप से, बिना किसी निर्भरता के अपने मूल रूप में प्रत्यक्षतः लीक से हटकर पृथक नवीन एवं नये विचार आदि मौलिकता के लक्षण है।

अध्ययनकर्ता को वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विशेषताओं को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वैज्ञानिक सृजनात्मकता के ये अवयव प्रभावशीलता, लोचशीलता व मौलिकता वैज्ञानिक रूप से प्रभावशाली हो सकते हैं, यदि ये प्रभावशीलता होंगे, तो आवश्यक रूप से वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास में अपना योगदान देंगे। इसलिए अध्ययनकर्त्ता ''माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति पर वैज्ञानिक सृजनात्मकता की प्रभावशीलता'' का अध्ययन चुना है।

अध्ययन का औचित्य व सार्थकता

आज शिक्षा का उद्देश्य समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति तथा व्यवसाय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करना है। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास हेतु उनमें सृजनात्मक तत्वों का होना भी अतिआवश्यक है। क्योंकि सृजनशील विद्यार्थियों के ज्ञान का विस्तार असीमित होता है, उनकी यह इच्छा बराबर बनी रहती है कि आज विश्व में क्या गतिविधियाँ चल रही है? अनुसंधान के क्षेत्र में नवीन उपलब्धियाँ क्या है? इसी के परिणाम स्वरूप वे नई–नई चीजों का सृजन करते हैं। सृजनशील विद्यार्थियों के विचारों में प्रवाहत्मकता, विविधता, विस्तार करने की क्षमता एवं मौलिकता के गुण पाए जाते हैं। जिसके आधार पर वे सबसे अलग अभिवृत्ति का प्रस्तुतीकरण करते हैं। सृजनशील विद्यार्थियों में किसी भी जटिल से जटिल सम्प्रत्ययों को ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। वे सत्यान्वेषण पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हैं जो उनके वैज्ञानिक अभिवृत्ति के परिचायक होता है। अध्ययनकर्त्ता ने वैज्ञानिक अभिवृत्ति व वैज्ञानिक सृजनात्मकता से सम्बन्धित पूर्व में हुए अनुसंधान व अध्ययन का अवलोकन किया। तुली, एम.आर.

(1979) ने गणित के प्रति अभिवृत्ति और गणित में उपलब्धियों से सम्बन्धित अभिक्षमता का गणितीय सृजनात्मकता के साथ सम्बन्ध का अध्ययन किया, जिसमें गणित के लिए अभिक्षमता तथा गणित के प्रति अभिवृत्ति का गणितीय सृजनात्मकता के विकास में कोई योगदान नहीं पाया। सक्सैना, वी. (1983) ने उच्च माध्यमिक स्तर की छात्राओं के नैराश्य की स्थिति का शैक्षिक अभिरूचि व सृजनात्मक तत्वों के साथ सम्बन्ध शीर्षक पर अध्ययन किया। श्रीवास्तव, वीना (1992) ने उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिक्षमता और विज्ञान के प्रति अभिवृत्ति का सृजनात्मकता के साथ सम्बन्ध का अध्ययन शीर्षक पर अध्ययन किया। उपर्युक्त अनेक अवलोकन के पश्चात् अध्ययनकर्त्ता ने यह पाया कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति पर वैज्ञानिक सृजनात्मकता की प्रभावशीलता का अध्ययन नहीं पाया गया। इसलिए अध्ययनकर्त्ता ने ''माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति पर वैज्ञानिक सृजनात्मकता की प्रभावशीलता'' का अध्ययन चुना है।

अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है–

- माध्यमिक स्तर के छात्रों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति पर वैज्ञानिक सृजनात्मकता के प्रभावशीलता का अध्ययन करना।
- माध्यमिक स्तर के छात्राओं की वैज्ञानिक अभिवृत्ति पर वैज्ञानिक सृजनात्मकता के प्रभावशीलता का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएं

- माध्यमिक स्तर के निम्न, मध्य एवं उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों के वैज्ञानिक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं होता।
- माध्यमिक स्तर के निम्न, मध्य एवं उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्राओं के वैज्ञानिक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं होता।

परिसीमन

प्रस्तुत अध्ययन में माध्यमिक स्तर के केवल दसवीं कक्षा के 600 छात्र व 400 छात्राओं, कुल 1000 विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है। इसमें केवल बीकानेर संभाग के 5 जिलों बीकानेर, चूरू, झुन्झुनू, हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर के 25 विद्यालयों का चयन करके प्रत्येक बालक विद्यालय से 40 छात्र व प्रत्येक बालिका से 40 छात्रा का चयन किया गया है।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श तकनीक एवं न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन हेतु सामान्य यादृच्छिक न्यादर्श तकनीक का प्रयोग किया गया है। इस हेतु राजस्थान राज्य के बीकानेर संभाग के चूरू, झुन्झुनू, बीकानेर, हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में संचालित विद्यालयों से कक्षा दसवीं के 600 छात्रों व 400 छात्राओं कुल 1000 विद्यार्थियों का चयन सामान्य यादृच्छिक न्यादर्श तकनीक द्वारा दत्त संकलन किया गया।

शोध उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु दो मानकीकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग किया गया है–

- विज्ञान अभिवृत्ति मापनी– डॉ. ए. ग्रेवाल।
- शाब्दिक वैज्ञानिक, सृजनात्मकता परीक्षण– डॉ. वी.पी. शर्मा एवं डॉ. जे.पी. शुक्ल।

सांख्यिकी प्रविधियाँ

वर्णनात्मक सांख्यिकी, अनुमानात्मक सांख्यिकी।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

परिकल्पना

माध्यमिक स्तर के निम्न, मध्य एवं उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों के वैज्ञानिक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं होता।

छात्रों के वैज्ञानिक अभिवृत्ति पर वैज्ञानिक सृजनात्मकता का प्रभाव

छात्रों के वैज्ञानिक अभिवृत्ति पर वैज्ञानिक सृजनात्मकता का प्रभाव देखने के लिए प्रसरण विश्लेषण का प्रयोग किया गया। इसके लिए सबसे पहले वैज्ञानिक सृजनात्मकता के प्राप्तांकों को तीन भागों (निम्न, मध्य एवं उच्च) में विभक्त किया गया। इसके लिए मध्य समूह के अन्तर्गत (मध्यमान) मानक विचलन) के प्राप्तांकों को रखा गया। इस अन्तराल के नीचे के प्राप्तांक को निम्न एवं उपर वाले प्राप्तांकों को उच्च समूह में रखा गया।

तालिका 1: निम्न, मध्य एवं उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों के वैज्ञानिक अभिवृत्ति का मध्यमान एवं मानक विचलन

वैज्ञानिक सृजनशीलता समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन
निम्न	195	48.359	9.430
मध्य	195	50.379	9.478
उच्च	210	51.257	8.498

निम्न, मध्य एवं उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों के वैज्ञानिक अभिवृत्ति में अंतर देखने के लिए प्रसरण विश्लेषण किया गया, जिसकी तालिका निम्नलिखित है–

तालिका 2: निम्न, मध्य एवं उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों के वैज्ञानिक अभिवृत्ति के मध्यमानों के बीच सार्थक अन्तर के लिए एफ–परीक्षण का परिणाम

विचरण का स्रोत	स्वतंत्रता के चर	वर्गो का योग	वर्गों के योग का माध्य	एफ
समूहों के बीच	2	884.556	442.278	5.322**
समूहों के भीतर	597	49608.904	83.097	
योग	599	50493.46		

इस तालिका से स्पष्ट है कि एफ(F) का मान 5.322 है, जो 597 स्वतंत्रता अंश के 0.01 स्तर पर सार्थक होने वाले मान (4.65) से अधिक है। इसका अर्थ है कि निम्न, मध्य एवं उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों के वैज्ञानिक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है।

अतः शून्य परिकल्पना कि निम्न, मध्य एवं उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों के वैज्ञानिक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं होता। 0.01 स्तर पर अस्वीकृत किया जाता है।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि निम्न, मध्य एवं उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों के वैज्ञानिक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है, किंतु इससे यह नहीं पता चलता कि किन–किन समूहों के भीतर अंतर है और किन–किन समूहों के बीच नहीं। अतः समूहों के बीच सार्थक अन्तर ज्ञात करने के लिए टी–परीक्षण किया गया। टी–परीक्षण की तालिका निम्नलिखित है–

तालिका 3: विभिन्न वैज्ञानिक सृजनात्मकता समूहों के छात्रों के बीच वैज्ञानिक अभिवृत्ति के बीच अन्तर के लिए टी–परीक्षण का परिणाम

वैज्ञानिक सृजनशीलता समूह	निम्न	मध्य	उच्च
निम्न	0	2.105*	3.245**
मध्य		0	0.980
उच्च			0

* P<0.05

** P<0.01

टी–मान से स्पष्ट है कि उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों और निम्न वैज्ञानिक सृजनात्मकता समूह वाले छात्रों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति के बीच 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर है। मध्य तथा निम्न वैज्ञानिक सृजनात्मकता समूह वाले छात्रों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति के बीच भी 0. 05 स्तर पर सार्थक अन्तर है। मध्य तथा उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता समूह वाले छात्रों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति के बीच 0.05 स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं है। तालिका 3 से स्पष्ट है कि उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति का मध्यमान मध्य एवं निम्न वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति के मध्यमान से अधिक है और निम्न वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति का मध्यमान सबसे कम है। अतः उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति मध्य एवं निम्न वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों की तुलना में उच्च है, जबकि निम्न वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति मध्य एवं उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों की तुलना में निम्न है। उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति मध्य वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों की तुलना में लगभग समान है।

परिकल्पना

2 माध्यमिक स्तर के निम्न, मध्य एवं उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्राओं के वैज्ञानिक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं होता।

छात्राओं के वैज्ञानिक अभिवृत्ति पर वैज्ञानिक सृजनात्मकता का प्रभाव

छात्राओं के वैज्ञानिक अभिवृत्ति पर वैज्ञानिक सृजनात्मकता का प्रभाव देखने के लिए उपर्युक्त विधि के अनुसार प्रसरण विश्लेषण का प्रयोग किया गया। निम्न, मध्य एवं उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाली छात्राओं के वैज्ञानिक अभिवृत्ति का मध्यमान एवं मानक विचलन निम्नलिखित है।

तालिका 4: निम्न, मध्य एवं उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाली छात्राओं के वैज्ञानिक अभिवृत्ति का मध्यमान एवं मानक विचलन

वैज्ञानिक सृजनशीलता समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन
निम्न	118	49.992	9.377
मध्य	147	50.333	8.871
उच्च	135	51.785	9.084

तालिका 5: निम्न, मध्य एवं उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाली छात्राओं के वैज्ञानिक अभिवृत्ति के मध्यमानों के बीच सार्थक अन्तर के लिए एफ–परीक्षण का परिणाम

विचरण का स्रोत	स्वतंत्रता के चर	वर्गों का योग	वर्गों के योग का माध्य	एफ
समूहों के बीच	2	237.769	118.884	1.437
समूहों के भीतर	397	32834.429	82.706	
योग	399	33072.198		

निम्न, मध्य एवं उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाली छात्राओं के वैज्ञानिक अभिवृत्ति में अंतर देखने के लिए किए गए प्रसरण विश्लेषण के परिणाम को तालिका संख्या 5 में दर्शाया गया है। इस तालिका से स्पष्ट है कि एफ(थ) का मान 1.437 है, जो 397 स्वतंत्रता अंश के 0.05 स्तर पर सार्थक होने वाले मान (3.02) से कम है। इसका अर्थ है कि निम्न, मध्य एवं उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाली छात्राओं के वैज्ञानिक अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

अतः शून्य परिकल्पना की निम्न, मध्य एवं उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्राओं के वैज्ञानिक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं होता। 0.05 स्तर पर अस्वीकृत नहीं किया जाता है अर्थात परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है।

समूहों के बीच सार्थक अन्तर ज्ञात करने के लिए टी–परीक्षण भी किया गया। टी–परीक्षण का परिणाम निम्नलिखित है।

तालिका 6: विभिन्न वैज्ञानिक सृजनात्मकता समूहों के छात्राओं के बीच वैज्ञानिक अभिवृत्ति के बीच अन्तर के लिए टी–परीक्षण का परिणाम

वैज्ञानिक सृजनशीलता समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन
निम्न	0	0.303	1.537
मध्य		0	1.352
उच्च			0

टी–मान से स्पष्ट है कि विभिन्न वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाली छात्राओं की वैज्ञानिक अभिवृत्ति के बीच 0.05 स्तर पर सार्थक अंतर नहीं है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि छात्राओं के वैज्ञानिक अभिवृत्ति पर वैज्ञानिक सृजनात्मकता का प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

निष्कर्ष

परिकल्पना 1

माध्यमिक स्तर के निम्न, मध्य एवं उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों के वैज्ञानिक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं होता। अतः यहां निर्धारित शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की गई।

परिकल्पना 2

माध्यमिक स्तर के निम्न, मध्य एवं उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्राओं के वैज्ञानिक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं होता। 0.05 स्तर पर अस्वीकृत नहीं किया जाता है अर्थात परिकल्पना को स्वीकृत की गई।

परिणाम

प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम स्वरूप माध्यमिक स्तर के निम्न, मध्य एवं उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर पाया गया। उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों की तुलना में उच्च पाई गई जबकि निम्न वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति मध्य एवं उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों की तुलना में निम्न पाई गई। उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों की तुलना में निम्न पाई गई। उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति मध्य वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाले छात्रों की तुलना में लगभग समान पाई गई। इसी प्रकार निम्न, मध्य एवं उच्च वैज्ञानिक सृजनात्मकता वाली छात्राओं के वैज्ञानिक अभिवृत्ति को लेकर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। अर्थात विभिन्न स्तर की वैज्ञानिक सृजनात्मकता को लेकर छात्रों में सार्थक अन्तर देखने को मिला, इसके विपरित छात्राओं के संबंध में वैज्ञानिक सृजनात्मकता का वैज्ञानिक अभिवृत्ति पर कोई प्रभावशीलता नहीं पाई गई। अतः शैक्षिक निर्देशन हेतु प्रस्तुत अध्ययन अध्यापकों को यह परामर्श देता है कि वे छात्राओं में वैज्ञानिक सृजनात्मकता को विकसित करने के विविध प्रयासों को प्रबन्धित करें।

निष्कर्ष एवं अध्ययन की शैक्षिक उपादेयता

प्रस्तुत अध्ययन में वैज्ञानिक अभिवृत्ति पर वैज्ञानिक सृजनात्मकता का छात्रों के लिए सकारात्मक प्रभावशीलता पाई गई है किन्तु छात्राओं के लिए नहीं। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि छात्राओं की वैज्ञानिक अभिवृत्ति पर वैज्ञानिक सृजनात्मकता का सार्थक प्रभावशीलता नहीं पाई गई। अतः माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को चाहिए कि छात्राओं में वैज्ञानिक सृजनात्मकता विकसित करने के अग्र उपायों को प्रबन्धित करे। इस हेतु वैज्ञानिक प्रयासों का सृजन करके, समस्या–समाधान व जिज्ञासा पूर्ति करके, आत्मविश्वास पैदा करके, संश्लेषण–विश्लेषण की योग्यता विकसित करके, क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित अधिगम के

माध्यम से वैज्ञानिक व समाजोपयोगी विचारों का सृजन करके, विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से हस्त कौशल, विज्ञान मॉडल प्रदर्शित करके, प्रवाहशीलता, लोचशीलता व मौलिकता विकसित करके वैज्ञानिक अभिवृत्ति, विचार, दृष्टिकोण में प्रभावशीलता का सृजन किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कोहली, डॉ.वी.के. (1983): 'विज्ञान कैसे पढ़ाए' *विवेक पब्लिकेशर्ज, अमृतसर, पृ.सं. 45, 46, 50, 51*
2. गोलवालकर, शोभा (1986): शोध प्रबन्ध– 'ए स्टडी ऑफ साइन्टिफिक एटीट्यूड, क्रिएटिविटी एण्ड एचिवमेंट ऑफ ट्राइबल स्टूडेन्ट्स ऑफ राजस्थान' *सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर, पृ.सं. 2, 5, 8, 36, 37*
3. बुच, एम.बी. (1987): 'थर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एज्यूकेशन' *एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, पृ.सं. 509*
4. बुच, एम.बी. (1991): 'फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एज्यूकेशन' *एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, पृ.सं. 506*
5. बुच, एम.बी. (2000): 'फिफ्त सर्वे ऑफ रिसर्च इन एज्यूकेशन' *एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, पृ.सं. 1266*
6. मिश्रा, के.एस.(1986): एफेक्ट ऑफ होम एण्ड स्कूल एनवायर्नमेंट्स ऑन साइन्टिफिक क्रिएटिविटी' *संज्ञानालय, कानपुर, पृ.सं. 17*
7. हैरिश, सी.डब्लू.(1960): एनसाइक्लोपिडिया ऑफ एज्यूकेशनल रिसर्च' *एडिशन प्प्, मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क पृ.सं. 122*

❑❑❑

4

क्रिप्टो करेन्सीः भारतीय विनिमय के परिवेश में क्रिप्टो करेन्सी का भविष्य

डॉ. विजयलक्ष्मी पारीक*

प्रस्तावना

क्रिप्टोकरेंसी ने युवाओं को काफी तेजी से अपनी ओर आकर्षित किया है, जिससे युवाओं का एक बड़ा तबका निवेश के लिए क्रिप्टोकरेंसी को अपना रहा है। ऐसे युवाओं को फाइनेंशियल मार्केट में लाने के लिए एंट्री पॉइंट्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक जमाना था, जब निवेश करने वाले अक्सर शेयर बाजार की खबरों पर नजर रखते थे। आज भी ऐसे ही लोग इंटरनेट पर शेयर बाजार के उठते–गिरते भाव यानि ग्राफ पर नजर टिकाए रहते हैं। यूं तो लंबे समय से शेयर बाजार के अलावा म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड और ईटीएफ में भी निवेश किया जा रहा है, लेकिन इस मामले में अब एक नया विकल्प मिल गया है, जहां युवा निवेश के मामले में सबसे आगे हैं। यह डिजिटल दुनिया की डिजिटल करेंसी यानि क्रिप्टोकरेंसी है। यह एक ऐसी दुनिया है, जो किसी एक देश के दायरे तक सीमित नहीं है।

पिछले कुछ महीनों से भारत में भी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर काफी चर्चा हो रही है। ब्रोकर डिसक्वरी और कॉम्पेरिसन प्लेटफॉर्म ठतवामतबिववेमत के अनुसार, भारत में 100 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। ये नंबर दुनियाभर में सबसे ज्यादा हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया का हिस्सा ब्लॉकचैन और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल के मुताबिक, क्रिप्टो में निवेश करने वालों में न सिर्फ अनुभवी निवेशक, बल्कि टियर–2 और टियर–3 शहरों के युवा भी शामिल हैं। इन युवाओं ने करीब छह लाख करोड़ रुपये तक क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किए हैं।

करेन्सी किसी भी देश की विधी गृह मुद्रा होती है जिसको वहॉ की जनता लेन–देन के लिये माध्यम के रूप में प्रयोग करती है जिसकी अपनी टंसनम होती है। जिस के बदले कोई भी

* प्राचार्य, एस.एस.जी. पारीक स्नात्कोतर महिला महाविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

व्यक्ति वस्तु एवं सेवाओं का क्रय कर सकता है। यह एक ऐसी धन प्रणाली है जिसमें सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है तथा राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित होती है अर्थात् किसी भी करेन्सी के लिये उसमें कानूनी स्वीकृति व जनता के विश्वास का तत्व होना आवश्यक हैं। प्रत्येक देश की अपनी एक करेन्सी होती है जैसे भारत की रूपया, अमेरिका की डॉलर, इग्लैण्ड की यूरो एवं सउदी अरब की रियाल आदि।

प्राचीन समय में वस्तु विनिमय का चलन था जहॉ वस्तु के बदले वस्तु का आदान–प्रदान होता था। 18वीं सदी से पहले मुद्रा के तौर पर सोने व चॉदी के सिक्को का प्रचलन था यानी धातु मुद्रा समय के बदलाव के साथ–साथ कागजी मुद्रा चलन में आयी। भारत में कागजी मुद्रा भारत सरकार द्धारा सर्वप्रथम 1861 में जारी की गई। वर्तमान में भारत में 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 मूल्य के बैंक नोट जारी किये जाते है इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया जो कि भारत में केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है के द्वारा जारी किये जाते है अतः इन्हे बैंक नोट भी कहा जाता हैं।

व्यूचअल करेन्सी में क्रिप्टो के प्रयोग के निम्नांकित उद्देश्य

- क्रिप्टोकरेंसी का उद्देश्य पारंपरिक बैकिंग के साथ आने वाले सभी मुद्दो को दूर करना है।
- क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके आपके द्वारा स्थानांतरित किए जा सकने वाले धन की कोई सीमा नहीं है।
- खातो को हैक करना लगभग असंभव है क्योकि आप किसी वित्तिय संस्थान का उपयोग नहीं कर रहे हैं और विफलता का कोई केन्द्रीय बिन्दु नहीं है।

Crypto Currency: क्रिप्टोकरेन्सी जिसकों डिजिटल करेन्सी भी कहा जाता है जो वित्तिय लेन–देन का माध्यम होती है जैसे भारत का रूपया व अमेरिका का डॉलर इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि यह दिखाई नहीं देती ना ही इसे हम छू सकते है लेकिन वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने में यह काम में लाई जा सकती हैं।

Crypto Currency दो शब्दों से मिलकर बनी है ब्तलचजव जो कि लेटिन भाषा के शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है छुपा हुआ साथ ही ब्नततमदबल का अर्थ भी लेटिन भाषा के Currentia से बना है जिसका अर्थ रूपये–पैसो के उपयोग से हाता है। क्रिप्टो करेन्सी का अर्थ होता है छुपा हुआ पैसा जिसे हम छू नही सकतें अपनी जेब में ठोस रूप से नही रख सकते लेकिन फिर भी सामान्य रूप से मान्य है और कोई भी वस्तु या सेवा का क्रय कर सकते है। यह पूरी तरह से ऑनलाईन होता है।

सर्वप्रथम 1990 में एलन मस्क ने वर्चुअल करेन्सी को अपनाने की पेरवी की थी। क्रिप्टो करेन्सी का पूरा लेन देन डिजिटल होता है क्रिप्टोकरेन्सी पर सरकार का कोई नियंत्रण नही होता है अतः इसे अनियमित बाजार के रूप में जाना जाता है इसकी टंसनम दिन में कई बार बदलती रहती है जिसमें उतार–चढाव देखने को मिलते है। साधारण भाषा में कहे तो किसी को भी क्षण भर मे अमीर या गरीब बना सकती है।

विगत कुछ वर्षो में क्रिप्टों करेन्सी की लोकप्रियता बढी है इसको लेन–देन में प्रयोग करने के लिये ब्लॉक चैन नामक प्रणाली को काम में लिया जाता है जो डिजिटल इनक्रिप्टेड अर्थात कोडेड होती है जिसे एक कम्प्यूटर नेटवर्क के द्वारा मैनेज (नियन्त्रित) किया जाता है। प्रत्येक लेन–देन का सत्यापन डिजिटल सिग्नेचर द्वारा किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी के द्वारा इसका रिकार्ड भी रखा जाता है जिसे क्रिप्टो माइनिंग कहा जाता है जिसका डिजिटल रूप से डेटा बेस तैयार होता है जो व्यक्ति इस काम को देखता है उसे माइनर्स कहा जाता है। क्रिप्टों करेन्सी में सारा काम एक पावर फूल कम्प्यूटर्स द्वारा सम्भव होता है। ब्लॉक चैन पर आधारित यह तकनीक एक वर्चुअल करेन्सी है जिसे सभी देशों द्वारा अपनाया गया है। यह च्मत जव च्मत इलेक्ट्रोनिक प्रणाली है जिसका उपयोग इन्टरनेट के जरिये किया जाता है चूकि इस पर सरकार, एजेन्सी या बोर्ड का अधिकार नहीं होता है। जिससे इसके मूल्य रेगूलेट भी नहीं किये जा सकते है। अतः सरकार या बैंक को बिना बताये भी कार्य हो जाता हैं। इसलिये इसका इस्तेमाल गलत तरीको से भी किया जा सकता है।

क्रिप्टों करेन्सी क्रय करने के लिये क्रिप्टों एक्सचेंज के द्वारा खरीदना सबसे आसान होता है। वर्तमान में अनेकानेक क्रिप्टों करेन्सी एक्सचेंज 24ग7 काम करते है। क्रिप्टों करेन्सी क्रय करने या विक्रय करने के लिये सर्वप्रथम एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिये एक्सचेंज की वेवसाईट पर के. वाई. सी. साईन अप करने के पश्चात वॉलेट में रूपये का हस्तान्तरण किया जिससे डिजिटल मुद्रा का क्रय किया जा सकता हैं। भारत में जेबपे, क्वाईन स्चि, कुबेर क्वाईन, डी सी एक्स गो नामक कई प्रमुख एक्सेसचेंज ऑफिस कार्यरत हैं। अन्तराष्ट्रीय स्तर पर क्वाइन बेस, बिनान्से जैसे एक्सचेंज भी स्थित है।

क्रिप्टो करेन्सी के प्रकार

क्रिप्टो करेन्सी बहुत प्रकार की है लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे है जो कि अच्छा परफार्म कर रहे है और जिन्हें आप बिटकोईन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिप्टो करेन्सी के प्रकार निम्न है।

- **बिटकोईनः** बिटकोईन दुनिया मे सबसे पहला क्रिप्टो करेन्सी का रूप है जिसे संतोषी नाकामोटो ने 2009 में बनाया था। ये एक डिजिटल करेन्सी है जिसे केवल ऑनलाईन ही गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक डि–सेन्टरलाइज्ड करेन्सी है जिसका मतलब है इस पर गवरमेन्ट या कोई भी इन्सटीट्यूशन का कोई भी हाथ नहीं है। वर्तमान मे यह सबसे लोकप्रिय डिजिटल करेन्सी है इसका मूल्य अब काफी बढ गया है जो कि अब 13 लाख के करीब एक कॉइन का मूल्य है।
- **एथिरियमः** बिटकोईन के जैसे ही एथिरियम भी ऑपन सोर्स, डि–सेन्टरलाईज्ड, ब्लॉकहेन बेस्ड कम्प्यूटींग प्लेटफार्म है इसके फाउण्डर का नाम है विटलिक बूटरिन। इसके क्रिप्टो करेन्सी टोकन को ईथर भी कहा जाता है। ये प्लेटफार्म इसके यूजर्स को डिजिटल

टोकन बनाने में मदद करता है जिसकी मदद से इसे करेन्सी के तोर पर इस्तेमाल किया जा सकता है हाल ही में एक हार्ड फाक के होने से एथिरियम दो हिस्सों में विभाजित हो गया है। एथिरियम ;म्ज्भ्द्ध और एथिरियम क्लासिक ;म्ज्ब्द्ध बिटकोईन के बाद ये दूसरा सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेन्सी है।

- **लिट्कोईनः** गूगल एम्प्लॉय के रूप में कार्य कर चुके चार्ली ली द्वारा अक्टूबर 2011 में लिट्कोईन भी डिसेन्टरलाईज्ड पीर टू पीर क्रिप्टो करेन्सी है जिसे एक ऑपन सोर्स सोफ्टवेयर जो की रिलिज हुआ है। इसके बनने के पीछे बिट्कोईन का बहुत बडा हाथ है और इसकी बहुत सारे फिचर बिट्कोईन से मिलते–जुलते है। लिट्कोईन की ब्लॉक जनरेशन की टाईम बिटकोईन के मुकाबले 4 गुना कम है। इसलिये इसमें ट्रांजेक्शन बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। इसमें स्क्रिप्ट एलगोरिथम का इस्तेमाल होता है माइनिंग करेन के लिए।
- **डॉगी कॉईन** (DOGE): डॉगी कॉईन की बनने की कहानी काफी रोचक है इसे बिट्कोईन को मजाक करने के लिए कुत्ते से उसकी तुलना की गयी जो आगे चलकर एक क्रिप्टोकरेन्सी का रूप ले लिया। इसके फाउण्डर का नाम है बिली मार्क्स। लिटकोईन की तरह इसमें भी स्क्रिप्ट एलगोरिथम का इस्तेमाल होता है। आज डॉगीकॉईन की मार्केट वेल्यू 197 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है और इसे पूरे विश्व मे 200 मर्चेन्ट्स से भी ज्यादा में एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें भी माइनिंग दूसरो के मुकाबले बहुत जल्दी होती है।
- **टीथर** (USDT):– कॉइनमार्केट डॉट कॉम के अनुसार 17 जनवरी को 78 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ टीथर सबसे बडी स्थिर मुद्रा है। ये बिटकोईन की ब्लॉक चैन टैक्नोलोजी का इस्तेमाल करता है। स्थिर मुद्रा अमेरिकी डॉलर और यूरो में आंकी गई अस्थिरता को कम करती है और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है लेकिन अस्थिरता का सामना करने के लिए अनिच्छुक हैं।
- **बिनेंस कोईन** (BNB): बिनेंस को केवल 2017 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अपने प्लेटफार्म पर व्यापार को सुविधाजनक बनाकर बहुत तेजी से विस्तार किया। क्रिप्टो ने 2017 में अपनी कीमत से एक लंबा सफर तय किया है जो कि सिर्फ 0.10 डॉलर था जो 3 जनवरी 2022 को 5200 प्रतिशत हो गया। 17 जनवरी को कोईनमार्केट डॉट कॉम के अनुसार बिनेंस लगभग 80 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ चौथे स्थान पर है। यह क्रिप्टो करेन्सी बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज की मूल क्रिप्टो करेंसी है जो वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बडा एक्सचेंज है।
- **सोलाना** (SOL): हाल ही में सोलाना को गिरावट का सामना करना पड रहा है। क्रिप्टो इस सूची में 2021 में अपनी बेहद सफल उपलब्धि के कारण तीसरे स्थान पर है। एस

ओ एल ने खुद को बाजार में सबसे तेजी से बढने वाली क्रिप्टों है। एस ओ एल एथेरियम के लिए सबसे बडी प्रतियोगी है। रिपोर्टो के अनुसार 2021 में एस ओ एल टोकन 13,662 प्रतिशत बढा।

- **रिपल** (XRP): यह बहुत ही ज्यादा फेमस क्रिप्टोकरेन्सी हे और जिसकी ऑवरऑल मार्केट कैप है लगभग 10 बिलियन डॉलर इसके ऑफिशियल के अनुसार रिपल यूजर्स को सिक्योर इन्सटेन्ट एण्ड नियरली फ्रि ग्लोबल फाइनेन्शियल ट्रांजेक्शन किसी भी साईज के करने के लिए प्रदान करती हैं और जिसमें कोई भी चार्ज बैक नहीं होती है। रिपल 2012 में रिलिज हुआ और ये डिस्ट्रीब्यूट ऑपन सोर्स प्रोटोकॉल के उपर बेस्ड है। रिपल एक रीयल टाईम ग्रोस सेटलमेन्ट सिस्टम (RTGS) है जो की अपनी खुद की क्रिप्टो करेन्सी चलता है जिसे की रिपल (XRP) भी कहा जाता है।
- **पॉलीगोनः** वर्ष की संभावनाए इसमें काफी अच्छी मानी जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका श्रेय एथेरियम को जाता है। क्रिप्टो पूरी तरह से ईटीएच 2.0 संस्करण में संक्रमण के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो बहुभुज जैसे परत–2 समाधानों पर बहु अधिक निर्भर करता है। यह यह भी संकेत दे सकता है कि पॉलीगन में मूल्य में वृद्धि का अनुभव करने के लिए बढत है और यह क्रय कर रखने का एक अच्छा विकल्प हैं।

क्रिप्टों करेन्सी में विनिमय के लाभ

- क्रिप्टो करेन्सी में फ्रॉड होने के सम्भावना बहुत ही कम हैं।
- क्रिप्टो करेन्सी की नॉर्मल डिजिटल पेमेन्ट से ज्यादा सिक्योर होते हैं।
- इसमें ट्रांजेक्शन फीस भी बहुत ही नोमिनल है।
- नोट बन्दी यदि देश में होता है, तो इसके निवेशकों पर असर नहीं देखने को मिलता है।
- इसमें निवेशक को बहुत अधिक फायदा होता है।
- इसमें अकाउण्ट बहुत ही सुरक्षित होते है क्योकि इसमें अलग–अलग प्रकार के क्रिप्टोग्राफी एलगोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है।
- जो व्यक्ति अपने पैसों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते है, उसके लिये क्रिप्टो करेन्सी बेहतर विकल्प है।

क्रिप्टो करेन्सी के नुकसान

- क्रिप्टो करेन्सी में चूकि रिवर्स का कोई ऑप्शन नहीं होता है। एक बार ट्रांजेक्शन पूर्ण हो जाने पर उसे रिवर्स कर पाना असंभव होता हैं।
- अगर आपका वॉलेट के आई डी खो जाती है तब वो हमेशा के लिए खो जाती है क्यूंकि इसे दुबारा प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसे में आपके जो भी पैसे आपके वॉलेट में स्थित होते है वो सदा के लिए खो जाते है। जिससे क्रेता को भारी हानि का सामना करना पड सकता है।

- इसका इस्तेमाल अवैध कार्यो के लिये भी किया जा सकता है।
- इसमें क्रिप्टो करेन्सी का कोई भौतिक रूप में अस्तित्व दिखाई नही देता है।
- क्रिप्टो करेन्सी पर चूंकि किसी भी सरकार का नियंत्रण नही होता है अतः निवेशक को रिस्क ज्यादा उठाना पड सकता है।
- ब्लॉक चैन को हैक करना मुश्किल तो होता है परन्तु नामुमकिन नहीं होता क्योकि इसका कोई ओनर स्पष्ट रूप से नहीं होता हैं।

विनिमय के सन्दर्भ में क्रिप्टों करेन्सी का भारत में भविष्य

भारत में क्रिप्टो करेन्सी में निवेश करने वालो की संख्या दिन–रात बढती चली जा रही है। वर्तमान में लगभग 1.5 करोड व्यक्तियों ने क्रिप्टो करेन्सी एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है लेकिन क्रिप्टों करेन्सी को अभी तक कोई मान्यता प्राप्त नही हुई इसलिए आर बी जी एवं केन्द्र सरकार क्रिप्टो करेन्सी के प्रति सख्त व्यवहार अपनाते हुये इसे ग्रे जोन में रखा है अर्थात ना तो इसे बैन किया गया है और ना ही इसे मान्यता प्रदान की गई है। चूकि भारत में क्रिप्टों करेन्सी तीव्रता से लोकप्रिय हो रही है युवा वर्ग इस पर विश्वास कर रहे है उनका मानना है कि क्रिप्टो करेन्सी भविष्य की करेन्सी मानी जा सकती है क्योकि इसमें कम निवेश व कम समय में ज्यादा लाभ होने की आशा रहती है। यह 24ग7 कार्य करती है। जिससे उतार–चढाव अधिक होता है। जबकि शेयर मार्केट की समय सीमा तय होती है।

भारत मे क्रिप्टो करेन्सी को लेकर लोगो में बहुत सारी शंकाए व्याप्त है कि क्या सरकार इस पर प्रतिबन्ध लगा देगी भारत, अमेरिका, रूस सहित कई दुनिया भर के देशो का रूख डिजिटल करेन्सी को लेकर सख्त है। भारत सरकार डिजिटल करेन्सी को नियमन करने हेतू कानून बनाने के बारे में भी विचार कर रही है। आर बी जी को अपनी डिजिटल करेन्सी के संबंध में भी एक प्रस्ताव रखा है।

क्रिप्टो करेन्सी में जोखिम अधिक है लेकिन यह मानना गलत नहीं होगा कि इस पर कानून बनाने में सरकार ने देर कर दी निवेशको ने अपने अरबो रूपयों का निवेश कर रखा है तो प्रतिबन्ध यदि लगाया जायेगा तो अर्थव्यवस्था में भूचाल आ जायेगा। इसके लिये केन्द्र सरकार को बहुत समझदारी से काम लेना होगा साथ ही आर बी जी अपनी डिजिटल करेन्सी जारी करने के साथ–साथ कुछ स्थिर क्रिप्टो करेन्सी को सिर्फ इन्टरनेशनल रिमेन्टस के लिये अनुमति दी जा सकती है। कुछ क्रिप्टो करेन्सी को स्वीकृत कर प्लेटफार्म तैयार कर इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाये तथा निजी क्रिप्टो करेन्सी पर चीन, मिस्त्र, कतर, बांग्लादेश, ईरान, ओमान, मोरक्को, अल्जीरिया, इयूनीशिया आदि ने प्रतिबन्ध लगा दिया है। भारत में भी प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिये।

देश की दूसरी सबसे बडी आई टी कम्पनी इनफोसिस के चेयन मैन नंदन नीले कर्ण ने क्रिप्टो करेन्सी के सन्दर्भ में कहा है कि क्रिप्टो एसेट्स का इस्तेमाल देश मे ज्यादा वित्तिय समावेश के लिये किया जा सकता है क्योकि भविष्य में क्रिप्टों करेन्सी की भूमिका अहम है।

निष्कर्ष

युवा क्रिप्टोकरेन्सी में निवेश करके छोटा–छोटा मुनाफा ले सकते है। इसे प्रकार के मुद्रा प्रचलन से सम्पूर्ण विश्व में एक नवीन प्रकार की बाजार कार्यप्रणाली प्रारम्भ हुई है। साथ ही वो दिन अब दुर नहीं है जब सम्पूर्ण विश्व में आदान–प्रदान की मुद्रा के रूप में डिजिटल फॉम में देखने को सरलता से मिल जायेगी। इस शोध पत्र का उद्देश्य भी भविष्य के सन्दर्भ में विनिमय के प्रचलन में मुद्रा के बदलते स्वरूप को स्पष्ट करना रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. बेयरमैन, जे (2015, मई) द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सिल्क रोड, पं. 1 रिटरिव्ड वेबसाइट वेबसाइट से लिया गया https://www.wired.com/2015/04/silk-road-1/
2. बिटकॉइनः एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था। (2015, 4 अगस्त) बिटपे, इंक वेबसाइट से जुलाई 2016 https://blog.bitpay.com/bitcoin-a-new-global-economy/
3. बोवेर्ड, सी (2016, 24 जून) बिटकॉइन रोलरकोस्टर राइड्स ब्रेक्सिट एज इथर प्राइज होल्डस एमिड डिएओ डिवॉकल कॉइनडेस्क वेबसाइट जून 2016 http://www.coindesk.com/bitcoin-brexit-ether-price- rollercoaster/
4. द मनी प्रोजेक्ट वेबसाइटः http://money.visualcapitalist.com/its-official-bitcoin-was-the-top- performing-currency-of-2015/
5. हिलमैन, जी (2016, जनवरी 28) स्टेट ऑफ बिट्कॉइन एण्ड ब्लॉकचेन 2016ः ब्लॉकचेन हिट्स क्रिटीकल मास, रिट्रीव्ड फ्रॉम कॉइनडेस्क वेबसाइट : http://www.coindesk.com/state-of-bitcoin-blockchain-2016/
6. हॉफमैन, ए (2014, मार्च 6) द डॉउन ऑफ द नेशनल करेंन्सी– एन एक्सप्लोरेशन आफ कन्ट्री बेस्ड, क्रिप्टोकरेंन्सी। रिट्रीव्यूड फ्रॉम बिट्कोईन मैगजीन वेबसाईट : https://bitcoinmagazine.com/articles/dawn-national-currency-exploration- country-based-cryptocurrencies-1394146138
7. कासियंतो, एस (2016) बिटकोइन पोटेन्शियल फॉर गोईग मेनस्ट्रिम. जनरल ऑफ पेमेन्टस स्ट्रेटीजी एण्ड सिस्टम, 10 (1), 28–39
8. कैली, बी (2017) द बिटकोईन बिग बैंग : हाउ अलटरनेटिव करेन्सी आर अबाउट टू चेंज द वर्ल्ड
9. किंग, आर. एस (2013, दिसम्बर 17) बाय रिडिंग दिस आर्टिकल, यू आर मिनिंग बिटकोइन। रिट्रिव्ड फ्राम क्यूआर्टज डॉट कॉमः http://qz.com/154877/by-reading-this-page-you-are-mining-bitcoins/

10. मैग्रो, पी (2016, जुलाई 16) वॉट ग्रीस केन लर्न फ्राम बिटकॉइन एडोप्शन इन लेटिन अमेरिका। रिट्रिब्ड जुलाई 2016, फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनस टाईम्स वेबसाईट : http://www.ibtimes.co.uk/what-greece-can-learn-bitcoin- adoption-latin-america-1511183

11. मैकमिलन, आर (2014, मार्च 3) द इनसाइड स्टोरी ऑफ एमटी. गोक्स, बिटकाइन $460 मिलियन डिजास्टर रिट्रिब्ड फॉम Wired.com http://www.wired.com/2014/03/bitcoin-exchange/

12. पेटरसन, जे (2015, अगस्त 04) बिटकॉइनः ए न्यू ग्लोबल इकॉनोमी रिट्रिब्ड फॉम बिटपे वेबसाइट : https://blog.bitpay.com/bitcoin-a-new-global-economy/

13. यूरोपियन एक्सचेंज रेक्ट टू बिटकाइन वेट एक्मपेशन, रिट्रिब्ड फॉम कॉइन डेस्क वेबसाइट http://www.coindesk.com/european-exchanges-react-to-bitcoin-vat-exemption/ PricewaterhouseCoopers,

14. सैटो, एम (2016, फरवरी 18) एक्सक्यूलिसिव : एमेजॉन एक्सपेंडिग डिलिवरिज बाय इटस ऑन डिमाण्ड ड्रीर्व्स, रिट्रिव्यूड http://www.reuters.com/article/us-idUSKCN0VR00O

15. टीम, बी (2016, जनवरी 20) अण्डरस्टेडिंग बिटकोइन ग्रोथ इन 2015 रिट्रिव्यूड फ्राम बीटपे वेबसाइटः https://blog.bitpay.com/understanding-bitcoins-growth-in-201

❑❑❑

5

वर्तमान वैश्विक शासन प्रबंधन में कौटिल्य के प्रबंधन सिद्धान्तों की प्रासंगिकता

कंचन चारण*

प्रस्तावना

कौटिल्य की विचारधारा किसी एक समय सीमा में नहीं बंधी है यही कारण है कि जब हम वर्तमान सन्दर्भ में वैश्विक परिस्थितियों में प्रबंधन पर चिन्तन करते हैं तो हम पाते हैं कि उनका विचार वर्तमान में अधिक प्रासंगिक है। चाहे शासन प्रशासन में परिवर्तन हुआ हो, राजतन्त्र के स्थान पर लोकतन्त्र की स्थापना हुई हो लेकिन फिर भी कौटिल्य के विचार प्रबंधन के क्षेत्र में चाहे वह प्रशासन के क्षेत्र में हो, अपने आपमें विशिष्ट हो गए हैं। वर्तमान युग अर्थ प्रधान युग हैं। कौटिल्य के प्रबंधन में आर्थिक चिन्तन के क्षेत्र में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन है। उन्होंने राज्य के वित्तिय प्रबंधन को काफी महत्व देते हुए कहा कि सामान्य स्थिति के साथ–साथ युद्ध, अकाल और अन्य विपदाओं के समय में भी राज्य की वित्तिय शक्ति महत्वपूर्ण होती है।[1]

अर्थ प्रबंधन

प्रबंधन के क्षेत्र में यह सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है चाहे वह व्यापार हो अथवा कोई राष्ट्र हो सभी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखें। भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् लगातार यह प्रयास किया गया कि यहां की आर्थिक स्थिति सुव्यवस्थित रहे। निश्चित रूप से एक समय ऐसा भी आया था जब विश्व बैंक से धन प्राप्त करने के भारत का सोना भी गिरवी रखना पड़ा लेकिन पुनः व्यवस्थित प्रबंधन करने से आज भारत की स्थिति अन्य देशों से ठीक है यही कारण है कि वर्तमान में अनेक प्रकार की समस्याओं के चलते भारत की अर्थव्यवस्था डांवाडोल नहीं हो रही है। जैसा कि हम बात करें अन्य देशों की तो जिन देशों ने केवल धन का दुरूपयोग ही किया है वे राष्ट्र आज कहीं न कहीं दिवालियापन की स्थिति में खड़े हैं।

कौटिल्य ने राजस्व के सात स्त्रोतों का उल्लेख किया। इन्होंने इसका वर्गीकरण नियमित स्त्रोत और अतिरिक्त स्त्रोत के रूप में किया। भूमि और वाणिज्य कर नियमित स्त्रोत है तथा ब्याज और लाभ से प्राप्त कर को अतिरिक्त स्त्रोत के अन्तर्गत रखा। साथ ही इन्होंने व्यय को पन्द्रह शीर्षों के अन्तर्गत विभाजित किया।[2] उन्होंने कहा कि कर लगाते समय ईमानदारी और

* (RES), kanchancharanbilara@gmail.com

समानता को आधार बनाया जाए। चूंकि नागरिकों का कल्याण इनका सर्वोच्च लक्ष्य था, इसलिए इन्होंने करदाताओं के असन्तोष से बचने के लिए बहुत ही ठोस परामर्श दिया। सब्सिडी और छूट की अवधारणा भी उनके मन में थी। इन्होंने संकेत दिय कि कर छूट की योजना, विवेकपूर्ण ढंग से तैयार किया जाना चाहिए तथा इसका लाभ महिलाओं, अल्पव्यस्कों, छात्रों, शारीरिक दृष्टि से अक्षम और अन्य ऐसे लोगों को दिया जाना चाहिए।

सार्वजनिक वित्त पर टिप्पणी करते हुए कौटिल्य ने अपनी विशिष्ट समझ का परिचय दिया। उन्होंने परती भूमि, बांध, तालाब, सिंचाई और खनन के विकास में निवेश करने का सुझाव दिया। यह आज के सन्दर्भ में कितना प्रासंगिक है कि पिछले दो बजटों से जल संसाधन के संरक्षण का उल्लेख किया जा रहा है।

कृषि प्रबंधन के क्षेत्र में भी कौटिल्य का योगदान इतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कृषि को आधार माना। कौटिल्य ने स्पष्ट किया कि कृषि से लोगों को आहार तो मिलता ही है लेकिन इससे राजस्व, रोजगार तथा राज्य और सेना को भोजन भी मिलता है। इसलिए उन्होंने भूमि को सबसे महत्वपूर्ण संपदा माना।

''यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि उन्होंने आज से 2400 वर्ष पहले अपने ग्रन्थ अर्थशास्त्र की रचना की फिर भी उन्होंने कृषि कार्य और इसके प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन किया। कौटिल्य ने भूमि का वर्गीकरण जोताई के लिए उपयुक्त और अनुपयुक्त भूमि के रूप में किया है।[3]

उन्होंने वस्तुओं के मूल्य निर्धारक सहित विदेश व्यापार की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया मापतौल का मानकीकरण किया। उन्होंने व्यापार मार्गों के विकास और रखरखाव का भी सुझाव दिया। आज हम स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के महत्व की चर्चा करते हैं यह विचार कौटिल्य के विचारों की देन है। यह स्मरण रहे कि ''कौटिल्य ने इस बात पर जोर दिया कि व्यापार और वाणिज्य करते समय व्यापारियों, उपभोक्ताओं और शासक राज्य के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। उनकी सभी शिक्षाओं में उनके मन में व्याप्त लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की झलक मिलती है। निजी क्षेत्र का खनन, हथियार, सिक्के, औजार में से किसी के विनिर्माण में कोई भूमिका नहीं थी। सुरक्षा व्यवस्था के विस्तृत दिशा निर्देशों का उल्लेख किया है। भारत में भी वर्तमान में मानव संसाधन विकास मामला बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।''[4]

वैश्वीकरण के परिदृश्य में नई अर्थव्यवस्था के लिए मानव विकास के संबंध में उचित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो गया है। भारत के मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में मानव संसाधन विकास से जुड़े मुद्दों को सुविधाजनक ढंग से हल करने के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र से शिक्षा ग्रहण की जा सकती है।

कौटिल्य के निवेश संबंधी सुझाव प्रशसनीय ढ़ंग से भारत के अनुकूल है। इस संबंध में अर्थशास्त्र से महत्वपूर्ण सीख ली जा सकती है। उनकी सभी शिक्षाओं में उनके मन में व्याप्त लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा की झलक मिलती है। यह बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि

आज विभिन्न हितों के बीच संतुलन कायम रखने के लिए मूल्य संवर्धित कर यानि वैट एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है। कौटिल्य के शासन प्रबंधन व पड़ोसी देशों से संबंध–वर्तमान सन्दर्भ में कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजा और राजतन्त्र तथा उसकी समस्याओं पर केन्द्रित पुस्तक है और वैसे ही सिद्धानत दिए गए हैं। किन्तु कोई भी अपनी स्थिति का आंकलन करके तदनुसार आचरण करने हेतु कौटिल्य के बताए मार्गों में से अपने लिए सही मार्ग का चुनाव कर सकता है। आजकल यह बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बिना शत्रुता या पूर्व मित्र हुए ही धरती के सुदूर भागों के देश संगठन, संस्थाएँ और व्यक्ति विभिन्न कार्यों के लिए और विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति के लिएकई तरह की संधियाँ कर रहे हैं। जिन्हें करार, इकरारनामा, समझौता, अनुबंध, एग्रीमेंट नाम दिया जाता है।

''विश्व कोविड–19 नामक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है, भारत के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने का एक सुअवसर और देश की नेबरहुड फर्स्ट नीति की प्रासंगिकता को बहाल करने की एक चुनौती है। अपने पड़ोसी देश जो अपेक्षाकृत क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर हैं नई दिल्ली के लिए यह अपनी उदारता और क्षमता का प्रदर्शन करने का यह एक बेहतर अवसर है।''[5]

अगर कौटिल्य के प्रबंधन सिद्धान्तों का गहन अध्ययन करने के बाद उनकी तुलना वर्तमान भारतीय सरकार के प्रबंधन सिद्धान्तों से की जाये तो उनकी क्रियान्विती सहज ही परिलक्षित होती है। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि भारत महामारी से उतना ही त्रस्त है जितना कि दक्षिण एशिया के अन्य देश यदि ऐसी स्थिति में कुछ भिन्न है तो यह है कि पश्चिमी देशों की तुलना में भारत इस महामारी से निपटने में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

यदि भारत कोविड–19 महामारी के प्रबंधन में वर्तमान स्थिति को बनाए रखता है तो इस बात की पूरी सीाावना है कि नई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त होकर उभरेगी।

वर्तमान सरकार ने विदेश नीति में निरन्तरता के तत्त्वों को बनाए रखने के साथ–साथ वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप इसे अधिक गतिशील बनाते हुए प्रथम पड़ोस की नीति को प्राथमिकता देते हुए कौटिल्य के प्रबंधन सिद्धान्तों के 'मण्डल सिद्धान्त' की परिणति परिलक्षित होती है।[6]

इसके तहत पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देते हुए उनके आर्थिक विकास तथा संवृद्धि में भागीदार बनने की प्रतिबद्धता को बल प्रदान किया गया है। पड़ोसी देशों को प्राथमिकता प्रदान करके उनकी आन्तरिक राजनीति में हस्तक्षेप न करते हुए उनके यहाँ क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, निवेश को आगे बढ़ाया जा रहा है।

भारत के अधिकांश पड़ोसी देश छोटे हैं जिसके कारण भारत को लेकर वे सदैव आशंकित रहते हैं तथा कहीं न कहीं भारत के सन्दर्भ में 'बिग ब्रदर सिन्ड्रोम से प्रभावित हैं। ऐसे में पड़ोसी देशों में शान्ति स्थायित्व तथा विश्वासपूर्ण संबंध भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हे। पड़ोसी देशेां के साथ संबंधों की बात की जाए तो वर्तमान में अफगानिस्तान के साथ भारत

के मधुर संबंध है तथा वहाँ क्षमता निर्माण में भारत प्रमुख भूमिका निभा रहा है। परन्तु तालिबान की सक्रियता यहाँ चिन्ता का विषय बनी हुई है। नेपाल के साथ भी भारत के अच्छे सामाजिक, सांस्कृतिक संबंध है, परन्तु नेपाल की आन्तरिक स्थिति तथा यहाँ चीन की मौजूदगी इसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

कौटिल्य के प्रबंधन सिद्धान्त की प्रमुख बातों को व्यवहारिक दृष्टि से वर्तमान में देखा जाए तो भारत के पड़ोसी देशों से संबंधों की नीति में प्रकट दिखाई देते हैं। भूटान के साथ भारत के सदैव मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। तथा वर्तमान में भी ये संबंध प्रगतिशील है। बांग्लादेश एवं म्यांमार के साथ संबंध तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चीन की मौजूदगी यहाँ भी संबंधों को प्रभावित कर रही है।

चीन अपना प्रभाव हिन्द महासागर के व्यापारिक मार्गों पर स्थापित करना चाहता है। ऐसे में चीन, भारत के पड़ोसी देशों को आर्थिक सहायता प्रदान कर यहाँ अपना प्रभाव स्थापित करने की मंशा से भारत को 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' की नीति से घेरने की रणनीति पर कार्य कर रहा है। अतः दक्षिण एशिया में चीन को प्रति संतुलित करने के क्रम में पड़ोसी देशों की भूमिका अत्यन्त बढ़ जाती है।

अपनी सामरिक आवश्यकताओं को साधने के साथ ही दक्षिण एशिया में शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व की स्थापना, आर्थिक विकास व्यापारिक उन्नति, आसियान देशों के साथ व्यापारिक संबंधों की स्थापना तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास एवं सीमा प्रबंधन में इन देशों की महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि भारत अपनी नीति में पड़ोसी देशों को प्राथमिकता एवं वरीयता प्रदान करे।

दक्षिण एशिया में राजनीतिक अस्थायित्व, नृजातीय संघर्ष कनेक्टिवीटी का अभाव जैसी समस्याएँ पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में गतिरोध एवं अविश्वास उत्पन्न करती है। इसके अलावा इन देशों में, चीन का हस्तक्षेप इसे और जटिल बना देता है।[7]

शक्तियों का एक साथ उद्‌भव, मुखर राजनीति ने वैश्विक रणनीतिक हितों को आकर्षित किया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का गुरूत्व केन्द्र एशिया प्रशान्त क्षेत्र के लिए स्थानान्तरण हो रहा है।

अमेरिका अपनी वैश्विक पहुँच को बरकरार रखे हुए है लेकिन चीन द्वितीय विश्व युद्ध के क्रम में नयी आकृति प्रदान करने के प्रयास में एक सामरिक प्रतिद्वन्द्वी के रूप में तेजी से बढ़ रहा है। रूसी चीनी प्रतियोगिता धुंधली हुई है। क्रीमिया बाईट पर पश्चिमी प्रतिबंधों और संसाधनों की गिरती कीमतों के साथ मास्कों में विकल्पों को समायोजित किया गया है। अभी तक रूस के पास पश्चिम एशिया में वापसी के लिए कोई बात नहीं है।

एशिया के लिए कार्यकारी संबंध विवेचनात्मक है। राजनीति संबंधों के एक चालक के रूप में अर्थशास्त्र, सहयोग और प्रतिस्पर्द्धा अभी तक कार्यकारी संबंधों को आगे ले जाने के लिए विरोधाभासों का प्रबंधन करने की जरूरत है।

भारत की आर्थिक वृद्धि ने अपनी शर्तों पर चीन की और सहयोग के लिए अग्रसर हुआ है। सामरिक रोकथाम में भारत को लाने के लिए अमेरिकी किसी भी पहल को कुंड करने के लिए भी तैयार है।

''लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत के विदेश आर्थिक संबंधों की अब शायद सबसे गतिशील दिशा में – एफटीए, सीईपीए, एसएमजीसी, भौतिक सम्पर्क से निपटना हे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी एशिया प्रशान्त क्षेत्र में सुरक्षा संरचनाओं के साथ जुड़ी है।[8] चीन मोदी और राष्ट्रपति ओबामा द्वारा प्रतिपादित एशिया प्रशान्त और हिन्द महासागर के लिए संयुक्त सामरिक दृष्टि एक तार्किक परिणाम है। मुद्रा आधारित सहयोग के अवसर भारत और अमेरिका दोनों को उनके हितों के साथ लाईन में अपने संबंधित नीतिगत विकल्पों के चालक के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं।

उपमहाद्वीप में संबंधों के प्रबंधन से सबक लेते हुए दोनों पक्षों ने पुल विश्वास कमी के लिए आगे कदम रखा है। इस भू सामरिक संबंधों के भविष्य के लिए चतुर और रचनात्मक राजनयिक व्यवस्था की आवश्यकता होगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कौटिल्य द्वारा किये गये शासन एवं प्रशासन प्रबंधन संबंधी कूटनीतिक विचार आज भी उसी प्रकार से प्रासंगिक है, चाहे राजतन्त्र हो या लोकतन्त्र सभी स्थानों पर कौटिल्य द्वारा निर्देशित विचार उपयोगी सिद्ध होते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. उषा मेहता एण्ड उषा ठक्कर, कौटिल्य एण्ड हिज अर्थशास्त्र एस चन्द कम्पनी, नई दिल्ली, 1980 पृ. सं. 20–21
2. आर.के. चौधरी, कौटिल्याज पोलिटिकल आइडियाज एवड इंस्टीट्यूशन चौखंबा संस्कृत सीरिज ऑफिस, वाराणसी 1971 पृ.सं. 57–58
3. प्रो. इन्द्र, अनुवाद, कौटिल्य अर्थशास्त्र, राजपाल प्रकाशन पब्लिशिंग 1996, पृ.सं. – 36
4. प्रोफेसर श्रीकांत प्रसून, चाणकय नीति एवं कौटिल्य अर्थशास्त्र वी.एन.एस. पब्लिशर्स, नई दिल्ली पृ.सं.–6
5. आराधना परमार, टेक्निक्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट स्टडी ऑफ कौटिल्याज अर्थशास्त्र, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली 1987 पृ.सं. – 32
6. उषा मेहता एण्ड उषा ठक्कर, कौटिल्य एवं हिज अर्थशास्त्र एस चन्द एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली 1980, पृ.सं. 20–21
7. आरआर शर्मा एस्पेक्टस ऑफ पोलिटिकल आईडियाज एण्ड इंस्टीट्यूशसं इन एशिया, चौखंबा पब्लिकेशन 1996, पृ.सं. – 191
8. एस.ए. वोलपर्ट कौटिल्य एण्ड विवेकानन्द, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी प्रेस बर्कले, 1987, पृ. सं. 112

❑❑❑

6

पूँजीवादी पितृसत्ता, घरेलू दासता और पुनरूत्पादन के बीच मार्क्सवादी नारीवाद

डॉ. सव्य सांची*

प्रस्तावना

नारीवादी वह है जो महिलाओं का सशक्तीकरण चाहता/चाहती है और जिसके लिए सशक्तीकरण के इस रास्ते में पितृसत्ता सबसे बड़ी बाधा है। महिला अधिकार के हिमायतियों का उदार नारीवादी, रेडिकल और सांस्कृतिक नारीवादी या समाजवादी तथा द्य मार्क्सवादी नारीवादी में वर्गीकरण न केवल इस एकता की अहमियत को कम करके आंकता है बल्कि यह गलत प्रस्तुति भी करता है कि नारीवाद की विचारधारा उदारवाद और समाजवाद की महज सहायक है। यह बात ऐतिहासिक तौर पर सही नहीं है। दरअसल महिला अधिकारों को संबोधित करने में उदारवाद और समाजवाद की विफलता की पृष्ठभूमि में ही नारीवाद का उदय हुआ है।

पितृसत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद करने में नारीवादी एकजुट दिखते हैं लेकिन किसी भी अन्य संतुलित वैचारिक परंपरा की तरह उनके अंदर भी जोर का फर्क दिखता है। यह आलेख नारीवाद के उस रूपांतर पर केंद्रित है जिसे आमतौर पर समाजवादी और मार्क्सवादी नारीवाद के तौर पर समझा जाता है और जिसका उदय 60 के दशक में पश्चिम में उभरे नारीवाद के दूसरे चरण के साथ हुआ। जैसे कि स्पष्ट है महिलाओं को झेलने पड़ रहे विभिन्न तरीकों के शोषण की रेडिकल (आमूल परिवर्तनवादी) समूहों द्वारा की गई अनदखी के चलते ही अंशतः नारीवाद का दूसरा चरण संभव हो सका।

ये नववामपंथी महिलाएं समाजवादी थीं जहां समाजवाद का मतलब उस विचाराधारात्मक परंपरा से था जिसमें काल्पनिक समाजवाद (रॉबर्ट ओवेन, सेंट सायमन और चार्ल्स फूरिए) से लेकर मार्क्सवाद सब कुछ शमिल था। वे लंबे समय से निजी संपत्ति पर हमला बोलने वालों में शामिल थीं तथा समाज को समझने के लिए 'उत्पादन प्रणाली' 'वर्ग' और 'अतिरिक्त मूल्य' जैसी श्रेणियों का इस्तेमाल कर रही थीं।

* असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, आर्य कन्या पी.जी. कालेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

महिलाओं की दासता की स्थिति को समझने की प्रक्रिया में उन्होंने पाया कि काल्पनिक समाजवादियों ने पंजीवाद की अपनी आलाचना में महिलाओं की दोयम स्थिति को शामिल किया था और सामुदायिक जीवन के अपने प्रयोगों में इस बात पर जोर दिया था कि पुरुष तथा महिलाएं दोनों को घर के काम तथा बच्चों के लालन–पालन जैसे कामों में बराबर की हिस्सेदारी करनी चाहिए। मार्क्स ने हालांकि महिलाओं के प्रश्न को प्रत्यक्ष संबोधित करने की कोशिश नहीं की थी और दरअसल, महिलाओं को बराबरी से वोट डालने देने के अधिकार पर चले संघर्ष को महज बुर्जुआ सुधारवादी आंदोलन का ही रूप कहा था। 'शोषण', 'अलगाव' और 'वर्ग' जैसी मार्क्स की धारणाएं महिलाओं की स्थिति को समझने में काफी उपयोगी सिद्ध हुईं। इसके अलावा, 1884 में एंगेल्स द्वारा रचित 'परिवार, व्यक्तिगत संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति' जैसी रचना भी थी जिसमें उसने मार्क्स से विपरीत, महिलाओं के उत्पीड़न के सवाल को ज्यादा योजनाबद्ध ढंग से हल करने की कोशिश की थी। एंगेल्स का कहना था कि महिलाओं की गुलामी के प्रश्न को जीवविज्ञान के बजाय इतिहास में समझना होगा और अपनी रचना में उसने इस उत्पीड़न को स्पष्ट करने की कोशिश की थी।

"भौतिकवादी अवधारणाओं के अनुसार, अंतिम तौर पर इतिहास का निर्धारक तत्व, जीवन के उत्पादन और पुनरुत्पादन में निहित होता है। लेकिन यह दो पहलुओं से गठित होता है। एक तरफ, जीवनयापन, अन्न, कपड़ा और आश्रय के लिए साधन निर्मित करने का प्रश्न होता है और दूसरी तरफ मनुष्यमात्र की स्वयं की उत्पत्ति का प्रश्न, उसकी प्रजाति के आगे बढ़ने का प्रश्न होता है। लोग जिन सामाजिक संस्थाओं के तहत जीते हैं वे दोनों किस्म के उत्पादनों से–जिसमें एक तरफ श्रम के विकास की अवस्था तो दसरी तरफ परिवार के विकास की अवस्था का प्रश्न शामिल होता है–निर्धारित होती है। श्रम का विकास जितना कम होगा और उसके उत्पादन की मात्रा जितनी सीमित होगी लिहाजा उसकी कुल संपत्ति भी सीमित होगी वहां सामाजिक प्रणालियां ज्यादा तौर पर लिंग/यौन के संबंधों के हिसाब से निर्धारित होती दिखेंगी। एंगेल्स का कहना था कि प्रारंभिक किस्म के समाजों में, महिलाएं घरों के अंदर उत्पादन के साधनों पर (अर्थात घरेलू उपकरण और बर्तन) और पुरुष घर के बाहर के अन्य उपकरणों–औजारों पर नियंत्रण रखते हैं। घर के बाहर उत्पादन के अधिकाधिक सघन होते जाने के साथ ही इस क्षेत्र में ज्यादा अधिशेष ैनतचसने) पदा हान लगा। पुरुषों द्वारा इसके हस्तगतकरण की प्रक्रिया में उन्हें महिलाओं की तुलना में अधिक आर्थिक सत्ता प्राप्त हुई। लाजिम था 'कि मातृप्रधान समाजों के पितृसत्तात्मक परिवारों में रूपांतरण को इसने जन्म दिया। चूंकि ऐतिहासिक तार पर घर के बाहर का उत्पादन अधिकाधिक महत्वपूर्ण होता गया है, लिहाजा एंगेल्स के हिसाब से नारी मुक्ति तब तक संभव नहीं थी जब तक महिलाएं घरेलू काम छोड़कर घर के बाहर मजदूरी मिलने वाले काम को नहीं स्वीकारतीं।

समाजवादी नारीवादियां ने न केवल महिलाओं की गुलामी के उदय के–अर्थात महिलाएं एक शापित लिंग का हिस्सा कैसे बनी–एंगेल्स के विश्लेषण को अपनाया बल्कि मार्क्सवादी धारणाओं को लागू करके महिलाएं किस तरह शोषित होती हैं इसको भी समझने की कोशिश

की। समाजवादी और मार्क्सवादी नारीवादियों के लिए इस तरह पितृसत्ता को समझने का सवाल मार्क्सवादी धारणाओं से ही संभव था। यह प्रश्न अभी भी मुंह बाए खड़ा था कि क्या महिलाओं के शोषण को मजदूर वर्ग के शोषण के मॉडल रूप में समझा जा सकता है। साफ था कि पूंजीपति जिस तरह अतिरिक्त मूल्य के दोहन के जरिए मजदूरों का शोषण करता है उसी तरह पुरुष महिलाओं के घरेलू श्रम का कुछ भी मुआवजा दिए बिना उससे लाभान्वित होते हैं।

मार्क्सवादी नारीवाद के प्रमुख परिप्रेक्ष्य

- **घरेलू दासता एवं पूंजीवादी पितृसत्ता**

समाजवादी महिलाएं पूंजीवादी व्यवस्था की विरोधी रही हैं, हालांकि समाजवादी नारीवादी महिलाओं ने पूंजीवादी पितृसत्ता को समझने और बदलने का प्रयास किया है। समाजवादी नारीवादियों का मानना है कि पूंजीवाद और पितृसत्ता एक–दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं, भले ही पुरुष वर्चस्व के रूप में पितृसत्ता पूंजीवाद के पहले से ही उदित होती है लेकिन वह पूंजीवाद के संचालन में मददगार साबित होती है और वह पूंजीवाद द्वारा न केवल समर्थन पाती है बल्कि सुदृढ़ भी होती है।'

प्राकपूंजीवादी समाजों में खेत के साथ घर उत्पादन का स्थान था जिसका बाजार में विनिमय किया जाता था और पुरुष, महिलाएं और बच्चे इस माल के उत्पादन में संयुक्त रूप से भाग लेते थे। औद्योगिक पूंजीवाद के आगमन के साथ, सभी उत्पादन घरों के बाहर फैक्टरियों में किया जाने लगा। अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी के इंगलैंड में प्रारंभिक औद्यागिकीकरण की प्रक्रिया में नई बसाई गई फैक्टरियों में तमाम महिलाएं और बच्चे पुरुषां के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। जैसे–जैसे उत्पादन की यह नई प्रणाली स्थापित होती गई महिलाएं और बच्चे उजरती (हमक) काम की इस प्रक्रिया से बाहर होते गए और यह विचार हावी होता गया कि महिलाओं को घरों में रह अपने 'पति और बच्चों' की देखभाल करनी चाहिए। जो महिलाएं घरों के बाहर अब भी काम करती थीं उन्हें अंशकालिक और कम मजदूरी वाले रोजगारों में ढकेला गया। यह धारणा प्रचलित हाती गई कि महिलाओं की आय पूरक होती है जबकि पुरुष श्रमिक वास्तविक 'जीविकोपार्जन' करते हैं। "औद्योगिक पूंजीवाद के उदय के साथ पुरुष घर के बाहर उजरती मजदूरी की अर्थव्यवस्था में शामिल होते गए और महिलाएं घरों तक सीमित होती गईं।'' इस तरह, 'पूंजीवादी पितृसत्ता के दो विशिष्ट श्रमिकों के रूप में सर्वहारा के साथ गृहिणी का उदय हुआ।

कुछ मार्क्सवादी इस विरोधाभास से दंग से रह गए–पूंजीवाद जहां आमतौर पर सम्बन्धों का वस्तुकरण करता है वहीं इस मामले में वह घरेलू बिना उजरती (दवद्हमक) श्रम निजीकरण कर रहा था। महिलाओं के बिना उजरती श्रम को पूंजी के संचय की प्रक्रिया के साथ जोड़ते हुए उन्होंने इसे समझने की कोशिश की। पूंजीपतियों के मुनाफे की दर तेज होती है जहां घरेलू श्रम अदृश्य सा होता है और श्रमिकों की मजदूरी तय होते वक्त पूंजीपति श्रमिकों के पुनरुत्पादन में उसके योगदान की उपेक्षा कर सकते हैं। मार्क्स ने भी तो उत्पादन के क्षेत्र को प्राथमिकता दी

थी जिसमें उत्पादन के संबंध सबसे ज्यादा अहम समझे गए थे। मजदूर अपनी श्रमशक्ति के जरिए अतिरिक्त मूल्य का निर्माण करते हैं जिसे पूंजीपति मुनाफे के रूप में हस्तगत कर लेते हैं। मार्क्स तो इस श्रमशक्ति के पुनरुत्पादन के महत्त्व के बारे में परिचित थे लेकिन उनका मानना था कि यह पुनरुत्पादन मुख्यतः बाजार में सामने आता है जहां मजदूर अन्न और जीवन की अन्य जरूरतों के लिए अपनी मजदूरी का इस्तेमाल करता है। समाजवादी नारीवादियों ने मार्क्स की इस बात की उपेक्षा करने के लिए आलोचना की कि श्रमशक्ति का पुनरुत्पादन घर के अंदर ही होता है और पुरुष श्रमिक तभी काम कर सकता है जब उसकी पत्नी घर में उसके लिए खाना बनाती है और सफाई करती है। न केवल वह उसका खयाल रखती है और उसकी सेवा करती है बल्कि वह घर की उसकी तमाम जिम्मेदारियां मसलन उसके छोटे बच्चों का लालन–पालन और बुजुर्ग मां–बाप की देखभाल आदि का भी निर्वाह करती है। महिलाओं का घरेलू श्रम इस तरह बहुत अहम होता है मसलन "घरकाम श्रमशक्ति के पुनरुत्पादन से रोज–रोज के तौर पर और पीढ़ियों के स्तर पर भी ताल्लुक रखता है।''

- **पुनरूत्पादन के सम्बन्ध**

समाजवादी नारीवादी 70 के दशक में मार्क्सवादियों द्वारा किए गए घरेलू श्रम के विश्लेषण से भी सहमत नहीं थे जहां इस समूचे प्रश्न को शाब्दिक बहसों तक सीमित किया गया था और जहां इस बात पर भी घमासान मचा हुआ था कि इसे उत्पादन श्रम कहा जाए या अनुत्पादक श्रम और क्या इसमें अतिरिक्त मूल्य पैदा होता है या नहीं। इन नारीवादियों का कहना था कि ये विवाद इस बात का प्रतीक थे कि मार्क्सवादी महिला उत्पीड़न के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं थे सिर्फ इसी बात को प्रमाणित करने में लगे थे कि किस तरह पूंजी संचय के लिए महिलाओं का श्रम जरूरी है। महिलाओं की स्थिति पर खुद को केंद्रित करते हुए समाजवादी नारीवादियों ने इस बात को दर्शाया कि किस तरह पूंजीवादी पितृसत्ता में महिलाएं समाज के पुनरुत्पादन के लिए निहायत जरूरी काम संपन्न करती हैं। जिन घरों में एक साल से छोटा बच्चा हो वहां महिलाओं का घरेलू श्रम प्रति सप्ताह 70 घंटे से 77 घंटे तक पहुंचता है और महिलाएं भले घर के बाहर काम करती हों तब भी इसमें कोई कमी नहीं आती। पुनरुत्पादन के संबंध जहां इस किस्म के विषम वातावरण में फलते–फूलते हों वहां प्रति सप्ताह इतना लंबा काम करते रहने के बावजूद महिलाओं के इसके लिए वतन या अन्य किसी रूप में कोई मुआवजा भी नहीं मिलता। साफ था कि चाहे इस श्रम को उत्पादक या अनुत्पादक श्रम की श्रेणी में बांट दिया जाए या लिंग द्वारा प्रभावित उत्पादन (मग.ंमिबजपअम) कहा जाए, यह एक प्रकार का शोषण था।

- **घरेलू दासता**

सर्वहारा के साथ महिलाओं की स्थिति की तुलना करते हुए समाजवादी नारीवादियों को इस बात का एहसास हुआ कि पत्नियों की अधीनता की हकीकत के जरिए मजदूरों के साथ हो रहे अन्यायपूर्ण व्यवहार पर रोशनी डाली जा सकती है। वैवाहिक संबंधों की संरचना को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि जब कोई महिला पत्नी बनती है, वह अपने समूचे व्यक्तित्व और सेवाएं

पति को अर्पण करती है। समस्या महज यह नहीं होती कि पत्नी एक बिना उजरती श्रमिक होती है बल्कि उसका समूचा व्यक्तित्व जिसमें उसका शारीरिक वजूद और उसकी क्षमताएं शामिल हैं वे सभी विवाहकाल के दौरान पति की सेवा में हाजिर रहती हैं। पति की सत्ता इसी बात में अंतर्निहित होती है कि वह पत्नी के व्यक्तित्व और उसके घर काम सभी पर नियंत्रण रखता है। जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में घरेलू हिंसा और वैवाहिक बलात्कार जैसी चीजों के खिलाफ कोई कानूनी या अन्य किस्म का प्रभावी उपाय ढूंढा नहीं जा सका है।

उसी तरह चूंकि श्रमशक्ति को उस श्रमिक के व्यक्तित्व से (जो उसे बेच रहा है) अलग नहीं किया जा सकता, लिहाजा पूंजीपति की सत्ता इस बात पर आधारित होती है कि वह काम के घंटों के दौरान श्रमिक के व्यक्तित्व पर नियंत्रण रखे। उत्पीड़न का यह स्वरूप–अतिरिक्त मूल्य के दोहन के रूप में शोषण नहीं जिसमें अधीनता का प्रश्न प्राथमिक होता है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में विशेष स्पष्ट होता है। "नियोक्ता अर्थात मालिक और पति दोनों को श्रमिक और पत्नी के शरीरों पर नियंत्रण का अधिकार होता है। महिलाओं को आजादी तभी तक हासिल नहीं हो सकती, जब तक महिलाओं को घरकाम के पैसे नहीं मिलते (मजदूरों को तनखाह मिलती है ना !) या तब तक जब तक सभी महिलाएं घर के बाहर काम करने नहीं निकलती और इसके जरिए विवाह संस्था की संरचना और लिंगों के बीच अन्य अंतरंग अंतर्वैयक्तिक संबंध (पदजमतचमतेवदंस) नहीं बदलते। विवाह एक तरह से अधीनता का संबंध है भले ही कई महिलाएं स्वेच्छा से इसे अपनाती हों। नारी आंदोलन ने कानूनों, मसलन शादीशुदा महिलाओं को संपत्ति में हक दिलाना, बच्चों की देखरेख और उनके लालन–पालन में महिलाओं का अधिकार दिलाना और पति द्वारा बलात्कार के जरिए अधीनता की इस संरचना को प्रभावित करने की लगातार कोशिश की है।

- **मार्क्सवादी नारीवाद में अलगाव**

ऊपर हमने समाजवादी नारीवादियों के इस तर्क की चर्चा की जिसमें यह कहा गया था कि महिलाएं समाज के पुनरुत्पादन में जो योगदान करती है और उन्हें जितना कम मुआवजा मिलता है महज उस पर जोर देना काफी नहीं होगा, बल्कि इस बात को भी समझना उतना ही जरूरी है कि महिलाएं पुनरुत्पादन का यह काम अधीनता की स्थिति में करती हैं। समाजवादी नारीवादियों का यह दावा है कि पुनरुत्पादन के संबंधों की विषम संरचना महिलाओं के अलगाव को जन्म देती है। जिस तरह अपने श्रम के उत्पाद से, अपनी श्रमशक्ति से, अपने सहकर्मी श्रमिकों से श्रमिकों का अलगाव होता है उसी तरह महिलाएं जिस स्थिति में घर में काम करती हैं उसमें उनको भी अलगाव का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर संतान चाहने या न चाहने का निर्णय उन पर लादा जाता है और संतानोत्पत्ति तथा बच्चों के लालन–पालन की प्रक्रिया पुरुष विशेषज्ञ मंडली द्वारा नियंत्रित होती है जबकि महिलाओं को महज इस बात का जिम्मेदार समझा जाता है कि यह संतानें कैसी विकसित होती हैं। अकसर एकल परिवारों में महिलाएं खुद बच्चों के लालन–पालन के बेहद थकाऊ काम को अंजाम देती हैं। इसी पृष्ठभूमि में, यह आश्चर्यजनक नहीं लगता कि महिलाएं इस किस्म के वक्तव्य देती हैं, "मैं उन्हें (मेरे बच्चों को)

जिंदगी से ज्यादा चाहती हूं और मुझे लगता है कि वे मुझसे हमेशा के लिए दूर निकल जाएं। महिलाएं अकसर अपने बच्चों से असंतुष्ट दिखती हैं और अलगाव भी महसूस करती हैं और समाजवादी नारीवादी इस बात की ओर इशारा करके कहती हैं कि जिन परिस्थितियों में बच्चों के लालन–पालन का काम होता है उन स्थितियों के चलते ही अलगाव पैदा होता है।

न केवल महिलाएं मां बनने की अपनी क्षमता से अलगाव में पड़ती हैं बल्कि वे अपनी यौनिकता से भी अलगाव महसूस करती हैं। महिलाएं पाती हैं कि उनका अपनी यौनिकता पर कोई नियंत्रण नहीं है और उस पर उनका अपना अधिकार होने के बजाय वह कुल मिलाकर पुरुषों की मौजमस्ती का ही साधन है। पुरुषों द्वारा उनकी अपनी अस्मिता को उनके शरीर के मांसल हिस्सों तक सीमित करने की धारणा को महिलाएं चुपचाप स्वीकारती हैं। इसके चलते वे अपने शरीर को दुर्दम्य प्रकृति की तरह देखती है जिस पर 'सुंदरता' बढ़ाने के विभिन्न उपायों के जरिए काबू किया जाना चाहिए। इस –तरह अपने शरीर से अलगाव के चलते महिलाएं एक–दूसरे से भी अलगाव में पड़ती है चूंकि उनके अंदर पुरुषों के यौन आकर्षण को पाने की होड़ मचती है। महिलाएं एक दूसरे की मदद भी करती हैं लेकिन वे इस बात का ध्यान रखती हैं कि अन्य महिलाओं के साथ उनके रिश्ते सीमाओं के भीतर ही रहें और किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध पर उसका असर ना पड़े।

- **रोजगार में युक्त महिलाओं का उत्पीड़न**

महिलाओं को घर के अंदर अधीनता, अलगाव और शोषण का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन महिलाओं का क्या जो घर के बाहर काम करती हैं? समाजवादी नारीवादियों ने सबसे पहली बार इस बात को रेखांकित किया कि घर के बाहर काम करने वाली महिलाएं मजदूरी के लिए काम करती हैं। मजदूर वर्ग की उत्पत्ति के समय की मेहनतकश तबके की महिलाएं, काम करती रही हैं भले ही धीरे–धीरे उन्हें कम मजदूरी वाले कामों की ओर ढकेला जाता गया है। चूंकि आमतौर पर वे सेक्रेटरी, क्लर्क या नर्स जैसे ज्यादातर दोयम दर्जे के कामों में ही संलग्न रहती रही हैं, लिहाजा न केवल वे कम कमाती रही हैं बल्कि उन्हें काम के स्थानों पर यौन प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ता रहा है। यौन प्रताड़ना के मुददे के इर्द–गिर्द ट्रेड यूनियनों को संगठित करना भी काफी मुश्किल काम साबित होता रहा है।

पारंपरिक तौर पर, ट्रेड यूनियनें महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा करती रही हैं, जो इस बात से भी स्पष्ट होता है कि वे 'पारिवारिक वेतन' की मांग करती रही हैं। इसका अर्थ यही है कि श्रमिक की तनख्वाह महज उसकी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं बल्कि उस पर निर्भर उसकी पत्नी और बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए काफी होनी चाहिए। यह धारणा कई स्तरों पर महिलाओं के प्रति अन्यायपूर्ण दिखती है। भले ही तनख्वाह बढ़ जाए फिर भी इस बात की गारंटी कहां है कि पुरुष अपने ऐशोआराम को छोड़कर उसे परिवार के कल्याण पर खर्च करे। ट्रेड यूनियनों का भी यही निहितार्थ था कि महिलाएं पत्नियां हों "चूंकि तनखाह या मजदूरी को पारिवारिक वेतन समझने की धारणा रही है लिहाजा महिलाओं की आय को पति की आय के पूरक के तौर पर ही माना जाता रहा है। महिलाओं को पत्नियों के रूप में ही देखा गया है

जिसका मतलब है कि पत्नियां अपने पति पर आर्थिक तौर पर निर्भर समझी जाएंगी जिन्हें घरेलू काम के बदले जीवन निर्वाह के साधन मिलेंगे। इस तरह वेतन का मसला लैंगिक आधारों पर विभेदीकरण का शिकार होता है। महिला श्रमिकों को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है और इस तरह महिलाएं पत्नियां बन सकें इसका एक आर्थिक आकर्षण भी बनाए रखा जाता है पारिवारिक वेतन पर जोर की रणनीति के जरिए पुरुष उजरती काम के विभिन्न क्षेत्रों से महिलाओं को अलग–थलग करने में और घर के अंदर मालिक तौर पर पुरुष की स्थिति को मजबूत करने में सफल हो सके। इसके अलावा, ट्रेड यूनियनों ने एकल महिलाओं की जरूरतों की सीधे–सीधे उपेक्षा की है फिर भले वे अविवाहित हों या आमतौर पर जैसे कि स्थिति दिखती है चूंकि वे अलग रहती हों या तलाकशुदा हों। बिना किसी रोजगार या गायब पति के बिना वे कैसे जिंदा रहेंगी यह कभी उनकी चिंता का विषय नहीं रहा है। यहां हम समाजवादी नारीवादियों की यह मांग कि महिलाओं को ज्यादा और बेहतर नौकरियां उपलब्ध होनी चाहिए और श्रमिकों के वेतन को लेकर ट्रेड यूनियनों के रुख के बीच व्याप्त खाई को देख सकते हैं।

- **तार्किक दृष्टिकोण**

किसी तटस्थ निर्लिप्त प्रेक्षक के दृष्टिकोण से ही ज्ञान के बारे में साधिकार कुछ कहा जा सकता है ऐसी उदारवादी धारणा का समाजवादी नारीवादी ज्ञानमीमांसा खंडन करती है। ऐसा कोई तटस्थ दृष्टिकोण हो ही नहीं सकता क्योंकि सभी सिद्धांत विशिष्ट हितों और मूल्यों का प्रतिबिंबन करते हैं और इसी तरह उदारवाद बुर्जुआ के हितों के साथ मेल खाता है। जिस तरह मार्क्सवादी यह दावा करते हैं कि एक सार्वभौमिक वर्ग होने के नात सर्वहारा यथार्थ को ज्यादा समग्र तरीके से देख सकता है उसी तरह समाजवादी नारीवादा यह दावा करते हैं कि महिलाओं का विशिष्ट सामाजिक अनुभव यथार्थ पर उनकी पर्याप्त पकड बनाता है। महिलाओं के जो अनुभव होते हैं उनके जरिए जो अंतर्दृष्टि मिलती है वह परुषों द्वारा की गई यथार्थ की व्याख्या से मेल नहीं खाती और इस प्रक्रिया के जरिए वह सराग मिल सकता है कि किस तरह महिलाओं के दृष्टिकोण से सच्चाई की व्याख्या की जाएः "मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत सर्वहारा के जीवन की तरह, महिलाओं का अपना जीवन पुरुष वर्चस्व की एक विशिष्ट और विस्तृत अनुकूल अवस्थिति की ओर ले जाता है। यह अनुकूल अवस्थिति पितृसत्ता के पूंजीवादी रूप की तीखी आलोचना प्रस्तुत करती है।

ये नारीवादी, महिलाओं के उन वर्तमान विश्वासों और प्रवृत्तियों का महिमामंडन नहीं करती हैं जिन पर पितृसत्तात्मक विचारधारा का वर्चस्व होता है, और जो महत्वपूर्ण तरीके से रोजमर्रा के जीवन के पितृसत्तात्मक ढांचे से प्रभावित होते हैं। नारीवादी ज्ञानमीमांसा को भी राजनीतिक संघर्षों के जरिए विकसित करना होगा। हार्डस्टॉक का कहना है कि यह "महिलाओं की बनिस्पत नारीवाद का दृष्टिकोण है क्योंकि सर्वहारा के अनुभव की तरह, एक दमित समूह होने के नाते महिलाओं का अनुभव और गतिविधियों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। नारीवादी दृष्टिकोण इन अनुभवों में निहित मुक्ति की संभावनाओं को चुनकर उन्हें विस्तारित करता है। 12 नारीवादी दृष्टिकोण को आधार बनाते हुए, जो मिसाल के तौर पर

संतान जनने से लेकर संतान के लालन–पालन जैसी महिलाओं की गतिविधियों के बारे में सोच से पैदा होता है और जिसमें अंतिम प्रस्तुति के तौर पर एक संतान सामने आती है जो दोनों का हिस्सा होती है उसके बारे में सिद्धांतकारों ने आजादी तथा नागरिकता के नए सिद्धांतों के अलावा एक गैरद्वंद्वात्मक अधिभूतवाद (दवद.कनंसपेज उमजंचीलेपबे) विकसित किया है।

पिछड़े एवं विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य में मार्क्सवादी नारीवाद

भारत जैसे विकासशील देश में वर्ग और गरीबी जैसे मुद्दों की ज्यादा अहमियत दिखती है जिसकी सीधी वजह यही है कि यहां गरीबी ज्यादा फैली हुई है और निरपेक्ष रूप में देखा जाए तो ज्यादा पीसाने वाली है। पश्चिम के समाजवादी नारीवादियों की तरह कई सारे भारतीय नारीवादी वर्ग के मुद्दों के बारे में ज्यादा सचेत दिखते हैं और इसी बात पर खुद को केंद्रित करते हैं कि मजदूर वर्ग की और गरीब महिलाएं किस तरह दोहरे शोषण की शिकार होते हैं।

तीसरी दुनिया की महिलाओं पर पूंजी के विश्वीकरण की प्रक्रिया के असर का समाजवादी नारीवादियों ने विश्लेषण किया है। लेस (Lace) बनाने के भारतीय उद्योग के विस्तार का अध्ययन करते हुए मारिया मीस का एक अध्ययन बताता है कि किस तरह वैश्विक बाजार के लिए लेस बनाने के भारतीय महिलाओं के काम का यह कहकर अवमूल्यन किया गया है कि यह फुरसत के समय में संपन्न किया जाने वाला काम है। लेस बनाने के उनके काम को 'खाली' समय में उनके द्वारा अंजाम दिये जाने वाले काम के रूप में देखा जाता है जबकि वे ठेकेदार जो इस लेस को बेचने के सौदे संपन्न करते हैं उन्हें इसमें श्रमिक के तौर पर देखा जाता है। प्रचंड कुशलता की मांग करने वाले इस काम के लिए महिलाओं को मामूली सी मजदूरी मिलती है।

पूंजीवादी औद्योगिकीकरण का एक दूसरा प्रभाव पर्यावरण की तबाही के रूप में भी सामने आया है जिसके नतीजे के तौर पर गरीब आदिवासी महिलाओं का शोषण बढ़ा है जिन्हें जलावन और चारा जुटाने के लिए, जो उनकी जिम्मेदारी समझी जाती है, कई मील और चलना पड़ता है। जंगल की तबाही के कारण या सरकार द्वारा जंगल प्रवेश पर लगाई गई पाबंदियों के कारण जलावन के लिए लकड़ी तथा जंगल से अन्य जरूरी चीजें जुटाने में उनकी अक्षमता के चलते आदिवासी समुदायों में पहले से उन्हें मिलने वाले सम्मान में कमी आई है।

भारत में ज्यादातर महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं–संगठित क्षेत्र में छह प्रतिशत से कम महिलाएं काम करती हैं–मिसाल के तौर पर, कृषि मजदूर, घरेलू नौकर और निर्माण मजदूर के तौर पर वे काम करती हैं। फैक्टरियां, खदानें और बागान संगठित क्षेत्र में काम पाने के तीन मुख्य स्रोत समझे जाते हैं। भारत की आजादी के बाद फैक्टरियों में महिलाओं के रोजगार के हिस्से में 20 फीसदी से कमी आई है और खदानों में तो यह कमी 47 फीसदी से ज्यादा है। असंगठित क्षेत्र में जो काम मेहनतकश तबके की महिलाओं को मिलते भी हैं वहां उनकी मजदूरी पुरुषों से काफी कम होती है। कृषि मजदूरों में, उदाहरण के लिए, औरतों को पुरुषों की मजदूरी का 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक मिलता है। जबकि वे पुरुषों से कही अधिक कठोर श्रम के काम करती है।

इस अत्यंत बड़े असंगठित क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत में समाजवादी नारीवादियों ने घरों से काम करने वाली महिलाओं को संगठित करने के प्रयास किए हैं, महिला खेतिहर मजदूरों के लिए खासतौर से जमीन के स्वामित्व की मांगें उठाई है, जैसे कि बोधगया संघर्ष में हुआ, और महिला मजदूरों की ट्रेड यूनियनें बनाने के प्रयत्न किए है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Freidrich Engels. “The Origin of the Family, Private Property and the State", Preface to the First Edition, Moscow, Foreign Languages Publishing House, 1943, pp 13-14.
2. Zillah Eisenstein, 'Developing a Theory of Capitalist Patriarchy and Socialist. Feminism', in Z. Eisenstein, ed. *Capitalist Partiarchy and the Case for Socialist Feminism,* Monthly Review Press, 1979, p.5.
3. S. Himmeleit & S. Mohun, Domestic Labour and Capital,' Cambridge Journal of Economics, 1977. No. 1, p. 16.
4. See C. Pateman, *“The Sexual Contract,”* Stanford; California University Press, 1988, pp. 128-9.
5. A.M. Jaggar, **“Feminist Politics and Human Nature,"** Harvester Press, 1983, p. 314.
6. *N. Hartsock, “Money, Sex und Power: Towards a Feminist Historical Materialisms, "Longman, 1983, p. 231.*
7. *Ibid., p. 232. See M. Mies, The Lace makers of Naraspur: Indian Housewives Produce for the world Market, London, Led Books, 1982.*
8. Nancy Hartsock, “Money. Sex and Power - Toward a Feminist Historical Materialism. Longman. 1983.
9. C. Pateman', *The Sexual Contruct,* Stanford, California University Press, 1988, Chapter-5.
10. A.M. Jagger, *Feminist Politics and Human Nature,* Harvester Press, 1983.
11. S. Rawbotham and S. Mitler, ed. “Dignity and Daily Bread: New Forms of Economic Organising among Poor Women in the Third World and the First.”

❑❑❑

7

भारतीय महिलाएं एवं आर्थिक उदारीकरण

शालिनी मिश्रा*

प्रस्तावना

हर समाज में खासकर भारतीय समाज में वर्ग, जाति, लिंग, समुदाय और प्रादेशिक भिन्नताएं मौजूद हैं और उदारीकरण की प्रक्रिया व ढांचागत समायोजन कार्यक्रम सरकार की जानी–बूझी नीतियों का परिणाम है। इस प्रक्रिया का समाज के अलग–अलग अंगों पर जो प्रभाव पड़ेगा वह काफी हद तक सरकार के स्वरूप और राजसत्ता और उनके संबंधों पर निर्भर करेगा। उदारीकरण व ढांचागत समायोजन नीतियों के प्रभाव के अध्ययन के संदर्भ में हमें ध्यान में रखना होगा कि भारत एक तीसरी दुनिया का देश है और काफी समय तक उपनिवेश रहा है। मानव विकास और जेंडर सूचकांक में भारत की स्थिति काफी नीचे है। इस संदर्भ में भारतीय समाज के हाशिए पर के वर्गों पर नई आर्थिक नीतियों के असर का अध्ययन उपयोगी होगा।

सरकार और उद्योग पूरे जोश से विदेशी पूंजी निवेश का आकर्षित करने में लगे हैं। इसमें शक नहीं कि इससे समाज के एक विशिष्ट, संपन्न वर्ग को लाभ होगा, लेकिन जो पहले से ही हाशिए पर खड़े हैं उनकी क्या स्थिति होगी? जैसा कि कुरियन ने इंगित किया है कि अर्थव्यवस्था को केवल सकल घरेलू उत्पाद और उससे आकर्षित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था में हाशिए पर के लोगों की जरूरतों पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। वर्तमान अर्थव्यवस्था की उदारीकरण और ढांचागत समायोजन नीतियों का विभिन्न वर्ग, जाति व प्रदेश की महिलाओं पर क्या असर पड़ रहा है इस अध्याय में हम इसका अध्ययन करेंगे।

हाल के वर्षों में उदारीकरण व ढांचागत समायोजन कार्यक्रमों को हर आर्थिक समस्या के हल के रूप में देखा जा रहा है। इनके निहितार्थ क्या हैं? यों तो यह कार्यक्रम 1980 के दशक में ही शुरू हो गए थे परंतु इनका प्रभाव 1990 के दशक में सामने आना शुरू हुआ।

* शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।

उदारीकरण का अर्थ है औद्योगिक विनियमन और बाजार का पूरी तरह खोला जाना जिससे कि अर्थव्यवस्था में सरकार की बजाय बाजारी शक्तियां हावी हो जाएं। बाजार को सुरक्षित रखने तथा आयात के विकल्प खोजने की बजाय महसूस किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को निर्यातोन्मुखी बनाया जाए। इसमें निहित था–विदेशी व्यापार का उदारीकरण, चुंगी व कर में कमी, रुपए का अवमूल्यन और निर्यात, खासकर कृषि उत्पादों के निर्यात से सारे प्रतिबंध हटाना। ढांचागत समायोजन वह प्रक्रिया है जिससे अर्थव्यवस्था में भीतरी और बाहरी समायोजन किए जाते हैं। भारत सरकार ने देश के लिए यही प्रक्रिया चुनी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत इन नीतियों को मानने के लिए बाध्य है क्योंकि यह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा–कोष की ऋण–शर्तों में है, जो ऋण 1991 में भारत सरकार को देश के दीर्घकालीन विकास के लिए लेना पड़ा। शर्तों में यह भी है कि भारत अपना वित्तीय घाटा कम करे। सार्वजनिक पूंजी निवेश न करे और समाज कल्याण पर ज्यादा खर्च न करे, सब्सीडी कम करे, तथा गरीबी कम करने वाले कार्यक्रमों पर खर्चे में कटौती करे। भारत जैसे तीसरी दुनिया के देश पर इन सब नीतियों का क्या असर पड़ेगा, अनुमान लगाना कठिन नहीं है। इनमें से अनेक सुधार भारत सरकार धीरे–धीरे लागू करती रही है और समाज के विभिन्न अंगों पर इनका दूरगामी प्रभाव पड़ा है। इस लेख में हम वंचित वर्ग की महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे।

लिंग आधारित श्रम विभाजन

इससे पहले कि हम महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करें हमें यह भी देखना होगा कि महिला होने के नाते उन्हें कितने भेदभावों का सामना करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, पितृसत्तात्मक विचारधारा को भी समझना होगा जो आज की अर्थव्यवस्था से नजदीकी से जुड़ी हुई है। समाज में काम का लैंगिक विभाजन, जिसमें महिला का क्षेत्र घर है और पुरुष का बाहर काम करके रोजी–रोटी कमाना, आज के युग में शाब्दिक महत्व के अलावा कुछ नहीं है। निम्न वर्ग को छोड भी दें, जहां यह आर्थिक आवश्यकता है, तो भी मध्यम व उच्चमध्यमवर्गीय तथाकथित पारंपरिक घरानों में भी कामकाजी बहू, चाहे वह शिक्षिका हो, व्यवसायी या फिर राजनीतिज्ञ, को स्वीकार किया जाता है। और उन शादी–ब्याह के विज्ञापनों का क्या कहें जो डॉक्टर या इंजीनियर बहू की कामना करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, लेकिन दूसरी ओर कपड़े धोने की मशीन, फ्रिज, तैयार मसाले, कपड़े धुलाई के साबुनों के विज्ञापनों को महिलाओं की मुक्ति के साधनों के रूप में दिखाना महिलाओं की घरेलू भूमिका को और मजबूत बनाता है। हो सकता है उन महिलाओं के घरेलू कामकाज का बोझ इनसे कम होता हो जो इन्हें खरीदने की सामर्थ्य रखती हैं। आपको याद होगा एक फ्रिज के विज्ञापन में कपिलदेव का मेहमानों से कहना "क्या पुरुष नहीं खाना बना सकते ?" एक ओर तो वह उन लोगों की आलोचना सी करते दिखता है जो लिंगीय आधार पर श्रम विभाजन की समर्थन करते है दूसरी ओर वह पत्नी द्वारा पकाई गोभी की सब्जी ढूंढता है।

महिलाएं जब बाहर काम खोजती हैं तो उन्हें कुछ ऐसे ही काम दिए जाते हैं जो उनके घरेलू कामों का विस्तार हों जैसे शिक्षिका, नर्स, रिसेप्शनिस्ट आदि। रोजगार बाजार में और उद्योग क्षेत्र में भी श्रम विभाजन स्पष्ट दिखता है। महिलाओं को वस्त्र व खाद्य उद्योगों एवं इलेक्ट्रानिक उद्योगों में काम मिलता है जबकि स्टील, मशीनरी व भारी उद्योगों में पुरुषों को। जिन उद्योगों में महिलाओं को काम मिलता भी है उसमें भी उनके काम तय से हैं जैसे सफाई, तैयारी, सामान की पैकेजिंग, निरीक्षण, सिलाई आदि अधिकतर शारीरिक मेहनत वाले काम, जिनको अकुशल या अर्धकुशल काम माना जाता है। इनमें मेहनत काफी होती है और उतना मेहनताना नहीं मिलता। कोई मशीनी सहायता भी उपलब्ध नहीं होती। हालांकि भिन्न–भिन्न उद्योगों में उन्हें दिए जाने वाले कामों में अंतर दिखता है पर उससे केवल यही सिद्ध होता है कि यह श्रम विभाजन मानव निर्मित है, सार्वभौमिक या स्वाभाविक नहीं। उसमें समानता कुल इतनी है कि जो काम खासकर या केवल महिलाएं करती हैं उसे कम कुशल ठहराकर कम पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं का ज्यादा अनुपात है इसलिए आमतौर से उनको पारिश्रमिक पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम मिलता है। कानून के होते हुए भी यूनियनों के अभाव के कारण बराबर के काम के लिए बराबर का मेहनताना दिलाने के लिए लड़ने वाला कोई नहीं होता। महिलाओं को कम वेतन मिलने का एक कारण भी है कि उनकी आय को पारिवारिक आय का मुख्य स्रोत नहीं माना जाता। यह माना जाता रहा है कि घर पुरुष की कमाई से चलता है इसलिए महिला भी घर की मुखिया हो सकती है इस संभावना से इनकार किया जाता है। यह भी माना जाता रहा है कि महिलाओं के श्रम की तभी जरूरत होती है जब अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता हो। यदि इस सारे संदर्भ पर नजर डालें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती कि महिला का अधिकांश श्रम अदृश्य ही रहता है और सरकारी एजेंसियां उनके रोजमर्रा के कामों को काम में नहीं गिनती जबकि महिलाओं के अवैतनिक और वैतनिक कार्य दोनों ही का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

जब हम जनगणना रिपोर्ट पर नजर डालते हैं तो हमें वहां भी महिलाओं के श्रम का सही लेखा–जोखा नहीं दिखता। 1961 की जनगणना में काम की काफी विस्तृत परिभाषा ली गई थी और जनगणना में महिलाओं के काम की काफी भागीदारी दिखी लेकिन वहां भी केवल वैतनिक काम को ही काम माना गया था। फिर 1971 की जनगणना में एक बार फिर महिलाओं की भागीदारी कम दिखी। इसका आंशिक कारण यह था कि जनसंख्या का विभाजन कामकाजी और गैरकामकाजी दो श्रेणियों में किया गया था और चंकि महिलाओं के काम को हाशिए पर रखा जाता है और महिलाएं स्वयं भी अपने घरेलू काम को गैरकामकाजी श्रेणी में रखती हैं, उनके किसी काम की गिनती नहीं हुई, जबकि उनका घरेलू काम के अलावा पारिवारिक उद्योग धंधों में भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अतः जिस काम का उन्हें पारश्रमिक नहीं मिलता था या थोड़ी बहुत आमदनी होती भी थी उसका भी लेखा–जोखा जनगणना में नहीं आया। 1981 की जनगणना इन कामों की पहचान बनी अतः उनमें फिर महिलाओं की अपेक्षाकृत ज्यादा भागीदारी दिखती है।

नेशनल सैंपल सर्वे (एन.एस.एस.) ने अपने सर्वे में महिलाओं के कई अदृश्य कामों की गिनती भी की। अतः वहां कामकाजी महिलाओं की संख्या ज्यादा बढ़ी हुई दिखती है। एन.एस. एस. ने अनेक उत्पादक कामों को इनमें शामिल किया। उनमें से अनेक उत्पाद तो बाजार में बिकते भी नहीं हैं, लेकिन उनका उत्पादन घरेलू उपभोग के लिए किया जाता है। फिर भी उत्पादक कामों की सूची अभी भी अपूर्ण है। इनमें उनके श्रम को नहीं गिना जाता जो इन उत्पादों को तैयार माल में बदलते हैं। महिलाओं के तमाम पारिवारिक काम जो समाज की अगली पीढ़ी के सृजन से संबंधित हैं, उनकी गिनती भी उत्पादक तथा आर्थिक दृष्टि से उपयोगी कामों में क्यों नहीं की जाए।

महिलाओं के अधिकतर कामों को हाशिए पर रखा जाता है और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं 96 प्रतिशत हैं। इनके अधिकतर काम अकुशल श्रेणी में रखे जाते हैं तथा वेतन तो कम मिलता ही है, आगे तरक्की की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। नियमित आय वाले रोजगारों में केवल 15 प्रतिशत महिलाएं हैं, संगठित क्षेत्र में 55 प्रतिशत महिलाएं सेवा के क्षेत्र में हैं और निर्माण व उत्पादन क्षेत्रों में 30 प्रतिशत से भी कम हैं। उन्हें अधिकतर श्रम प्रधान काम मिलते हैं और वह भी काम की घटिया परिस्थितियों में। काम छूट जाने का भय, आय का और कोई जरिया न होने तथा काम के वैकल्पिक मौकों के अभाव में वह काफी कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाती हैं। उनके कुछ कानूनन अधिकार बनते भी हैं तो उनके लिए वह जोर नहीं डाल पाती हैं। अधिकतर क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन कानून भी लागू नहीं होता। फिर भी ट्रेड यूनियन आंदोलन और श्रमिकों के संघर्ष के फलस्वरूप श्रमिकों के एक वर्ग को बेहतर वेतन व रोजगार सुरक्षा मिल सकी है। यह अमृता छाछी तथा कुछ अन्य लोगों के मुंबई और दिल्ली में कई उद्योगों में किए गए अध्ययन से निकलकर आया ऐसा शहरी क्षेत्र में हुआ है खासकर परिवहन और बैंकिंग में।'

उदारीकरण के उपरान्त की अवस्था

आज आर्थिक प्रगति और समाज कल्याण के बीच विरोधाभास को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहले सामाजिक सेवाओं और राष्ट्र का कल्याणकारी ढांचा चाहे, वह कितना ही अपर्याप्त हो, आम जन का अधिकार था जिसे उन्होंने काफी मेहनत से हासिल किया था। लेकिन हाल के वर्षों में यह धीरे–धीरे कमतर होता जा रहा है। आज जब रहन–सहन और विकास का सूचकांक काफी नीचे है तब ऐसा होना कोई अच्छी स्थिति नहीं है।

भारतीय राज्य सदा ही उच्चवर्ग प्रधान और पितृसत्तात्मक रहा है, दिलचस्प बात यह है कि इसमें कई रुचिकर कोण देखने में आ रहे हैं। आज विश्व बैंक इस बात पर जोर दे रहा है कि ढांचागत समायोजन विकास में भी मानवीय दृष्टिकोण का ध्यान रखा जाए। गरीबी हटाओ कार्यक्रम और सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में खर्चे बढ़ाए जाने का सरकारी दावा उस समय झूठा सिद्ध हो जाता है जब हम कीमतों के सूचकांक पर नजर डालते हैं। साथ ही साथ सरकार, महिला व जनांदोलनों की शब्दावली को वरण करके अपने दावों की हिमायत में इस्तेमाल कर रही है। कहा जा रहा है कि महिलाओं के सशक्तीकरण और उनकी गरीबी कम करने के लिए सरकार अनेक

योजनाएं बना रही है। वास्तविकता यह है कि विशालकाय आर्थिक नीतियों से महिलाओं और निर्धन वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। निराशाजनक स्थिति उस समय और स्पष्ट दिखती है जब हम गरीबी, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच व बेरोजगारी के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। पहले थोड़ा–बहुत जो काम सामाजिक क्षेत्र में गरीबी हटाओ कार्यक्रम व ग्रामीण विकास के नाम पर हो रहा था, नई नीतियों के आने से उस खर्च में भी कटौती हो रही है, जिससे स्थिति बदतर हो रही है।

उदारीकरण और ढांचागत नीतियों से जिन बदलावों और प्रक्रियाओं का निरीक्षण एवं उन पर वाद–विवाद चल रहा है उनको निम्न श्रेणियों में रखा गया है :

- श्रम का लचीलापन,
- श्रम का अनौपचारीकरण,
- श्रम का महिलाकरण,
- निजीकरण

श्रम का लचीलापन

हाल में उत्पादन और श्रम बाजार में जो लचीलापन दिखाई दे रहा है वह एक महत्वपूर्ण बदलाव है। आमतौर पर पहले उत्पादन के तंत्र में छोटी–छोटी इकाइयां काम करती थीं और उनमें काम का स्पष्ट विभाजन था। बाद में उन पार्ट और पुों को जोड़ने का काम बड़ी इकाई में होता था। इसे 'फोर्डिस्ट उत्पादन व्यवस्था' का नाम दिया गया था। आज इनकी जगह छोटी–छोटी विकेंद्रित इकाइयां ले रही हैं। जहां अलग–अलग छोटी इकाइयों में काम होता है और उपठेका देने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में लचीले श्रम की आवश्यकता है और इससे स्थायी कर्मचारियों के पीस–रेट तथा अंशकालीन एवं अस्थायी कर्मचारी में बदलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इससे न्यूनतम वेतन और न्यूनतम सुरक्षा लाभ का कानून लागू करना और मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि अमृता छाछी तथा अन्य ने बताया है कि भारत में हमेशा से एक लचीला श्रम बाजार रहा है और अधिकतर श्रमिक इन कानूनों और श्रम बाजार के नियमों के दायरे में नहीं आते थे। लेकिन वह 'मौसमी' लचीलापन (बरसों से आजमाया व परीक्षित था) आज के नई आर्थिक नीतियों से उपजे लचीलेपन से भिन्न है।"

'मौसमी' लचीलापन भारतीय श्रम बाजार का एक हिस्सा पहले भी रहा है लेकिन आज चिंता की बात यह है कि यह और ज्यादा बढ़ रहा है और बहुत से ऐसे लोगों को प्रभावित कर रहा है जो काफी संघर्ष करके लचीलेपन से छुटकारा पा चुके थे। इनमें अधिकतर दवाइयां, साबुन, शृंगार–प्रसाधन व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में काम करने वाली महिलाएं हैं। अब इन्हें या तो असंगठित क्षेत्रों (कृषि या घर आधारित काम) में काम करना पड़ रहा है या फिर बेरोजगार हो गई हैं।

श्रम का अनौपचारीकरण

आर्थिक सुधारों के बाद के काल में अनौपचारिक श्रम का क्षेत्र और बढ़ा है और छाछी और अन्यों ने दिल्ली व मुंबई के पांच उद्योगों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि आज अधिकांश श्रमिकों को अस्थायी नौकरियां दी जा रही हैं। 43 प्रतिशत कामगरों को ऐसे विभागों में रखा गया था, जहां सब नौकरियां अस्थायी थीं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अधिकांश कामगार ऐसे विभाग में थीं जहां 42 प्रतिशत सहायक स्टाफ भी अस्थायी था, और 16 प्रतिशत ऐसे विभागों में जहां पूरा स्टाफ अस्थायी था। यह भी देखने में आया कि गहने उद्योग में पालिश करने वाले तथा नगीने जड़ने वाले जिनका वेतन बहुत ज्यादा था अस्थायी ही रखे जाते थे जबकि उनके सहायक स्टाफ को स्थायी बना दिया जाता था। जहां कामगार स्थायी भी थे वहां भी उनका कोई लिखित समझौता नहीं था और नौकरी से निकाले जाने की स्थिति में उनके पास कोई कानूनी साक्ष्य नहीं था। यहां यह बात याद रखना जरूरी है कि काम के अनौपचारिक मात्र होने से स्थिति ज्यादा खराब हो ऐसा जरूरी नहीं है। यदि कोई स्वरोजगार (स्वयं के लिए खेती या किसी कम उत्पादक व्यवसाय) छोड़कर ऐसे अनौपचारिक क्षेत्र में जाते हैं जहां ज्यादा पैसा मिलता है तो अनौपचारिक स्थिति भी बेहतर हो सकती है। लेकिन संगठित और नियमित रोजगार छोड़कर असंगठित क्षेत्र में जाना पड़े तो इसे अवनति ही कहा जाएगा।'

अलग–अलग क्षेत्रों में अनौपचारिकरण से अलग–अलग असर देखने में आते हैं और हमेशा सामान्यीकरण करना संभव नहीं है, लेकिन एक रुझान तो स्पष्ट दिखता है–वह है अनौपचारिक श्रम शक्ति का बढ़ता महत्व। कई स्थानों पर स्थायी कर्मचारियों को अस्थायी बनाया जा रहा है या उन्हें अनौपचारिक श्रमिक बनाकर रखा जा रहा है। अर्थव्यवस्था का यह अनौपचारिकरण की ओर रुझान शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखा जा सकता है। 1981 से 1991 की जनगणना में महिला कामगारों की संख्या काफी बढ़ी है लेकिन ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में यह कामगार हाशिए पर ही हैं। आज इसे माना जा रहा है कि देश में ग्रामीण महिला श्रम का 45 प्रतिशत तथा शहरी महिला श्रम का 43 प्रतिशत अनौपचारिक है। जबकि पुरुषों के अनौपचारिक श्रम का अनुपात क्रमशः 34.6 और 30 प्रतिशत है। अनौपचारिक महिला कामगारों का प्रतिशत 1987–88 के 38.6 प्रतिशत से 1993–94 में 42.9 प्रतिशत बढ़ा है।

श्रम का महिलाकरण

उदारीकरण व ढांचागत समायोजन नीतियों से श्रम के महिलाकरण पर बहस शुरू हुई है। महिलाकरण शब्द का इस्तेमाल चार अलग–अलग प्रक्रियाओं के संदर्भ में किया जाता है।

- पुरुषों की अपेक्षा महिला श्रम की बढ़ोत्तरी।
- पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कई पारंपरिक कामों का महिलाओं को दिया जाना।
- घरेलू व पारिवारिक अदृश्य श्रम का बढ़ना, जिसे अधिकांशतया महिलाएं ही करती हैं।

औद्योगिक काम का बदलता स्वरूप जहां नए मिलने वाले काम अनियमित, आंशिक या अस्थायी एवं कम वेतन वाले हैं, उदाहरण के लिए जिन्हें महिलाओं के काम में गिना जाता है लेकिन जो जरूरी नहीं कि सिर्फ महिलाएं ही करें।

महिलाकरण की पूरी प्रक्रिया को लेकर काफी वाद–विवाद चल रहा है। श्रम के भूमंडलीय महिलाकरण का तर्क गाई स्टेडिंग ने दिया। उसने कहा कि 1980 के दशक में काम की अनियमितता और श्रम का महिलाकरण दोनों ही हुए हैं। इसे भारतीय संदर्भ में लागू करते हुए सुधा और एल के देशपांडे का कहना कि महिलाकरण का यह रुझान पूरे भारत और खासकर मुंबई में देखने में आया है। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण बदलाव माना क्योंकि उनके अनुसार इससे महिलाओं के रोजगार के मौके बढ़े हैं। उनका यह भी मानना है कि उदारीकरण से निर्यात बढ़ेगा और निर्यात उद्योग के श्रमप्रधान होने से महिलाओं के श्रम की मांग बढ़ेगी, चूंकि महिला श्रम अपेक्षाकृत सस्ता है और महिलाएं ज्यादा आज्ञापरायण होती हैं इसलिए उनके काम से निकाले जाने की संभावनाएं भी कम होंगी। महिलाओं के काम के मौके और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी बढ़ेंगे और श्रमिक परिवारों की गरीबी कुछ सीमा तक कम होगी। आज के संदर्भ में हमें यह याद रखना चाहिए कि श्रम बाजार में शोषित होना बुरा है लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा है शोषित न होना। चूंकि उन्हें असंगठित श्रम शक्ति का हिस्सा माना जाता है, काम के अनौपचारिक स्वरूप से उन्हें लाभ होने की ज्यादा संभावनाएं हैं।

लेकिन यह प्रश्न उठाने वाले भी कम नहीं हैं कि क्या वास्तव में श्रम का महिलाकरण हो रहा है। उनका कहना है कि यह स्थिति का सरलीकरण है। उदाहरण के लिए देशपांडे दंपत्ति ने 19 उद्योगों के अपने अध्ययन में पाया कि केवल 7 उद्योगों में 1980 के दशक में महिला श्रमिक बढ़ी हैं, 10 में स्थिति ज्यों की त्यों थी और 2 में तो संख्या कम ही हुई। जब महिला और पुरुष श्रम के प्रतिशत की बात की जाती है तो भी कई बार सही छवि सामने नहीं आती है। देशपांडे दंपत्ति का कहना है कि पुरुषों के मामले में यह बढ़ोत्तरी 12 प्रतिशत हुई और महिलाओं के मामले में 5.9 प्रतिशत, लेकिन संख्यात्मक दृष्टि से यह बढ़ोत्तरी पुरुषों के मामले में 1000 से 1016 और महिलाओं के मामले में 125 से 132, हुई। कुल रोजगार में महिला रोजगारों की संख्या बढ़ी हुई दिखती है। 1981 से 1991 की जनगणना के आंकड़ों के अध्ययन में पुरुषों के रोजगार की दर 52.65 प्रतिशत से घटी जबकि महिलाओं की रोजगार दर 19.77 से बढ़कर 22. 69 प्रतिशत हुई। लेकिन यह बढ़ी दर कई अन्य कारणों से हो सकती है जैसे कि काम की परिभाषा में विस्तार, जनगणना अधिकारी और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के बेहतर प्रशिक्षण।

दूसरी ओर मुंबई और अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में महिलाओं के रोजगार कम हुए हैं। खदान, रसायन और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में विस्तार से महिलाओं के रोजगार के अवसर नहीं बढ़े। रोजगार के मौके बढ़ने के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि चूंकि बड़ी इकाइयां बंद हो रही हैं, लघु उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं या बढ़ेंगे। लेकिन बड़े उद्योगों में रोजगार के अवसर कम होने का एक बड़ा कारण मशीनीकरण है। केवल विकेंद्रीकरण से महिलाओं के रोजगार बढ़ेंगे, आवश्यक नहीं है। यह उद्योग विशेष पर "निर्भर करेगा कि वे महिला कामगार

चाहते हैं या पुरुष कामगार। वस्त्र उद्योग और तैयार खाद्य माल उद्योगों में महिला कामगारों को और कठिन शारीरिक परिश्रम, रात की ड्यूटी तथा भारी मशीनी उद्योगों में पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है।

शहरी और निर्माण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार काम के महिलाकरण होने के कारण बढ़े हुए दिखते जरूर हैं लेकिन यह अधिकतर निर्यात प्रक्रिया संबंधित उद्योगों में हुआ है, जहां काम की परिस्थितियां काफी कठिन हैं, कम वेतन और रोजगार सुरक्षा नहीं के बराबर है। इनमें अधिकतर गैर शादीशुदा युवा लड़कियों को काफी कम वेतन पर काम पर रखा जाता है। यों भी निर्यात कोई बहुत बड़ा उद्योग अभी नहीं है, महिलाओं के लिए और भी सीमित है। निर्मला बैनर्जी का कहना है कि 1960 और 70 के दशक में भी ऐसे रोजगार उपलब्ध थे, तब भारतीय विदेशी कंपनियों के ठेकेदार की तरह काम करते थे और तब यह नौकरियां पुरुषों को ही मिलती थीं। इसलिए निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं।

'काम के महिलाकरण' थीसिस में कई बार काम के लिंगीय विभाजन को अनदेखा कर दिया जाता है जिसकी वजह से महिलाओं को कुछ खास काम ही मिल पाते हैं। महिलाओं को पुर्जी और पार्टी के जोड़ने तथा पैकेजिंग के काम दिए जाते हैं, उन्हीं उद्योगों में निगरानी तथा रखरखाव के काम पुरुषों को दिए जाते हैं। तकनीक के प्रवेश से स्थिति और बिगड़ी, वहां पुरुषों को बेहतर कामगार माना जाता है। उन उद्योगों में मशीनीकरण के बाद महिलाओं को हटाकर पुरुषों को रखा गया क्योंकि माना गया कि पुरुषों को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा सकता है। अधिकतर क्षेत्रों में नई तकनीकों के प्रवेश से महिलाओं को काम से हाथ धोना पड़ा है। उदाहरण के लिए इंडियन लीफ टुबैको डिवीजन में 25,000 औरतें मशीनीकरण के फलस्वरूप काम से निकाली गईं। पहले तंबाकू की कुटाई हाथ से होती थी। मशीनों से कुटाई शुरू होने पर यह काम पुरुषों को सौंपे गए। इसी तरह खदान और कई अन्य उद्योगों जैसे प्राक्टर और गैंबिल में जब मशीनीकरण हुआ तो महिलाओं की जगह पुरुष कामगारों ने ले ली।

यद्यपि कुछ क्षेत्रों जैसे निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में तकनीकी प्रवेश से महिलाओं के लिए काम के अवसर बढ़े हैं लेकिन इनमें केवल गैर शादी–शुदा लड़कियों को लिया जाता है जो किसी यूनियन में शामिल नहीं है और जिनकी ओर से लड़ने वाला कोई नहीं है। जिन महिलाओं को काम से निकाला गया वे यूनियन की सदस्याएं थीं।" जिनको इन उद्योगों में काम मिलता है उनकी समस्या केवल यूनियन का सदस्य होना ही नहीं है, इन नई तकनीकों से उत्पन्न खतरों के लिए मौजूदा कानून भी अपर्याप्त हैं, उदाहरण के लिए रसायनिक उद्योग में रसायनिक खतरे, कंप्यूटर पर लगातार काम करने से उत्पन्न थकावट और आंखों आदि की क्षति।

निजीकरण

ढांचागत कार्यक्रम का एक आवश्यक अंग है निजीकरण। निजीकरण का अर्थ है तमाम उन क्षेत्रों में निजी पूंजी की घुसपैठ जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र माने जाते थे। चूंकि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्रों (रेलवे, पोस्टल और टेलीग्राफ विभाग, इलेक्ट्रॉनिक, व्यापार और परिवहन

आदि) में काफी नौकरियां मिली हुई थी, इसलिए निजीकरण से उनके लिए रोजगार अवश्य कम होंगे। सार्वजनिक इकाइयों के बंद होने से यों भी रोजगार के अवसर कम हुए हैं और आगे और कम होने की संभावना है। कई सार्वजनिक इकाइयां ऐसी भी बंद की जा रही हैं जो बीमार नहीं थीं। इससे भारी संख्या में कामगार असंगठित क्षेत्र में ढकेले जा रहे हैं। उनके सामने दो ही विकल्प हैं, या तो वे असंगठित क्षेत्र में कोई भी काम ले लें या फिर स्वरोजगार एवं घरेलू उद्योग–धंधा करें।

निजीकरण से सार्वजनिक इकाइयां तो बंद होंगी ही, श्रम का लचीलापन तथा अनौपचारिकता और बढ़ेगी। कुल मिलाकर स्थिति काफी असुरक्षाजनक है। सरकार का सामाजिक क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाओं और विकास के बुनियादी ढांचे से अपने को अलग करने से रहन–सहन की कीमत और ज्यादा बढ़ेगी। निजीकरण से सरकार की रही–सही जवाबदेही निश्चित करना भी मुश्किल होगा, श्रम कानूनों में भी अपेक्षाकृत ज्यादा ढील देने से मालिकों के हितों की रक्षा होगी और कामगार मजबूरन यूनियनों के बिना सस्ता श्रम उपलब्ध कराने को बाध्य होंगे।

राज्य की भूमिका में परिवर्तन

भारत जैसे तीसरी दुनिया के देश में जहां की 40 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे रहती है, राज्य की बदलती भूमिका चिंता का विषय है। ढांचागत नीतियों के चलते सुधार काल में सामाजिक क्षेत्रों में सरकारी खर्च या तो कम हुआ है या फिर बढ़ा नहीं है। असमान समाज में ग्रामीण विकास (गरीबी हटाने व स्वरोजगार योजनाएं), खाद्य की सब्सिडी और स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं आदि महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र हैं। इनसे संबंधित सरकारी नीतियों पर हम एक नजर डालेंगे।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग यानी वे लोग जिन्हें न्यूनतम 2400 कैलरी प्रतिदिन भी नहीं मिल पाती उनका अनुपात 1987–88 के 65.8 प्रतिशत से बढ़कर 1993–94 में 70 प्रतिशत हो गया है। फिर भी सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली जारी रखे या नहीं, इस पर पुनर्विचार करना चाहती है। उर्वरक पर सब्सीडी कम होने से कृषि महंगी हो गई है। इसका मुख्य प्रभाव लघु और मध्यम दर्जे के किसानों पर पड़ रहा है। उर्वरकों के दाम बढ़ने से खाद्यान्नों के दाम बढ़ गए हैं, इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खुले बाजार के दामों का अंतर बहुत कम हो गया है। नतीजतन निर्धन लोगों के भोजन में कमी, स्वास्थ्य पर बुरा असर, आम जिंदगी पर बुरा असर पड़ा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्य सुरक्षा पर 1999–2000 में 9,200 करोड़ रुपया खर्च किया गया किंतु 2000–2001 में इस पर केवल 8,100 करोड़ खर्च करने की योजना है। जहां सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली बेहतर बनानी थी, सरकार उल्टे गरीबों से बुनियादी खाद्य सुरक्षा भी छीनना चाहती है।

यही हाल शिक्षा और स्वास्थ्य के खर्च का भी है। इनके ऊपर खर्चे में 1992 के 3.6 प्रतिशत से 1996–97 में 3.4 प्रतिशत कमी आई है जबकि कुल विकास खर्च में इन पर 6 प्रतिशत खर्च किए जाने की बात थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य के लिए 3 प्रतिशत

खर्चा निर्धारित किया गया था, 8वीं योजना तक आते–आते यह खर्च 1.7 प्रतिशत रह गया। इस सरकारी कटौती से गरीबों की बढ़ती समस्या का अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि एक बड़ा निम्न वर्ग निजी स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च वहन कर ही नहीं सकता।

महिलाएं हमेशा से कृषि का हिस्सा रही हैं लेकिन 1980 से उन्हें अधिकतर रोजगार कृषि आधारित उद्योगों और सरकारी योजनाओं में मिलते रहे। 1990 के दशक से कृषि विहीन क्षेत्रों में बहुत कमी आई। पहले इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढी थी और गरीबी कम हुई थी, लेकिन सुधार काल में गरीबी और ज्यादा बढ़ी है।

आज जब विश्व बैंक स्वयं विकास के मानवीय कोष पर जोर दे रहा है और भारत में भी कटौती के खिलाफ आवाजें उठी हैं तो सरकार ने ग्रामीण विकास पर 1993–94 स कुछ खर्चा बढ़ाया है। 1990 के दशक से शहरी गरीबी घटी है या नहीं यह विवादास्पद विषय है लेकिन ग्रामीण गरीबी बढ़ी है यह निर्विवाद है। सरकारी खर्चे में कटौती शुरू हुई है गरीबी और ज्यादा बढ़ी है। गरीबी कम करने के लिए चलाए सरकारी कार्यक्रम–समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम, डवाकरा (DWCRA), ट्राइसम (TRYSEM) और जवाहर रोजगार योजनाओं से लागू करने में अनेक कठिनाइयों के बावजूद इनसे महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। आठवीं योजना में इन कार्यक्रमों पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ग्रामीण विकास पर छठी योजना के 26.8 प्रतिशत से बढ़ाकर आठवीं योजना में यह खर्च 39.5 प्रतिशत हुआ, फिर भी यह प्रस्तावित लक्ष्य से बहुत दूर है। 1991–96–97 में निम्नवर्ग द्वारा जो खर्च बढ़ा हुआ दिखता है बढ़ती कीमतों और गरीबी के स्तर को देखते हुए उससे कतई यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि उनकी गरीबी कम हुई है।

राज्य की भूमिका विकास में तो कम दिखती है लेकिन जोर जबर्दस्ती करने में ज्यादा दिखती है। सुरक्षा और सैन्य बलों पर जरूरत से ज्यादा खर्च, बुनियादी अधिकारों के लिए विरोध व धरने आदि पर एसमा (ESMA) कानून लागू करना या अपराधिक दंड संहिता बिल में संशोधन आदि कई तरीके हैं जिनसे सरकार आम जनता के बुनियादी अधिकारों–जीवित रहने व विकास करने पर अतिक्रमण करती है।

जीवन संरक्षण का प्रयास

समाज में महिलाओं का काम निजी और सार्वजनिक रेखाओं के बीच में आता है। महिलाएं दो स्तर पर पुनरुत्पादन के काम में जुटी है। एक स्तर पर वे भरणपोषण का काम करती हैं और दूसरे स्तर पर वे अगली पीढ़ी तैयार करने का काम करती हैं, साथ में वे अनेक ऐसे काम भी करती हैं जिनसे जीवन निर्वाह संभव होता है। ऐसी परिस्थिति में जहां महिलाएं घंटों महज जिंदा रहने के लिए तरह–तरह के काम करती हैं, रोजगार के क्षेत्र में बढ़ती असुरक्षा और सुविधाओं की कमी से उनका बोझ बहुत बढ़ जाएगा। कृषि विहीन क्षेत्र में रोजगारों की कमी से कृषि क्षेत्र पर दबाव और बढ़ा है। यह विकास के सकारात्मक पहलू के कारण नहीं बल्कि दूसरे अवसरों की कमी के कारण हुआ है। इससे महिलाओं और पुरुषों दोनों ही पर दबाव बढ़ा है और वे असंगठित क्षेत्र में रोजगार ढूंढने को बाध्य हैं जहां कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं है।

इन हालात में उनके जीवन की बुनियादी न्यूनतम जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। महिलाओं को पहले से ही स्वास्थ्य, सुपोषण और शैक्षिक सुविधाएं कम ही मिली हुई थीं। अब सरकार के हाथ खींचने से उनकी दशा और बदतर हो रही है। महिलाओं को अस्तित्वमात्र बनाए रखने के लिए अनेक रणनीतियां अपनानी पड़ रही हैं। उन्हें फिर से ऐसे कामों को करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है जो घर से किए जाते हैं। पारंपरिक रूप से महिलाएं बीड़ी, वस्त्र, हथकरघा, अगरबत्ती, कागज की रोलिंग आदि काम करती रही हैं। इन कामों का पारिश्रमिक बहुत कम है और इनमें भी प्रतिस्पर्धा बहुत है। इनमें सारा नियंत्रण ठेकेदारों के हाथ में रहता है और महिलाओं के शोषण की संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं। उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलते, अकसर वे ही घर–परिवार का पूरा खर्च वहन करती हैं लेकिन परिवार और समाज उन्हें घर के मुखिया और रोजी–रोटी कमाने वाले के रूप में नहीं देखते है। उनका काम आंशिक पैसा कमाने अथवा शौकिया काम की तरह देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने कनवेंशन में घर से काम करने वाली महिलाओं को कामकाजी श्रेणी में रखा है। सामुदायिक संपत्ति संसाधनों के निजीकरण की नीतियों से भी स्थानीय लोगों के अधिकार छिनेंगे। अनेक समुदाय जंगल, चरागाह, जंगली उत्पाद जैसे तिलहन, तेंदुपत्ता, महुआ, फल, जंगली जड़ें, ईंधन आदि पर काफी निर्भर रहते थे। उनकी इन सब तक पहुंच न होने से उनकी इस पारंपरिक निर्भरता को बहुत धक्का पहुंचेगा। इनको इकट्ठा करने का काम अधिकांशतया महिलाएं और बच्चे करते हैं। एक तो श्रम बाजार में अनियमित और असंगठित रोजगार, दूसरे प्राकृतिक संसाधनों का सहारा छिन जाने से महिलाओं का बोझ और बढ़ेगा।

निष्कर्ष

हालांकि उदारीकरण नीतियों का असर अभी धीरे–धीरे सामने आ रहा है, यह बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि रोजगार की अनिश्चित स्थितियों में जहां इन नीतियों का प्रचंड प्रभाव समाज के एक बड़े हिस्से पर पड़ता हो, नीतियां सोच–समझकर बनानी और लागू की जानी चाहिए। श्रम के महिलाकरण के संबंध में जो भी वाद–विवाद हो, एक वात साफ है कि काम की स्थितियों में लचीलापन और अनौपचारिकता आई है। नियमित, स्थायी नौकरियों के अवसर कम हुए हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने से उनके संगठित होकर लड़ने या यूनियन बनाने की संभावनाएं और भी कम होती जा रही हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Amita Chhachhi, Nandita Gandhi, Nandita Shah and Sujata Gotnoskar. "Structural Adjustment Programme and Women", EPW, 1994
2. Amrita Chhachhi, et al 1997. op. cit.
3. Amrita Chhachhi, Nandita Gandhi, Nandita Shah to Sujata Gotnoskar. "Mediating the Macro and Micro: Industrial Structuing and Women Workers' Lives", Unpublished.
4. International Labour Organisation Report, 1999.
5. Mahendra Dev, "Economic Reforms, Poverty, Income Distribution and Employment", Economic and Political Weekly March 4, 2000.

6. Rohini Hensman, "Impact of Technological Change on Industrial Women Workers" in Rao, Rurup and Sudarshan ed. Sites of Change, UNDP + FES 1996.
7. S. Mahendra Dev, Agricultural Development and Public Distribution System, Economic and Political Weckly, March 2000.
8. S. Mahendra Dev, op.cit.
9. Sharma and Papola, 1999. op: cit
10. Sharma and Popola's op. cit.
11. Surya Narayan: "Gaps and Biases in Data related to Employment of Women", in T.S. Popola, Alakh N. Sharma; ed., 'Gender and Employment in India', Vikas, Delhi 1999.
12. T.S. Popola and Alakh N. Sharma, Indian Journal of Labour Economics, Vol 40, No. 2, 1997.
13. Uma Ramaswami, Organizing with a Gender Perspective, FES, Delhi 1995.
14. Women and Work: Issues and Strategies, ILO, 1999.

❑◘❑

9

व्यावसायिक व पारम्परिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की आक्रामकता, अध्ययन आदत, एवं शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन

विपिन कुमार वशिष्ठ*
डॉ. निर्मला राठौर**

प्रस्तावना

किसी भी समाज या राष्ट्र का विकास उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर है। शिक्षा की सकंल्पना में व्यक्ति को बेहतर मानव बनाने का सकंल्प निहित है। बेहतर मानव ही विश्व में मानवता के कल्याण व विकास में अपना योग दान देने में तत्पर हो सकता है। शिक्षा बेहतर भविष्य के लिए गत्यात्मक परिवर्तन का स्रोत है। किसी भी युग में शिक्षा, शिक्षक और शिक्षा नीति पर राष्ट्र की परम्परा, राष्ट्रीय प्रतिभा तथा राष्ट्र की परिस्थिति के सम्बन्ध में विचार होता आया है। इसका कारण यह है कि राष्ट्र के सर्वोत्तम विकास का प्रभावशाली माध्यम शिक्षा है।

विद्यालयों का मुख्य कार्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना होता है और उसको पूर्ण करने के लिए वहाँ पर जो कुछ किया जाता है उसे पाठ्यक्रम का नाम दिया गया है। पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए एक विद्वान ने इसे व्हॉट ऑफ एजूकेशन कहा है। प्रथम दृष्टि से यह परिभाषा बहुत सरल प्रतीत होती है परन्तु इस व्हॉट की व्याख्या करना तथा कोई निश्चित उत्तर प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। इस सम्बन्ध में अमेरिका के नेशनल एजूकेशन एसोसिएशन ने टिप्पणी करते हुए कहा– "विद्यालयों का कार्य क्या है ? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर कई बार अनेक ढंग से दिया जा चुका है, फिर भी बार बार इस प्रश्न को उठाया जाता रहा है। कारण स्पष्ट है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर प्रत्येक समाज एवं प्रत्येक पीढ़ी की बदलती हुई प्रकृति एवं आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है।

* शोधछात्र, लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी, अलवर, राजस्थान।
** प्रोफेसर, लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी, अलवर, राजस्थान।

इसी प्रकार शिक्षा के इतिहास से भी इस बात की पुष्टि होती है कि समय के साथ साथ पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होते रहे हैं तथा इसमें कभी व्यापकता और कभी संकीर्णता आती रही है। परन्तु शिक्षाविदों को जब इस बात का आभास हुआ कि विद्यालयों में शिक्षित युवक सदैव अपने भावी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं तब यह निष्कर्ष निकाला गया कि जीवन की तैयारी के लिए पढ़ना लिखना ही सब कुछ नहीं है। मनोविज्ञान के विकास ने भी इस धारणा को बल प्रदान किया कि मात्र अध्ययन अध्यापन पर ही पूरा दबाव रखना बालकों के विकास की दृष्टि से न केवल एकांगी है, बल्कि अन्य प्रवृत्तियों के समुचित विकास के अभाव में हानिप्रद भी हो सकता है। इस दृष्टिकोण का प्रभाव विद्यालयों के कार्यक्रमों पर पड़ा और उनमें व्यापकता आनी प्रारम्भ हुई। विद्यालयों में पाठ्यविषयों के साथ साथ ऐसी प्रवृत्तियों का समावेश भी किया जाने लगा, जिनसे बालकों में बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ स्वास्थ्य, सौन्दर्यबोध, सृजनात्मकता तथा अन्य मानवीय एवं सामाजिक गुणों का समुचित विकास भी हो सके।

पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम की अवधारणा के सम्बन्ध में शिक्षा विद्वानों ने भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किये हैं। वास्तव में पाठ्यक्रम विषय में कोई दो शिक्षाविद एक मत नहीं दिखाई देते हैं। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में सामान्य रूप से दो प्रकार के पाठ्यक्रम देखने को मिलते हैं– पारम्परिक पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम।

शिक्षा बालक के ज्ञान चक्षुओं को खोलती है और उसे आजिविका के लिए तैयार करती है। आज का युवा कक्षा 10 या 12 के बाद यातो पारम्परिक पाठ्यक्रम का चुनाव करता है या फिर व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चुनाव करता है।

व्यावसायिक व पारम्परिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों में पाठ्यक्रम के आधार पर उनकी सोचने समझने में उनकी आदतों में भिन्नता होना स्वाभविक है ऐसा सामान्य रूप से समझा जाता है।

पारम्परिक पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम अध्ययन अध्यापन हेतु विद्यालय–महाविद्यालय के कार्यक्रम का विवरण होता है। इसमें उन्ही विषयों एवं अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है, जिनका शिक्षण विद्यार्थियों के लिए अभिष्ट होता है। प्राचीन सन्दर्भ में इसका अभिप्राय तत्कालीन समय में पढ़ाये जाने वाले धार्मिक एवं लौकिक विषयों से है। पाठ्यक्रम की सामग्री सम्पूर्ण मानव जाति के वैयक्तिक एवं सामुहिक अनुभवों से ग्रहण की जाती है।

पारम्परिक पाठ्यक्रम का तात्पर्य उस पारम्परिक पाठ्यक्रम से है जसमें कुछ विषय तो ऐसे होते हैं जो सभी बालकों के लिए अनिवार्य होते हैं तथा कई विषय ऐसे होते हैं जिनमें से कुछ को विद्यार्थी अपनी रूचियों एवं क्षमताओं के अनुसार चुन लेते हैं।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से युवक भावी जीवन के लिए तैयार होता है। वह अपने तथा अपने परिवार के जीवन यापन के लिए आवश्यक व्यावसायिक योग्यताओं एवं कौशलों को विकसित करने तथा उन्हे प्रयुक्त करने की दृष्टि से सक्षम हो पाता है। आने वाले जीवन में वह संघर्षों में पिस न जाये इसके लिए वह व्यावसायिक पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शक्ति अर्जित करता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के माध्यम से अर्जित ज्ञान जीवन का अंग बन जाता है।

युनेस्को युनेस्को ने व्यावसायिक पाठयक्रम की परिभाषा इस प्रकार दी है– ''व्यावसायिक पाठ्यक्रम शिक्षा का एक व्यापक प्रत्यय है, इसके अन्तर्गत शैक्षिक प्रक्रिया के सभी पक्ष तथा सामान्य शिक्षा तकनीकी शिक्षा विज्ञान से सम्बन्धित प्रयोगशाला कौशल, अभिवृत्तियों के ज्ञान तथा बोध से सम्बन्धित अतिरिक्त पक्षों को शामिल किया जाता है। जिसका सम्बन्ध आर्थिक सामाजिक जीवन तथा रोजगार की तैयारी से भी होता है। इस प्रकार की शिक्षा सामान्य शिक्षा का समन्वित खण्ड, सतत ् शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र की तैयारी का होता है।''

समस्या का औचित्य

वर्तमान समय जागरुकता का समय है, जब माता–पिता अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं तो यह निश्चित कर लेते है कि बच्चे को भविष्य में क्या बनना है ? किसी भी बच्चे का भविष्य, कि उसे किस दिशा में भेजना है या ले जाना है? यह उसके परिवार के सदस्यों द्वारा ही तय किया जाता है। बच्चे का बौद्धिक स्तर क्या है? उसकी रूचि क्या है? उसका रुझान किस तरफ है? तथा उसकी आन्तरिक प्रतिभा उसे किस तरफ ले जाना चाहती है? यह सब पता नहीं लगाया जाता है। बच्चे की भविष्य की दिशा बच्चे की इच्छा के अनुसार तय नहीं की जाती है। बच्चा भी माता–पिता के प्रति भावात्मक लगाव होने के कारण उनकी इच्छा के विरुद्ध अपनी बौद्धिक क्षमता को नहीं थोपना चाहता। यही कारण है कि पढ़–लिख जाने के पश्चात जब उसको जीविका नहीं मिल जाती, तब उसकी प्रतिभा व क्षमता व्यर्थ चली जाती है। वर्तमान समय की भागदौड़ व प्रतिस्पर्धा के युग में यही बालक युवा होकर निराशा के अन्धकार में निरन्तर गिरता हुआ असफलता का सामना करता रहता है। इस कारण अनेकानेक जटिलताएँ एवं असामान्य परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है जैसे तनाव, आक्रामकता, मानसिक एवं सांवेगिक असंतुलन, समायोजन का अभाव आदि। किशोरावस्था का समय बालक प्रायः विद्यालय में ही व्यतीत करता है यहीं उसकी आकांक्षाये पल्लवित होती है अर्थात भविष्य निर्माण की योजना का विकास विद्यालय–महाविद्यालय में ही होता है वह किस व्यवसाय को करने की आकांक्षा रखता है या वह किस क्षेत्र में स्वयं को स्थापित करना चाहता है यह उसके विषय चयन से भी स्पष्ट हो जाता है। किशोर अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने के लिए तत्पर रहते है उनका एकमात्र उद्देश्य अपने लक्ष्य को पाना होता है।

किशोरों की आकांक्षायें पूर्ण न होने पर उनमें तनाव एवं आक्रामकता जैसी प्रवृत्तियॉ पनपने लगती है वे बात बात पर अपनी आक्रामकता दिखाते है। किशोर भावनाओं को अधिक महत्व देते है इसलिए वे र्निणय लेते समय सही और गलत का ध्यान नही रखते है और अपनी

आक्रामकता अपशब्दों, हिंसा और विभिन्न क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करते है। जो किशोरों में नकारात्मक संवेगों को उत्पन्न करते हैं। इन सभी चरों का प्रभाव किशोरों की अध्ययन आदतों व शैक्षिक उपलब्धि पर पडता है। यदि इन सभी समस्याओं को समय पर पहचान कर समाधान कर लिया जाये तो इसका किशोरों की अध्ययन आदतों व शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव दृष्टिगोचर होगा।

व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों की सामान्य दक्षता बढ़ाने तथा कार्य के प्रति रचनात्मक रूचि उत्पन्न करने का दृष्टिकोण प्रदान करती है यह उनमें उधमिता की भावना का भी विकास करती है। जीवन को सुखद एवं समृद्व बनाने के लिए तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ करने में यह प्रमुख भूमिका निभाती है। व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को आर्थिक समृद्वि की ओर ले जाने हेतु मार्गदर्शक का कार्य करती है। व्यावसायिक शिक्षा के उपरान्त विद्यार्थी इस योग्य हो जाते हैं कि वे अपनी नैसर्गिक अभिरुचि के किसी भी व्यवसाय को कुशलता के साथ कर सकते हैं। पारम्परिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी भी व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों से समता रखते हैं ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

पुस्तकें (Books)

1. त्यागी, जी.एस.डी. तथा पाठक, पी.डी., :(2006) "शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त", विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
2. ढौड़ियाल, सच्चिदानन्द व पाठक, अरविन्द : शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र, राजस्थन हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
3. भटनागर, चांद तथा राय, पारसनाथ,: (1977) "अनुसंधान परिचय", एल.एन. अग्रवाल पब्लिशर्स, आगरा।
4. पाठक, पी.डी, : (2007) "शिक्षा मनोविज्ञान", विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
5. शर्मा, आर. ए.,: (2009) 'शिक्षा अनुसंधान', आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।
6. श्रीवास्तव डी.एस. एवं प्रीति (2014): "शिक्षा मनोविज्ञान", विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

शब्द कोष

7. आबिद रिजवी, : मेगा हिन्दी शब्द कोश, मारूति प्रकाशन, 33 हरि नगर, मेरठ।
8. फादर कामिल बुल्के, (1987) तृतीय संस्करण, अंग्रेजी–हिन्दी कोश, एस.चन्द एण्ड कम्पनी(प्रा.लि.) राम नगर, नई दिल्ली।
9. www.google.com

❑❑❑

9

कुपोषण के स्तर में कमी लाने में महिला एवं बाल विकास विभाग की योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन (गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के विशेष संदर्भ में)

श्रीमती देहूती बंछोर*
डॉ. आर. पी. अग्रवाल**

प्रस्तावना

कुपोषण स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से वर्ष 2018 से पोषण अभियान का संचालन छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में किया जा रहा है। पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों (0–6 वर्ष) में व्याप्त बौनापन (स्टंटिंग), अल्प पोषण (कम वजन) एवं एनिमिया में कमी लाना तथा किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं, शिशुवती महिलाओं में व्याप्त एनीमिया में कमी लाना है। इस अभियान के तहत् जीवनचक्र पद्धति पर विशेष ध्यान देते हुए सार्वगिंण प्रयासों के माध्यम से पोषण संबंधी सभी सूचकांकों में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस सूचकांक में सुधार हेतु विभिन्न अंतर्विभागीय मुद्दों जैसे – स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, कृषि, उद्यानिकी के माध्यम से पौष्टिक आहार की उपलब्धता, सुरक्षित पेयजल, शौचालयों की उपलब्धता, आर्थिक स्तर में उन्नयन महिलाओं का सशक्तिकरण इत्यादि मुद्दों पर समन्वित कार्य किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य में 06 वर्ष से कम आयु के बच्चों में व्याप्त कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग के महिलाओं में व्याप्त एनिमिया एक चुनौती है, जिसे जड़ से समाप्त करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में NFHS - 4 के सर्वे के अनुसार 05 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग 37.7 प्रतिशत बच्चें कुपोषित है तथा 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएँ 47 प्रतिशत एनीमिया से पीड़ित है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (NFHS - 4) 2015–16 के अनुसार राज्य में बच्चें एवं महिलाओं की कुपोषण एवं एनिमिया की तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है–

* शोधार्थी (वाणिज्य), कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर, छ.ग.।
** निर्देशक, कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर, छ.ग.।

क्र.सं.	विवरण	छत्तीसगढ़ की स्थिति	देश की स्थिति
1	05 वर्ष तक बच्चों के बौनापन (उम्र के अनुसार ऊंचाई)	37-6%	38-6%
2	05 वर्ष के बच्चों के कुपोषित बच्चे (उम्र के अनुसार उचित वजन)	37-7%	35-7%
3	6 माह से 59 माह तक आयु के बच्चे जिनमें खून की कमी है। (HB-11 ग्राम से कम)	41-6%	58-6%
4	15 से 49 वर्ष की महिलाएँ जिनमें खून की कमी है (HB-11 ग्राम से कम)	47-0%	58-6%
5	15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की गर्भवती महिलाएँ जिनमें खून की कमी है। (HB-11 ग्राम से कम)	41-5%	50-4%

महिला एवं बाल विकास विभाग में गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के लिए संचालित योजनाएँ

- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना
- महतारी जतन योजना
- समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत पूरक पोषण आहार की व्यवस्था
- मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान
- पोषण अभियान

अध्ययन के उद्देश्य

- छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग शहर में गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं की कुपोषण की स्थिति का पता लगाना।
- कुपोषण के स्तर में कमी लाने में महिला एवं बाल विकास विभाग की "गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं" के लिए संचालित योजनाओं की योगदान का अध्ययन करना।
- परिकल्पना –
- महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं से गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं में कुपोषण के स्तर में कमी आई है।
- गर्भवती एवं शिशुवती महिलाएँ अपने पोषण, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुई है।

प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में कार्य संपादन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया जो विभाग द्वारा प्रकाशित पत्र–पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित किया गया है तथा प्रस्तुत शोध कार्य में प्राथमिक आंकड़ों का भी प्रयोग किया गया है, जो दुर्ग जिलेके महिला बाल विकास द्वारा संचालित 10 आंगनबाड़ी

केन्द्रों के माध्यम से 50 गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं से प्रश्नावली के माध्यम से आंकढ़े एकत्रित किया गया है। प्रश्नावली को साक्षात्कार के माध्यम से पूछा एवं भरा गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के लिए संचालित योजनाएँ

- **प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY)**

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित "प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना" राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार देश में सभी जिलों में 1 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम से एक नवीन एवं महत्वपूर्ण योजना लागू की गई है।

योजना के उद्देश्य गर्भावस्था में मजदूरी की क्षति के बदले में नगद राशि प्रोत्साहन के रुप में आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना ताकि महिलाएँ प्रथम जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम कर सके तथा गर्भवती/धात्री माताएँ स्वयं एवं नवजात शिशु के उत्तम स्वास्थ्य हेतु पर्याप्त ध्यान दे सके।

इस योजना के लिए लक्षित लाभार्थी ऐसी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में है या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अंतर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही है, सभी गर्भवती महिलाएँ एवं स्तनपान कराने वाली माताएँ पात्र होगी। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती धात्री महिलाओं को प्रथम जीवित संतान के लिए तीन किस्तों में 5000/– रु. राशि का भुगतान किया जाता है। प्रथम किस्त Last Menstrual Period के 150 दिनों के अंदर गर्भावस्था का पंजीकरण के बाद 1000/–, दूसरा किस्त गर्भावस्था के छः माह पूरा होन पर कम से कम एक बार के Internal Check-up आंतरिक जांच के बाद 2000/– तथा तीसरी किस्त नवजात शिशु के जन्म पंजीकरण एवं बच्चें का टीकाकरण BCG, OPV, DPT, Hepatitis B अथवा उसके समतुल्य प्रथम चक्र के पश्चात् 2000/– की राशि प्रदान की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत नगद लाभ राशि का हस्तांतरण डी.बी.टी. द्वारा पी.एफ.एम.एस. (Public Financial Management System) पोर्टल के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार से संबंधित बैंक/पोस्ट बैंक ऑफिस खाते में किया जाने का प्रावधान रखा गया है।

- **महतारी जतन योजना**

गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना जिससे उसके स्वास्थ्य के साथ–साथ उनके गर्भ में पल रहें शिशु की सेहत भी स्वस्थ रहे, योजना के तहत् आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से आकर्षण थाली गर्भवती महिलाओं को पृथक–पृथक मेन्यू अनुसार प्रदान की जा रही है, जिसमें चाल, दाल, रोटी, रसेदार व सूखी सब्जी, आचार, पापड़, सलाद आदि दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को घर ले जाने के लिए प्रतिदिन 75 ग्राम के मान से (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) 450 ग्राम का साप्ताहिक पैकेट रेडी–टू–ईट दिया जाने की प्रावधान है। योना का सूत्रसंपर्क आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मितानीन/स्वास्थ्य कार्यकता है।

छत्तीसगढ़ सरकार महजारी जतन योजना अनुदान मांगों पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि वर्तमान में महिलाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों में टेक होम राशन पद्धति के तहत रेडी–टू–ईट फूड प्रदान किया जा रहा है। अब तक आंगनबाड़ी में गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को छत्तीसगढ़ सरकार "महतारी जतन योजना" के तहत पौष्टिक एवं स्वादिष्ट गर्म भोजन प्रदान किया जायेगा।

अपने इस पहल को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश का मुखिया स्वयं गंभीर है और इसके संचालन के लिए उन्होंने आला अधिकारियों को जरुरी निर्देश दिये है। प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सतत प्रयासरत है। लिहाजा इसके पूर्व भी अनेक योजनाएँ चलाई गई है। मध्यान्ह भोजन और अन्य सहयोगी समांतर योजना चल रही है। गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह टेक होम राशन पद्धति से पोषण आहार वितरित किया जाता है। साथ ही इन महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं आहार के बारे में जानकारी दी जाती है।

समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत पूरक पोषण आहार की व्यवस्था

प्रदेश में एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.) अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दी जानी वाली छः सेवाओं में से पूरक पोषण आहार एक महत्वपूर्ण सेवा है। भारत शासन द्वारा पूरक पोषण आहार व्यवस्था के संबंध में दिये गये वित्तीय एवं पोषण मापदण्डों के अनुसार पूरक पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है।

हितग्राहियों को प्रदान किए जा री पूरक पोषण आहार का विवरण निम्नानुसार है–

6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती माताओं के लिये पूरक पोषण आहार– टेक होम राशन के अंतर्गत इस श्रेणी के हितग्राहियों को गेहुं आधारित रेडी–टू–ईट फूड प्रदान किया जाता है, जिसमें रागी व मूंगफली का समावेश भी किया जाता है। 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य बच्चों को 125 ग्राम तथा 6 माह से 3 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को 200 ग्राम रेडी–टू–ईट प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिन) दिया जा रहा है। शिशुवती महिलाओं को 150 ग्राम प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिन) रेडी–टू–ईट प्रदान किया जा रहा है। रेडी–टू–ईट फूड कर निर्माण एवं प्रदाय का कार्य महिला स्व–सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है और 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के सामान्य एवं गंभीर कुपोषण के शिकार बच्चों को पूरक पोषण आहार के रुप में बच्चों को गर्म पके हुए भोजन के साथ मेन्यू अनुसार नाश्ता दिया जा रहा हैं। गर्म पके हुएभ भोजन में रोटी, चावल, मिक्स दाल दो प्रकार की सब्जी (एक सूखी व एक रसेदार), आचार, सलाद, गुड़ व हल्वा एवं पोहा का प्रदाय किया जा रहा है। 03 से 06 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र में गर्म भोजन के अतिरिक्त रेडी–टू–ईट 75 ग्राम प्रतिदिन के मान से 6 दिवस हेतु 450 ग्राम का पैकेट दिया जाता है।

नाश्ता एवं चावल आधारित गर्म पके हुए भोजन का सूखा राशन का प्रदाय महिला स्व–सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है।

- **मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान**

बच्चों एवं महिलाओं के पोषण स्तर में सकारात्मक सुधार हेतु आदिवासी बाहुल्य जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार "सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान" दिनाँक 24 जून 2019 में प्रारंभ किया गया। अभियान की सफलता को देखते हुए प्रदेश के अन्य जिलों में भी गांधी जी की जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर 2019 से मुख्यमंत्री सुपोषण्ण अभियान का प्रारंभ किया गया। योजना का प्रमुख उद्देश्य 6 वर्ष आयु तक के बच्चों में कुपोषण एवं एनिमिया तथा 15 से 49 वर्ष आयु तक की महिलाओं की एनिमिया से मुक्त करना है।

मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन कार्यक्रम क्रमशः–

- प्रदेश में 0–5 वर्ष आयु वर्ग के कुपोषण एवं एनिमिया से पीड़ित बच्चों का चिन्हांकन।
- प्रदेश में 15 से 49 वर्ष तक की एनिमिया पीड़ित महिलाओं का चिन्हांकन
- 0–5 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण एवं एनिमिया से मुक्त करना
- 15– 49 वर्ष तक की बालिकाओं एवं महिलाओं को एनिमिया से मुक्त करना।
- प्रदेश में 0–5 वर्ष के बच्चों एवं 15–49 वर्ष तक की महिलाओं को कुपोषित जीवन एवं एनिमिया से मुक्त करने हेतु जनभागीदारी को बढ़ावा देना एवं इनके लिए शासन द्वारा संचालित कार्यक्रमों को अधिक सुदृढ़ एवं कारगर बनाना तथा संबंधित विभागों से प्रभावी समन्वय स्थापित कर बेहतर परिणाम प्राप्त करना।
- जन सामान्य में कुपोषण एवं एनिमिया के विरुद्ध जन जागरुकता लाना एवं इससे निपटने के लिए वातावरण तैयार करना।

- **पोषण अभियान**

भारत सरकार द्वारा कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए एक वृहद अभियान के रुप में पोषण अभियान का शुभारंभ किया गया हैं। यह शुभारंभ 8 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा झुंझुन राजस्थान में किया गया है। पोषण अभियान देश के सभी राज्यों में वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2020–21 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। प्रथम चरण में राज्य के 12 जिलों को लिया गया था तथा द्वितीय चरण वर्ष 2018–19 से शेष 16 जिलों को लिया गया है। इस प्रकार राज्य के सभी 28 जिलों में पोषण अभिया क्रियान्वित है। पोषण अभियान के लक्ष्य एवं घटकों का विवरण निम्नानुसार है–

- पोषण अभियान का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किया गया जिसके अनुसार बच्चों (0 से 6 वर्ष) में व्याप्त बौनेपन (स्टंटिंग), अल्प पोषण (कम वजन), जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों में 02 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लाने का लक्ष्य है। छोटे बच्चों में व्याप्त एनिमिया में 03 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कुल 9 प्रतिशत की कमी 3 वर्ष में लाने का लक्ष्य है तथा किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं में एनीमिया में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 9 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य है। वही 0 से 6

वर्ष आयु समूह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं में विद्यमान कुपोषण स्तर को चरणबद्ध तरीके से प्रतिवर्ष 02 प्रतिशत की कमी लाते हुए 3 वर्षों में 6 प्रतिशत की कमी लाना लक्षित किया गया है।

दुर्ग जिलें में पोषण आहार से दर्ज/लाभांवित हितग्राहियों का विवरण –

क्र.	हितग्राहियों की श्रेणी	2016		2017		2018		2019	
		दर्ज	लाभ	दर्ज	लाभ	दर्ज	लाभ	दर्ज	लाभ
1	6 माह से 3 वर्ष के सामान्य बच्चों की संख्या	51628	42019	50784	40585	50087	44356	47757	41302
2	6 माह से 3 वर्ष के कुपोषित बच्चों की संख्या	1570	1359	1236	1050	958	869	942	860
3	3 से 6 वर्ष के सामान्य बच्चों की संख्या	41310	27403	41699	28093	42072	27279	43541	27503
4	3 से 6 वर्ष के कुपोषित बच्चों की संख्या	945	742	749	605	569	424	646	416
5	गर्भवती व शिशुवती महिलाओं की संख्या	21217	18050	10332	8851	20843	18278	19992	17747

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, पांच बिल्डिंग परिसर दुर्ग, जिला – दुर्ग (छ.ग.) विभाग द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं में प्राप्त आबंटन, व्यय एवं लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी 31.03.2020 की स्थिति में–

क्र.	योजना	लक्ष्य		उपलब्धि		प्रतिशत	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	8000	1500500	8246	2,26,60700	103%	150%
2	महतारी जतन योजना	14604	1,05,18,000	9120	6,89,7883	62%	65-58%
3	समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत पूरक पोषण आहार की व्यवस्था	114086	220174000	92030	196243810	80%	89-13%
4	मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान	11700	10839600	11262	9760102	96%	90%
5	पोषण अभियान	––	––	––	––		

प्रश्नावली के माध्यम से गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के उत्तर का विश्लेषण

प्रश्न क्रमांक 1: "क्या आपको निम्न शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी है?"

क्र.सं.	योजना का नाम	कुल संख्या 50		प्रतिशत 100%	
		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
1	महतारी जतन योजना	40	10	80%	20%
2	प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना	45	05	90%	10%
3	पूरक पोषण आहार योजना	30	20	60%	40%
4	मुख्यमंत्री सुपोषण योजना	35	15	70%	30%

निष्कर्ष

प्रश्नावली के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग की गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं से पूछे गये प्रश्न में सभी योजनाओं के बारे में अपनी अनुक्रिया धनात्मक प्रदान किया हैं। अतः सभी कुल न्यादर्श 50 में लगभग 60% महिलाएँ योजनाओं के लिए जागरूक है।

प्रश्न क्रमांक 2: "इस योजना की जानकारी का माध्यम क्या है?"

परिवार/पड़ोसी/विज्ञापन/ग्राम पंचायत/आंगनबाड़ी

निष्कर्ष

उपर्युक्त प्रश्न में कुल न्यादर्श 50 महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि उनको योजनाओं की जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से प्राप्त हुआ है। अतः विभाग अपने कार्य में अग्रसर है।

प्रश्न क्रमांक 3: "आपको योजनाओं की प्रक्रिया के बारे में जानकारी है?"

निष्कर्ष

उपर्युक्त प्रश्न के अनुक्रिया में कुल न्यादर्श 50 महिलाओं में लगभग 90% महिलाओं ने अपनी अनुक्रिया हाँ में दिए है। अतः विभाग अपने योजनाओं एवं कार्यक्रम के प्रसार एवं प्रचार में सजग है।

प्रश्न क्रमांक 4: "आपने इस योजनाओं का लाभ उठाया है?"

निष्कर्ष

उपर्युक्त प्रश्न के अनुक्रिया में कुल न्यादर्श 50 में से लगभग 85: महिलाओं ने अपनी अनुक्रिया हाँ में दिए है। अतः इससे ज्ञात होता है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ग्राम पंचायत/आंगनबाड़ी/स्वास्थ्य कार्यकर्ता/मितानीन के माध्यम से पात्र हितग्राही को लाभ प्रदान कर रहे हैं।

प्रश्न क्रमांक 5: "क्या आपके गॉव में गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है?"

निष्कर्ष

उपर्युक्त प्रश्न के अनुक्रिया में कुल न्यादर्श 50 में से लगभग 60: महिलाओं ने अपनी अनुक्रिया बहुत अच्छी में दिया है और 40: महिलाओं ने सामान्य स्वास्थ्य होने की अनुक्रिया दिया है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि विभाग अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाया है।

प्रश्न क्रमांक 6: "क्या आपने पूरक पोषण आहार योजना का लाभ उठाया है?"

निष्कर्ष

उपर्युक्त प्रश्न के अनुक्रिया में कुल न्यादर्श 50 में से लगभग 60% महिलाओं ने हॉ में और 40% महिलाओं ने नहीं में अपनी अनुक्रिया दिया है। अतः स्पष्ट है कि विभाग सजग है, लेकिन और सजगकता की आवश्यकता है। विभागीय योजना का प्रचार–प्रसार आवश्यक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिल सके।

प्रश्न क्रमांक 7: "क्या आपने मातृवंदना योजना का लाभ लिया है?"

निष्कर्ष

उपर्युक्त प्रश्न के अनुक्रिया में कुल न्यादर्श 50 में से लगभग 90% महिलाओं ने हाँ में और 10% महिलाओं ने नहीं में अपनी उत्तर की अनुक्रिया प्रदान किया है। अतः स्पष्ट है कि मातृवंदना योजना सफल है और महिलाएँ इस योजना का लाभ ले रही हैं।

प्रश्न क्रमांक 8: "क्या आप महतारी जतन योजना का लाभ उठा रही है?"

निष्कर्ष

उपर्युक्त प्रश्न के अनुक्रिया में कुल न्यादर्श 50 में से लगभग 80% महिलाओं ने हाँ में और 20% महिलाओं ने नहीं में दिया है। अतः विभाग को अपनी योजना "महतारी जतन योजना" में और अच्छे से कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे 100: महिलाओं को लाभ मिल सकें।

प्रश्न क्रमांक 9: "क्या आपने मुख्यमंत्री सुपोषण आहार योजना का लाभ उठाया है?"

निष्कर्ष

उपर्युक्त प्रश्न के अनुक्रिया में कुल न्यादर्श 50 में से लगभग 70: महिलाओं ने अपने उत्तर की अनुक्रिया हाँ में तथा 30: महिलाओं ने नहीं में प्रदान किया है। अतः इससे विदित होता है कि महिलाएँ जागरुक है, लाभ ले रही है, किन्तु अभी भी और सफल प्रयास करना होगा विभाग को ताकि 100: का लक्ष्य पूरा हो सके।

प्रश्न क्रमांक 10: "आपका और बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है?" (अच्छा/बहुत अच्छा/सामान्य/खराब)

निष्कर्ष

उपर्युक्त प्रश्न के अनुक्रिया में कुल न्यादर्श 50 में से लगभग 80% महिलाओं ने अपने उत्तर की अनुक्रिया "अच्छा स्वास्थ्य" में दिया है तथा 20% महिलाओं ने "सामान्य स्वास्थ्य" में अपनी उत्तर की अनुक्रिया प्रदान किया है। अतः इससे स्पष्ट विदित होता है कि विभाग अपनी जिम्मेदारी एवं दायित्वों के लिए सजग है और अपने कार्य में अग्रसर है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विषय के सम्पूर्ण अध्ययन तथा विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों ने खासकर "गर्भवती और शिशुवती महिलाओं" के संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों तथा स्वास्थ्य परीक्षण, जागरूकता शिविर आदि के माध्यम से जिले की गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं देखरेख, चिकित्सा सुविधा इत्यादि पर पर्याप्त ध्यान दिये है तथा समय–समय में विभाग अपने संपर्क सूत्रों के माध्यम जैसे – आंगनबाड़ी/मितानीन/ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से जागरूकता शिविर लगाकर, स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य प्रचार–प्रसार के माध्यम से गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को जागरुक, सजग एवं लाभ के लिए लगातार प्रेरित किया है, जिससे उनके एवं बच्चे की स्वास्थ्य में धनात्मक परिवर्तन आया है।

राज्य में बच्चों एवं महिलाओं में व्याप्त कुपोषण, एनिमिया में उल्लेखनीय कमी लाने की सरकार की कोशिश में उनके प्रयास में सर्वोच्च प्राथमिकता शामिल कुपोषण एक गंभीर और बहुआयामी समस्या है, जिसके निवारण के लिए स्वास्थ्य, पोषण के साथ–साथ स्वच्छता, शिक्षा, जीवन स्तर में सुधार एवं सरकारी आधारभूत संरचना में सुधार कई मुद्दों पर छ.ग. राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अलावा स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्या विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी अन्य योजनाओं के माध्यम से कुपोषण की प्रतिशत में कमी लाने के सफल प्रयास कर रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सुपोषण संगवारी पत्रिका (महिला एवं बाल विकास विभाग)
2. डॉ. पी. डी. पाठक शिक्षा मनोविज्ञान
3. रिचा भुवनेश्वरी 2011 महिला विकास कार्यक्रम एवं योजनाएँ रितु पब्लिकेशन
4. डॉ. पी. डी. शर्मा (2011)
5. विकास की मुस्कान पत्रिका महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग
6. अंगना के गोठ पत्रिका महिला एवं बाल विकास विभाग
7. योजना पत्रिका 2020
8. योजना पत्रिका 2021 नारी शक्ति डॉ. रंजना कुमारी, डॉ. के. के. तिवारी
9. दुर्ग महिला एवं बाल विकास विभाग की वार्षिक प्रतिवेदन, पत्र पत्रिकाएँ एवं विभाग द्वारा प्रदत्त द्वितीयक ऑकड़े
10. www.cg.gov.in, Google, Internet
11. www.wcd.ac.in
12. दैनिक भास्कर
13. पत्रिका समाचार पत्र
14. हरिभूमि

❑❑❑

10

संचार प्रौद्योगिकी व महिला सशक्तिकरण

डॉ. सुलक्ष्मी तोषनीवाल*

प्रस्तावना

सूचना व संचार तकनीक ने सम्पूर्ण मानव जाति की कार्यप्रणाली को परिवर्तित कर विकास की नवीन ऊँचाइयों तक पहुँचा दिया है। कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंक एवं रक्षा आदि सभी क्षेत्रों में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का योगदान उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। संचार तकनीक के कारण ही आज पूरा विश्व एक गाँव के रूप में परिवर्तित हो गया है। आज व्यक्ति एक स्थान से ही सम्पूर्ण विश्व की जानकारी प्राप्त कर सकता है, विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति के साथ वार्तालाप कर सकता है, विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से वह घर बैठे–बैठे ही व्यापार, मीटिंग आदि कर सकता है। एक बटन दबाते ही सम्पूर्ण विश्व का ज्ञान उसके सामने है। सभी क्षेत्रों में तो रही प्रगति का मुख्य कारक सूचना प्रौद्योगिकी ही है।

महिलाओं के जीवन में तो सूचना व संचार प्रौद्योगिकी वरदान स्वरूप ही है। इस तकनीक से महिलाओं के विकास का मार्ग खुल गया है, उनके लिए शिक्षा के द्वार खुले है। शिक्षित महिला हेतु सामाजिक व आर्थिक प्रगति की राह आसान हो गयी है। महिलाओं के द्वारा घर पर ही दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना आसान हो गया है। महिलाओं की शिक्षा का स्तर गुणवत्ता व परिमाण के आधार पर उच्च हो गया है। वास्तव में शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है, जिसके द्वारा महिला सशक्त हो सकती है, आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकती है व सम्मान पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकती है।

उद्देश्य

प्रगतिशील युग में महिलाओं का सशक्त होना आवश्यक है। प्रस्तुत अध्ययन में सूचना प्रौद्योगिकी का महिलाओं के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है। सशक्तिकरण से महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार होता है, यही आत्मविश्वास परिवार व समाज की उन्नति का आधार होता है।

* सहायक आचार्य, (व्यावसायिक प्रशासन), सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर, राजस्थान।

महिला सशक्तिकरण में संचार प्रौद्योगिकी का महत्त्व

सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के विकास व विस्तार ने महिलाओं के लिए विकास के अवसर खोल दिये है। संचार साधनों के विकास से महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करना आसान हो गया है। आज महिलाएं अपने घर में बैठकर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रही है। इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जैसे माध्यम से दूरस्थ शिक्षा पद्धत्ति व ऑनलाईन शिक्षा व्यवस्था से लाभान्वित हो रही है। 'इग्नू' के समान ही राज्यों के द्वारा भी मुक्त विश्वविद्यालय खोले गये है, जैसे राजस्थान में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा आदि। इन विश्वविद्यालयों के द्वारा स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के साथ–साथ कई प्रकार के लघु व मध्यम अवधि के पाठ्यक्रम भी संचालित किये जा रहे है।

वर्तमान समय में सभी संस्थानों ने भी अपनी सम्पूर्ण जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध करा रखी है। अतः कोई भी व्यक्ति घर बैठे–बैठे ही उस विशिष्ट संस्था, विशिष्ट पाठ्यक्रम विशिष्ट सरकारी नीति, अनुदान योजना आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते है। इस प्रकार कम समय व कम खर्च में अपनी सुविधानुसार पाठ्यक्रम व व्यवसाय का चयन कर पेशेवर व व्यावसायिक क्षेत्र में आगे बढ़कर सफलता प्राप्त कर सकते है।

आज शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं पूर्ण जागरूकता के साथ सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में

सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से शिक्षा के क्षेत्र में तो अभूतपूर्व प्रगति हुई है। यह सर्वमान्य सत्य है कि शिक्षित महिला में अधिक आत्मविश्वास होता है क्योंकि शिक्षा से ही किसी भी विषय की गहन जानकारी प्राप्त हो सकती है, गहन ज्ञान ही व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बना आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षित महिलाएं स्वयं के बारे सोच पाती है, निर्णय लेने में समर्थ होती है व उन्हें अपने हित–अहित की जानकारी हो पाती है। शिक्षा के माध्यम से महिलाएं कार्यों को अधिक कुशलता के साथ पूरा कर रही है। जैसे :–

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं

संचार क्रान्ति से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में भी जाग्रति चेतना व आत्मविश्वास का संचार हुआ है। वे इंटरनेट का समुचित प्रयोग कर जीवन में सफलता प्राप्त कर रही है। आज की ग्रामीण महिलाएं केवल कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पाद, कुक्कुट पालन जैसे परम्परागत कार्यों तक ही सीमित नहीं रही है वरन् उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही है। आधुनिक समय में प्रत्येक परिवार के पास टेलीविजन, इंटरनेट है व मोबाईल तो प्रत्येक सदस्य के पास व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध है। इन सभी साधनों का उपयोग मनोरंजन के लिए तो हो ही रहा है, परन्तु महिलाएं इसे ज्ञान–वर्द्धन हेतु भी काम में ले रही है। आज महिलाएं कृषि, पशुपालन व अन्य कुटीर उद्योगों से सम्बन्धित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को टीवी पर देखती है व समझ कर अपने ज्ञान व कौशल में वृद्धि कर रही है। इन माध्यमों से कृषि से

सम्बन्धित नवीन जानकारियाँ प्राप्त कर कृषि को उन्नत कृषि में परिवर्तित कर रही है। पशुपालन के साथ उनसे प्राप्त अपशिष्ट पदार्थों से खाद आदि बनाकर परिवार की आय में वृद्धि कर रही है। इन वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चा माल बाजार में कहाँ, किस समय व किस मूल्य पर प्राप्त होगा व निर्मित माल का लक्ष्य बाजार क्या होगा इन सभी की जानकारी संचार माध्यमों से प्राप्त कर रही है।

इस प्रकार ये ग्रामीण महिलाएं सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही है।

शहरी क्षेत्र की महिलाएं

संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने शहरी क्षेत्र की महिलाओं को भी सफलता के नये आयाम प्राप्त करने में सहयोग प्रदान किया है। शिक्षा के क्षेत्र में तो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए है। उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु इन महिलाओं के लिए कई नये माध्यम खुल गये है। मुक्त विश्वविद्यालयों के द्वारा घर बैठे उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही है। इन्हें पत्रकारिता, उद्यमिता, कला, स्वास्थ्य, योग आदि कई प्रकार के डिप्लोमा कोर्स करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। इन संस्थानों से कई प्रकार की डिग्री प्राप्त कर जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता के साथ आगे बढ़ रही है।

कोचिंग सुविधाएं

संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में ऑनलाईन कोचिंग (शिक्षण–प्रशिक्षण) की सुविधा प्राप्त हुई है। रूढ़िवादी सोच के कारण जो बालिकाएं घर से बाहर जाकर विशेष कोर्स का शिक्षण–प्रशिक्षण लेने से वंचित रह जाती थी, वहीं बालिकाएं आज ऑनलाईन कोचिंग प्राप्त कर घर बैठे पेशेवर पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्राप्त कर रही है। बालिकाओं का बड़ी संख्या में सी.ए., सी.एम.ए., सी.एस. जैसी पेशेवर डिग्री प्राप्त करना ऑनलाईन क्लासेस के द्वारा सुविधाजनक हो गया है।

आज शहरी व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों की महिलाएं ऑनलाईन कोचिंग क्लासेस के द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि कर सफलता प्राप्त कर रही है।

ज्ञान, कौशल व दक्षता का समुचित उपयोग

संचार प्रौद्योगिकी से महिलाओं के ज्ञान, कौशल व दक्षता का भी समुचित उपयोग होने लगा है। कई महिलाएं उच्च शिक्षित व प्रशिक्षित होते हुए भी कई बार पारिवारिक कारणों से जैसे कि – विवाह के पश्चात् पारिवारिक कारणों से नौकरी छोड़नी पड़ती है, कई बार बच्चों की परवरिश हेतु भी नौकरी छोड़नी पड़ती है, पति की नौकरी अन्यत्र स्थान पर होने पर भी महिलाएं नौकरी नहीं कर पाती है आदि। ऐसे कई पारिवारिक कारण है जिनसे महिलाएं नौकरी नही कर पाती है अथवा नौकरी छोड़नी पड़ती है। परिणामस्वरूप उनमें निराशा व अवसाद की भावना भर जाती है, वे स्वयं को हीन समझने लगती है। परिणामस्वरूप उनमें आत्मविश्वास की कमी होने लगती है।

परन्तु संचार प्रौद्योगिकी के विकास से ऐसी महिलाओं के मन में आशा व विश्वास का संचार हुआ है। अब वे अपने ज्ञान व कौशल का उपयोग ऑनलाईन पोर्टल के द्वारा कर स्वयं भी सन्तुष्ट है। व समाज व राष्ट्र को भी उनकी योग्यता का लाभ मिल रहा है। अभी कोरोना महामारी के समय में कई व्यक्ति बेरोजगार हो गये थे ऐसे समय में उनकी पत्नी या स्वयं अथवा सम्मिलित प्रयास से घर बैठे संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर आर्थिक रूप से सशक्त बने हुए है। महिलाओं द्वारा संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से न केवल परिवार को आर्थिक सम्बल मिला है वरन् समाज व राष्ट्र को भी इन महिलाओं की योग्यता का लाभ मिल रहा है।

सरकारी योजनाओं की जानकारी

संचार प्रौद्योगिकी से महिलाओं को आसानी से सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो रही है। स्वास्थ्य टीकाकरण, प्रसव, शिशु पालन, महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न रोगों की जानकारी महिला उद्यमियों को मिलने वाले अनुदान विशेष योजनाओं आदि की जानकारी भी इंटरनेट के माध्यम से आराम से प्राप्त हो जाती है। महिलाओं में राजनैतिक चेतना भी आयी है, परिणामस्वरूप वह अपने राजनीतिक अधिकारों व मानवाधिकारों के प्रति भी जाग्रत हुई है।

सामाजिक कुरीतियों का निवारण

समाज में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त है, परन्तु ज्यों–ज्यों महिलाओं ने संचार क्रांति से जाग्रति आयी है, अब वे बाल–विवाह, पर्दा प्रथा एवं दहेज प्रथा जैसी बुराईयों के प्रति जागरूक हो गयी है व शिक्षा के महत्त्व को समझने लगी है, क्योंकि शिक्षाके प्रसार से ही सामाजिक कुरीतियाँ दूर हो सकती है।

स्वस्थ पर्यावरण का विकास

संचार साधनों के विकास से महिलाएं स्वच्छता, पर्यावरण विकास व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का महत्त्व समझने लगी है आज वे सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही है।

हस्त–शिल्प व कुटीर उद्योगों का विकास

सरकारी योजनाओं में हस्त–शिल्प व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन उत्पादों के विक्रय हेतु रूरल बाजार, हाट बाजार, मेलों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाईन पोर्टल पर भी इनका प्रदर्शन व विक्रय किया जाता है। इन सब के द्वारा भी महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन मिला है।

उत्पादों के विक्रय व वितरण में सुविधा

सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से ऑनलाईन व्यवसाय को प्रोत्साहन मिला है। अब महिलाएं स्वयं ही सोशल मीड़िया का उपयोग कर स्वयं ही वस्तुओं के विक्रय बाजारों का निर्माण कर रही है। इससे इनकी आर्थिक, सामाजिक, व पारिवारिक स्थिति मजबूत हुई है।

वर्क फ्रॉम होम

वर्क फ्रॉम होम तो केवल संचार प्रौद्योगिकी के विकास से ही संभव हुआ है। इस विचार ने महिलाओं की सशक्तिकरण में सक्रिय योगदान दिया है। कोरोना महामारी के समय अधिकांश कम्पनियों ने इस अवधारणा को अपनाया है। इससे महिलाओं को बहुत सहारा मिला है, अब उन्हें पारिवारिक कारणों से मजबूरी में नौकरी नही छोड़नी पड़ रही है। वे बखूबी दोनों दायित्त्वों का निर्वाह कर रही है। अब महिलाएं पेशेवर लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर औद्योगिक जगत में उच्च स्थान प्राप्त कर रही है।

इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी मानव जीवन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन गयी है।

किसी भी साधन को विवेकसम्मत तरीके से उपयोग किया जाये तो वह वरदान है यदि उसे गलत तरीके से काम में लिया जाये तो अभिशाप भी हो सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी को भी केवल मनोरंजन का ही साधन मान लिया जाय तो यह केवल समय व धन की बरबादी की साबित होगा। अतः यह उपयोगकर्त्ता पर निर्भर करता है कि उस साधन उपयोग से सशक्त बने अथवा समय की बरबादी करे।

सारांश

संचार प्रौद्योगिकी ने महिलाओं के सशक्तिकरण की राह को आसान बना दिया है। इस तकनीक का विकास होने से सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। इनको शिक्षा रोजगार व विकास के अधिकाधिक अवसर प्राप्त हो रहे है। बालिकाएं उच्च शिक्षा, तकनीक व व्यावसायिक शिक्षा के प्राप्त कर रही है। ये अपनी कौशल व दक्षता का परचम देश–विदेश व सभी क्षेत्रों में फहरा रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Shikha Mathur Kumar – Role of Information and Communication Technology (ICT) in Women Empowerment.
2. डॉ. अर्चना कुशवाह – सूचना प्रौद्योगिकी समाज, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण
3. डॉ. संजय कुमार द्विवेदी – नारी सशक्तीकरण के नए क्षितिज
4. Dr. Bimal Anjum; Rajesh Tiwari, - " Role of Information Technology in Women Empowerment International Journal of Multidisciplinary Management Studies. Vol-2 Issue/ Jan. 2012 ISSN: 2249-8834, PP 223-226
5. Sarita Rathi and Shyam alenda Niyagi – Role of ICT in Women Empowerment Advance in Economics and Business Managements (AEBM) Print ISSN: 2394-1545 Online ISSN – 2394-1553, Volume 2 Number-5 April-June 2015 PP 519-521
6. पत्र–पत्रिकाएं
7. समाचार पत्र
8. गूगल सर्च

❑❑❑

11

भारत में महिला सशक्तिकरण एवं राष्ट्र निर्माण

मधुरानी*

प्रस्तावना

वेदों में, नारी को सम्मानजनक उच्च स्थान प्राप्त करते हुए उनकी तुलना ब्रह्मा से की गई है । ब्रह्मा स्वयं ज्ञान के अधिष्ठाता हैं ,इसी प्रकार नारी स्वयं ज्ञानवान होते हुए अपनी संतान को भी सुशिक्षित बनाती हैं । प्रत्येक देवता के साथ उसकी दैवीय शक्ति की कल्पना की गई है जैसे – धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, शक्ति की देवी दुर्गा, दुर्गा की ही भांति इंद्राणी, अदिति, रोमशा, उषा, इला, विशंभ्वारा आदि अनेक वैदिक देवियां अनेक मंत्रों की अधिष्ठात्री हैं। इस प्रकार नारियों का प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल में भी महत्वपूर्ण योगदान एवं स्थान रहा हैं। इसी संदर्भ में महिलाओं को अधिक सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा हैं।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है– महिलाओं को शक्तिशाली बनाना अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से महिलाओं को पुरुषों के समानांतर लाना। सामान्य अर्थ में, सामाजिक प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, संसाधनों की पहुंच तथा प्रयोग की स्वतंत्रता के संदर्भ में महिला को शक्ति संपन्न बनाना हैं। सशक्तिकरण महिलाओं को सक्षम बनाने की एक प्रक्रिया है, जिससे भौतिक, बौद्धिक व मानवीय स्रोत तक उनकी पहुंच व नियंत्रण प्राप्त हो सके और स्त्रियां भी समाज में सहयोगियों के रूप में स्थापित हो न कि दासियों की तरह। सशक्तिकरण को व्यापक अर्थ में देखें तो सशक्तिकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की योग्यता कुशलता एवं मानवीय गुणों की साझेदारी से हैं। महिलाओं के लिए निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक माना जा रहा हैं। स्त्रियों का सशक्तिकरण उन्हें नए क्षितिज दिखाने का प्रयास है जिससे वे नई क्षमताओं को प्राप्त कर स्वयं को नए तरीके से देखेंगी, उनके द्वारा समाज की वर्तमान व्यवस्था में बिना भेदभाव और विभिन्न तौर–तरीकों को चुनौतियों में समान अवसर, राजनीतिक एवं आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा का अधिकार के साथ सृजन क्षमता के लिए विशेष सुविधाओं की अधिकारी हो।

* सहायक आचार्य, (अतिथि विद्वान), शा. गीतांजलि कन्या महाविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।

लेकिन वास्तव में जहां पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव रहता हैं, वहां समाज उन्नति नहीं कर सकता हैं। भारतीय आजादी के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं लेकिन 70 वर्षों में महिलाओं में साक्षरता की दर में भले ही वृद्धि हो गई है, उन्हें आर्थिक स्वालंबन भी प्राप्त हो गई है किंतु समाज आज भी उन्हें दोयम दर्जे की नजर पर ही देखता हैं। भारत के संविधान में लिखा है कि देश में जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किंतु ऐसा नहीं है इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को महिलाओं के साथ खड़े होने की आवश्यकता हैं। भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के समय की गई कल्पना अब साकार रूप लेने लगी हैं। इन संविधान संशोधनों से स्थानीय शासन में प्राप्त 33 प्रतिशत आरक्षण का ही परिणाम है कि आज संपूर्ण भारत में लगभग 15 लाख महिलाएं जनप्रतिनिधि सभाओं में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। संविधान संशोधन का प्रभाव न केवल राजनीति ने सक्रिय रूप से भाग लेकर चुनाव लड़ने व जीतने वाली महिलाओं पर ही पड़ा है, बल्कि सामान्य महिलाओं में भी राजनीतिक जागरूकता बढ़ी हैं।

महिला सशक्तिकरण के बहुआयाम

महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, इस प्रक्रिया में अनेक आयाम हैं – जैसे– शैक्षिक, स्वास्थ्य, भावनात्मक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, संवैधानिक तथा कानूनी। इस उद्देश्य हेतु सरकार ने समय–समय पर ऐसी नीतियां और कार्यक्रम बनाए हैं जिससे महिलाओं को उत्तम स्वास्थ्य, स्तरीय शिक्षा, सम्मानित जीवन तथा रोजगार, समान पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा आदि को देकर अवश्य उपलब्ध हो। देश में शक्तिशाली महिला नेतृत्व के रूप में भीखाजी कामा, डॉ. एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, अरूणा आसफ़ अली, सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू आदि जैसे कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने देश के नारी शक्ति का नाम गौरवान्वित किया हैं। लेकिन देश के गिरते लिंगानुपात ने नारी विकास और सशक्तिकरण को देश की प्राथमिकता बना दिया है ताकि लिंगानुपात की गहरा गहरी खाई को भरा जा सके।

प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या (लिंगानुपात)

वर्ष	जनसंख्या (महिलाओं की)
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	927
2001	933
2011	940

प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या (लिंगानुपात)

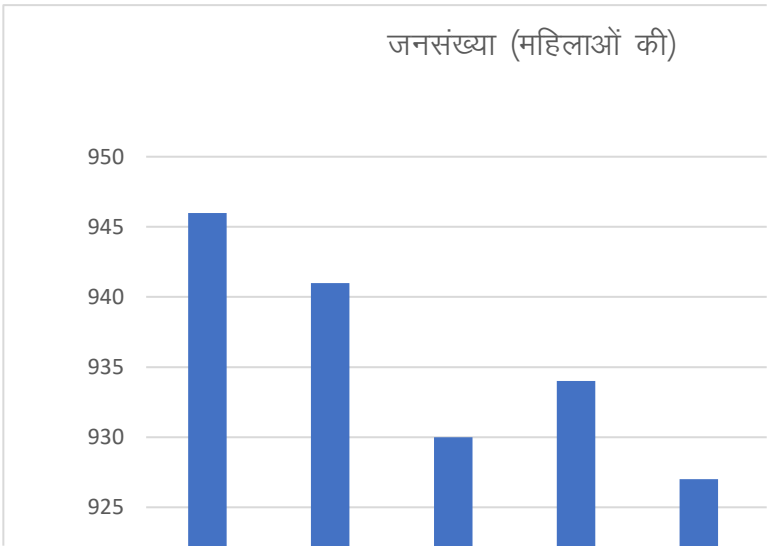

देश में, इस तरह की व्यवस्था को बदलने के लिए सख्त कानून बनाया है, जो महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ–साथ समाज को संतुलित एवं सही दिशा में लाने का काम कर रहा हैं उदाहरण के लिएः–

- शिक्षा के अधिकार को कानून लागू करना,
- दहेज एवं गर्भपात के लिए कानून बनाना,
- विवाह एवं उत्तराधिकार से संबंधित कानून,
- कार्यस्थल में उत्पीड़न से संबंधित कानून,
- घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून,
- सरकारी शिक्षा एवं नौकरियों में आरक्षण,

ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे महिलाओं को बेहतर जीवन जीने का हक देता है जिससे उनको समाज में अपने अस्तित्व को हौसला मिलता है साथ ही देश में लैंगिक असमानता एवं लैंगिक अनुपात को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता हैं।

महिला सशक्तिकरण के अहम कानून

- दहेज जैसी सामाजिक अभिशाप से महिला को बचाने के लिए 1961 में दहेज निषेध अधिनियम बनाया गया। 1986 में इसे संशोधित कर समय के अनुसार तब्दील किया गया हैं। कानून के अनुसार, दहेज लेना और देना दोनों दंडनीय अपराध माना गया हैं।
- **मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971**– इस कानून के अनुसार, कुछ विशेष परिस्थितियों में 12 से 20 सप्ताह तक के ही गर्भपात कराने की व्यवस्था की गई हैं। इस कानून के अनुसार गर्भपात केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है– जैसे जब महिला की जान को खतरा हो, महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो, बलात्कार के कारण गर्भधारण हुआ हो, पैदा होने वाले बच्चे का विकलांग होने का डर हो। कानून का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य की और सम्मान को कानूनी अधिकार देना था।
- **समान पारिश्रमिक एक्ट 1976** – समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का लक्ष्य पुरुष और महिला कामगारों को समान पारिश्रमिक का भुगतान करना है, जिससे मुख्य रूप से महिलाओं के विरुद्ध लिंग के आधार पर भेदभाव रोकना शामिल किया गया हैं।
- **लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट 1994** – गर्भावस्था में लिंग परीक्षण को रोकने हेतु पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 अस्तित्व में आई है, जिसका उद्देश्य मादा भ्रण हत्या को रोकना है, इसका पालन न करने वालों को ₹10 हजार से ₹50 हजार तक का जुर्माना और उसे 5 साल तक सजा देने का भी प्रावधान किया गया हैं।
- **महिला हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005** – इसमें संशोधन कर बेटियों को पिता के पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया हैं। इस कानून के जरिए स्त्रियों को उसके पिता की संपत्ति में समान अधिकार देने का प्रावधान हैं, इसका उद्देश्य अविवाहित बेटियां या शादी के बाद भी किसी कारण से वित्तीय निर्भरता से जूझ रही स्त्रियों को सहारा देना हैं।

- **बाल विवाह रोकथाम अधिनियम एक्ट 2006**– बाल विवाह पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया हैं। विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के कानून की जगह बाल विवाह अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया गया हैं।
- **बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012**– यह अधिनियम यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बच्चों खासकर बच्चियों को संरक्षण का प्रयास करता हैं। इस अधिनियम में साल 2019 में संशोधन करके गंभीर पैनिट्रेटिव यौन हमले के मामलों में आरोपी को 20 साल की सजा से लेकर मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया हैं।
- **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013**– कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण भावना से किया गया अवांछित व्यवहार यौन शोषण की श्रेणी में आता हैं। ऐसी स्थिति में से निपटने के लिए संसद द्वारा यह कानून बनाया गया जिससे महिलाओं को कार्यस्थल पर स्वच्छंदता से काम करने का अवसर दिया जाए।
- प्रसूति व सुविधा संशोधन अधिनियम 2016।
- तीन तलाक प्रथा का अंत (मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण कानून)।
- मातृत्व लाभ अधिनियम।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया अभूतपूर्व कदम हैं। भारत की आधी आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर महिला श्रम में योगदान दें तो भारत का विकास दर दहाई की संख्या में होगी। वैश्विक स्तर पर भी माना गया है कि समाज की प्रगति को गतिशील बनाना है तो महिलाओं को सशक्त होना बेहद आवश्यक माना गया हैं। महिला सशक्तिकरण एवं लिंगानुपात को कम करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम, 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत, महिलाओं का कौशल विकास करना आदि हैं। महिला सशक्तिकरण का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वह सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कितनी प्रगति की हैं।

महिला सशक्तिकरण के लिए आर्थिक स्वतंत्रता एक जरूरी एवं मजबूत जमीन तैयार करती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए शुरू से ही देश में कई योजनाओं के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने का काम किया जा रहा हैं। इन्हीं में से एक है, महिला के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम यानी STEP, वर्ष 1986 में इसे एक केंद्रीय योजना के रूप में शुरू की गई है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का कौशल विकास करना, जिससे वे स्वरोजगार यानी उद्यमी बनने का हुनर हासिल कर सके । योजना का मुख्य उद्देश्य 16 वर्ष या उससे अधिक के लड़कियों या महिलाओं का कौशल विकास करना हैं। इसे कारगर पहल के रूप में देखा गया है। वर्ष 1993 में महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर और बल देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वायत्तशासी संगठन यानी राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया, जो एक शीर्ष सूक्ष्म वित्तीय संगठन हैं। जिसे गरीब वर्ग के जरूरत महिलाओं को लोन देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा एक बड़ा किराएदार निभाता है। शिक्षा आर्थिक स्वालंबन की दिशा में भी अहम कदम है। साक्षरता के प्रति व्यापक जागरूकता लाने के लिए देश में सर्व शिक्षा अभियान जैसी मुहिम पहले से ही चलाई जा रही हैं। वहीं वर्ष 2004 में महिला साक्षरता के महत्व को समझते हुए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत की गई। जिसका लक्ष्य देश के खासकर, गांव एवं पिछड़े क्षेत्रों को बनाया गया, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय स्तर से कम पाई गई हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 25 प्रतिशत ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते है ,इसमे उन्ही की बच्चियों का दाखिला दिया जाता हैं। यह योजना मुख्य रूप से उन बालिकाओं पर ध्यान केंद्रित करती है, जिनकी उम्र 10 वर्ष है या जो विद्यालय प्रणाली से बाहर हैं।

साक्षरता के अलावा महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है, मातृत्व एवं शिशु दर का बढ़ता आंकड़ा । जिस पर ध्यान देने की खास जरूरत है, इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005 में जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रसव की संस्थागत सुविधाएं प्रदान करना है। इससे गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य जांच एवं प्रसव के दौरान देखभाल और निगरानी करने में सहायता मिलती हैं। भारत में बहुसंख्यक महिलाओं पर कुपोषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक कमजोर मां से कम वजन वाले बच्चे को जन्म देने की आशंका बनी रहती है, ऐसे में जब अल्पपोषण गर्भाशय से शुरू होता है तो वह पूरे जीवन चक्र में फैलता है और यह कुपोषण अगली पीढ़ी पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता हैं।

वर्ष 2010 में मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत की गई। जिसके अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान वाली महिलाओं को कुछ शर्तों के साथ मातृत्व लाभ दिया जाता है। जिसका उद्देश्य पोषण एवं स्वास्थ्य के सुधार लाना है, इसके लिए उन्हें नगद प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।

वर्ष 2017 में नई योजना प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किया गया। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना होता है ताकि वे खुद के साथ–साथ अपने नवजात की भी देखभाल कर सकें ।

1 अप्रैल 2011 को शुरू की गई सबला योजना किशोरियों के कल्याण के उद्देश्य के साथ अस्तित्व में आया हैं। पायलट योजना के तौर पर सबला को 200 दिनों की, एक करोड़ से अधिक किशोरियों के साथ शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी को 11–15 और 15–18 वर्ष के दो समूहों में विभाजित किया गया है– पहला परीक्षण– जिसमें 11– 15 वर्ष की बालिकाओं को पका हुआ खाना दिया जाता है, जबकि दूसरे गैर–पोषण के समय में 15–18 वर्ष की लड़कियों को आयरन एवं फॉलिक एसिड जैसी प्रतिपूरक दवाइयां दी जाती हैं।

22 जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत पानीपत हरियाणा से किया गया। इससे शिशु लिंगानुपात की कमी को रोकने में मदद मिलती है । ये योजना तीन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है– महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं

परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार 8 मार्च 2018 से देश के 640 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की गई है। इस योजना के जरिए समाज में जागरूकता लाने में सफलता मिल रही है।

संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रिपोर्ट 2016 लैंगिक असमानता सूचकांक को देखा जाए तो भारत 159 देशों में 125वें स्थान पर हैं। विश्व आर्थिक फोरम के जेंडर गैप इंडेक्स पर भी भारत 144 देशों में 108 वें स्थान पर हैं। पिछले वर्षों के मुकाबले भारत यहां 21 पायदान फिसल गया हैं। विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने वर्ष 2022 के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल (Global Gender Gap (GGG)) सूचकांक में भारत को 146 देशों में से 135 वें स्थान पर हैं। किसी भी राष्ट्र के विकास एवं निर्माण में महिला आर्थिक विकास का होना आवश्यक हैं। आर्थिक विकास महिला सशक्तिकरण के बिना असंभव एवं अधूरा हैं। भारत के बारे में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के तौर पर चर्चा की जाए, तो यहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा के समाचार आते हैं। परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ताजे परिणामों के अनुसार, अपने परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की छूट केवल 20 प्रतिशत महिलाओं को है, जबकि आज 42 प्रतिशत महिलाएं अपने पतियों के बराबर कमा रही हैं। इस प्रकार महिलाओं को अनेकों मुद्दे उन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हैं।

फिर भी, इतिहास साक्षी है कि प्रत्येक काल में भारतीय महिलाओं ने अपने विवेक, ज्ञान, समर्पण एवं परिश्रम से शक्तिशाली नेतृत्व किया है, जिसमें रजिया सुल्तान, मीराबाई (मध्ययुगीन कवियित्री), गुलबदन बेगम, चांदबीबी, नूरजहां, रानी दुर्गावती, महारानी अहिल्याबाई होलकर ,रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल, सावित्रीबाई फुले, मेरी कॉम, सिंधुताई सपकाल, टेसी थॉमस, इंदिरा नूई, गौरा देवी जैसे अनेकों महिलाएं सशक्त महिला के उदाहरण हैं। महिला आर्थिक विकास के क्षेत्र में नवभारत की शक्तिशाली महिला नेतृत्व में अरुंधती राय, सुनीता विलियम्स, किरण बेदी, चंदा कोचर, सुनीता नारायण, प्रतिभा पाटिल जैसी अनेकों महिलाओं में देश का गौरव बढ़ाया है। आज की शिक्षित महिला समय और शिक्षा दोनों के महत्व को जानती हैं। आज प्रत्येक क्षेत्र में महिला सक्रिय रूप से निर्णय निर्णय लेने लगी है। शिक्षा, चिकित्सा, तकनीक, वैज्ञानिक, कला, कविता, साहित्य सृजन आदि सभी क्षेत्रों में नारी शक्ति विद्यमान हैं। जिन लोगों को महिलाओं की कार्य क्षमता में अविश्वास था, वे भी अब उनकी योग्यता पर विश्वास करने लगे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की महिलाओं के जागरण की गति आश्चर्य में डाल दिया वाली हैं। वह आज प्रशासन की सर्वोच्च परीक्षाओं में भी अपनी योग्यता का परिचय दे चुकी है, आज जीवन का कोई क्षेत्र उससे अछूता नहीं रहा है, यही भारत की नारी शक्ति एवं महिला सशक्तिकरण की पहचान हैं।

❑❑❑

12

भारतीय सामाजिक–सांस्कृतिक पुनर्जागरण

डॉ. महेन्द्र सिंह राजपुरोहित*

प्रस्तावना

पश्चिम और पूर्व के सांस्कृतिक प्रवाहों के संपर्क और अन्तः क्रिया (प्दजमत.।बजपवद) के फलस्वरूप भारत ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में पुनर्जागरण या रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में 'सांस्कृतिक नवोत्थान' के युग में प्रवेश किया। दरअसल 18वीं सदी के अन्त तक भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति से आक्रान्त थी। उस काल में तथाकथित शिक्षित भारतीय अंग्रेजी भाषा, पौशाक, साहित्य व पाश्चात्य ज्ञान को श्रेष्ठ मानते थे, परिणामस्वरूप भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया था, ऐसे संक्रमण काल में विविध धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आन्दोलनों का आगमन हुआ। इन आन्दोलनों ने एक ओर जहाँ धार्मिक व सामाजिक सुधार का आह्वान किया तो दूसरी ओर भारत के गौरवशाली अतीत को उभारकर भारतीयों को स्वयं की सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति आकृष्ट किया। वस्तुतः भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परम्परा ही वह सुदृढ़ आधार–स्तम्भ था, जिस पर भारतीय पुनर्जागरण का भव्य भवन खड़ा हो सका।

पुनर्जागरण का अभिप्राय

पुनर्जागरण का अर्थ हैं – नया आलोक, भविष्य की ओर बढ़ने की एक क्रान्तिकारी प्रेरणा, घिसे हुए रीति–रिवाजों की जंजीरों से मुक्ति।[1]

पुनर्जागरण, एक निश्चित विराम के बाद विकास की नई दिशा में बढ़ने का नाम हैं। हम जिस दिशा की ओर बढ़ते हैं उस दिशा का निर्माण कहीं पूर्व मान्यताएँ करती हैं कहीं बाह्य आदर्श करते हैं। पुनर्जागरण में पूरी तरह से प्रगति और विकास की आकांक्षा निहित हैं, परन्तु प्राचीन के साथ हम अपना पूर्णरूपेण सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर बैठते, क्योंकि ऐसा करने का अर्थ नई रचना होगा। सम्भवतः ऐसी रचना को सम्पूर्ण समाज का, जन मानस का समर्थन प्राप्त न हो। कुछ लेखकों ने पुनर्जागरण का अभिप्रायः बतलाया हैं 'शाब्दिक और संकुचित अर्थ में उस वस्तु का पुनर्जन्म जो कभी निर्दोष और सम्पूर्ण रूप से विद्यमान थी।''[2]

* सह आचार्य – राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पाली, राजस्थान।

वस्तुतः पुनर्जागरण का अभिप्रायः नवीन प्रगतिशील मूल्यों की अनुस्थापना की दिशा में नवचेतना की पुनः स्थापना हैं।[3]

रामधारीसिंह दिनकर ने अपने ग्रन्थ 'संस्कृति के चार अध्याय' में पुनर्जागरण को 'नवोत्थान' की संज्ञा देते हुए इसे इस प्रकार समझाया हैं – 'नवोत्थान उस प्रक्रिया का नाम हैं जिससे भारत सम्भला, जिससे उसने यूरोप से नैतिक कुश्ती लड़ते समय अपने हिलते हुए पाँवों को स्थिर किया, जिससे उसे यह विश्वास हुआ कि मैं सचमुच इतना बुरा नहीं हूँ जितना कि नये लोग बता रहे हैं, बल्कि मेरे पास कुछ ऐसे अनुभव भी हैं जिनका इन बच्चों को पता भी नहीं हैं।[4]

भारतीय सामाजिक–सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अवधारणा

भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण किसी भी रूप में अतीत की ओर लौटने का प्रतीक नहीं हैं इसलिए यह यूरोप के पुनर्जागरण से भिन्न हैं। भारत का पुनर्जागरण पूर्ण रूपेण नैतिक और आध्यात्मिक चिन्हों की धरोहर हैं, जिसका स्वरूप सुधारकों एवं नेताओं के अनुसार स्वशासित एवं स्वनिर्मित राजनैतिक अस्तित्व में निहित हैं। प्रारम्भ में भारतीय पुनर्जागरण को हम पूरी तरह से बौद्धिक पुनर्जागरण के रूप में देखते हैं, जिसने समग्र रूप में हमारी शिक्षा, कला, विचारधारा और साहित्यिक आकांक्षाओं को प्रभावित किया।

भारत का बौद्धिक पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण था। जिस प्रकार इटली के पुनर्जागरण तथा जर्मनी के धर्मसुधार आन्दोलन ने यूरोपीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए बौद्धिक आधार का काम किया था, उसी प्रकार भारत के सुधारकों तथा धार्मिक नेताओं के उपदेशों ने देशवासियों में स्वायत्त तथा आत्मनिर्णय पर आधारित राजनीतिक जीवन का निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न की। भारतीय आत्मा के जागरण की सृजनात्मक अभिव्यक्ति सर्वप्रथम दर्शन, धर्म और संस्कृति के क्षेत्रों में हुई ओर राजनीतिक आत्म–चेतना का उदय उसके अपरिहार्य परिणाम के रूप में हुआ।[5]

भारतीय पुनर्जागरण में अतीत को पुनर्जीवित करने की प्रवृति अधिक बलवती थी। भारतीय पुनर्जागरण आन्दोलन के कुछ नेताओं ने खुले रूप में इस बात का समर्थन किया कि हमें जानबूझकर वेदों, उपनिषदों, गीता, पुराणो, आदि प्राचीन धर्मशास्त्रों के आधार पर अपने वर्तमान जीवन को ढालना चाहिए। उन्होनें उन भारतीयों की निन्दा की जो हक्सले, डार्विन, मिल और स्पेंसर के विचारों से प्रभावित थे तथा जिनका जीवन दर्शन आध्यात्मिकता तथा राष्ट्रप्रेम से पूर्णतः शून्य हो गया था। अतीत को पुनर्जीवित करने की यह भावना आकामक तथा अंहकारपूर्ण विदेशी सभ्यता की महान् चुनौती के विरूद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुई थी। चूंकि यह सभ्यता राजनैतिक दृष्टि से अत्यधिक प्रभावी और आर्थिक दृष्टि से बलशाली थी इसीलिए उसके विरूद्व प्रतिक्रिया का होना और भी अधिक स्वाभाविक था। पश्चिम की यान्त्रिक सभ्यता तथा भारत की धार्मिक तथा पुण्योन्मुखी संस्कृतियों के बीच इस संघर्ष से नये भारत का उदय हुआ।[6]

नवजागरण की प्रथम अभिव्यक्ति भारतीय भाषाओं के साहित्य के विकास के रूप में हुई। बंगाल में कवि माइकेल मधुसुदन दत्त (1824–1873), नाटककार दीनबन्धु मित्र (1830–1874), हेमचन्द्र बनर्जी (1838द्1902), नवीन चन्द्र सैन (1847द्1908) तथा रवीन्द्रनाथ टैगोर (1861–1941) के साहित्य पर अंग्रेजी साहित्य का पूरा प्रभाव हैं, परन्तु उनके साहित्य की आत्मा में भारतीयता के दर्शन होते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि "उन्हे भारतीय मस्तिष्क तथा परम्परा के अनुकूल विदेशी साहित्य की आत्मा, आदर्श तथा कौशल तक के अपनाने में अपूर्व सफलता मिली।''[7]

पुनर्जागरण की द्वितीय अभिव्यक्ति समाज तथा धर्म सुधार आन्दोलन के रूप में हुई , जिसे सांस्कृतिक नवजागरण कहते है। ''इग्लैण्ड के सुधार आंदोलन का धार्मिक आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं था, किन्तु भारत में समाज सुधार तथा धर्म सुधार आन्दोलन साथ–साथ चले और धार्मिक आन्दोलन ने ही समाज सुधार आन्दोलन को जन्म दिया।[8]

सांस्कृतिक नवोत्थान के प्रधान लक्षण थे (1) अतीत की गौरवपूर्ण उपलब्धियों का अनुसंधान, (2) निवृत्ति मार्ग का त्याग और प्रवृत्तिवाद का उत्थान, (3) समाज और धर्म पर कुरीतियाँ तथा पौराणिक संस्कारों की धूल को झाड़ना और समाज तथा धर्मसुधार अभियान पर बल, (4) वैचारिक आधार पर हिन्दुत्व की ईसाइयत की निन्दा से रक्षा करना, (5) वैदिक साहित्य एवं संस्कृति, भारतीय दर्शन एवं चिन्तन की तुलनात्मक श्रेष्ठता सिद्ध करना ताकि ईसाइयत एवं पश्चिम के सांस्कृतिक आकमण का प्रतिरोध किया जा सकें, (6) वैज्ञानिक चिन्तन एवं शिक्षा प्रचार के प्रति रूझान, आदि।[9]

रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक "संस्कृति के चार अध्याय'' में भारतीय नवोत्थान के दो लक्षण बताये हैं – (1) भारतीय नवोत्थान का एक प्रधान लक्षण अतीत की गइराईयों का अनुसंधान था, (2) नवोत्थान का दूसरा प्रधान लक्षण निवृत्ति का त्याग था।[10]

यूरोप के पास जो पूंजी थी, उसमें विज्ञान ही एक ऐसा तत्व था जो भारत को नवीन लगा ओर जिसे भारत ने खुशी–खुशी स्वीकार कर लिया। बाकी प्रत्येक दिशा में भारत ने अपने अतीत की पूंजी टटोली और अपने प्राचीन ज्ञान को नवीन करके वह नये मार्ग पर अग्रसर होने लगा।[11]

स्वामी विवेकानंद और लोकमान्य तिलक ने वेदान्त और गीता की ही नयी व्याख्या करके यह प्रतिपादित किया हैं कि भारतीय वैदिक धर्म का मूल उपदेश निवृति नहीं प्रवृति हैं।[12]

भारतीय सामाजिक–सांस्कृतिक पुनर्जागरण : स्वरूप

भारतीय पुनर्जागरण प्रारम्भ में एक बौद्धिक पुनर्जागरण रहा जिसने हमारे साहित्य, हमारी शिक्षा और विचारधारा को प्रभावित किया। अपने दूसरे चरण में यह पुनर्जागरण एक नैतिक शक्ति हो गया जिसने हमारे समाज और धर्म को सुधारा। तीसरे चरण में इसने प्रारम्भ से ही भारत का आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया और अन्त में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की।[13]

यूरोप की अधीनता में पड़ने के बाद भी भारत आधिभौतिकता के शिकंजे में गिरफ्तार नहीं हुआ। हॉ, इतना अवश्य हुआ कि आधिभौतिकता की टकराहट से भारत की ऊँधती हुई बूढ़ी सभ्यता की नींद खुल गई और वह इस भाव से अपने धर के सामानों पर नजर दौड़ाने लगी कि जो चीजें लेकर यूरोप भारत आया हैं, वे हमारे धर में हैं या नहीं। भारतीय सभ्यता का यही जागरण भारत का नवोत्थान था।[14]

भारतीय पुनर्जागरण को पश्चिम सभ्यता ने जिस स्वरूप में प्रस्तुत करना चाहा, उसमें वह सफल नहीं रही। हमने वैचारिक क्षेत्र में बुद्धिवाद और उदारवाद की मान्यताओं को स्वीकार करके उन्हें पूर्णरूपेण भारतीयता प्रदान की, अनुकरण से जितना हमने ग्रहण किया उसका भारतीयकरण किया, क्योंकि हमने अन्धानुकरण नहीं किया। यही कारण हैं कि पाश्चात्य शिक्षा, साहित्य, धर्म और सभ्यता के निरन्तर प्रहार भी हमें हमारी आध्यात्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से विमुख नहीं कर सकें। भारतीय नवोत्थान का स्वरूप भी इसी तथ्य की कहानी हैं। सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक क्षेत्र में नवोत्थान की इस धारा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता हैं।

सामाजिक क्षेत्र

भारतीय समाज विविध प्रकार की रूढ़ियों और कुरीतियों के जाल में फंसा हुआ था। सामाजिक जीवन में बढ़ती हुई इन कुरीतियों ने हिन्दू समाज व्यवस्था को विसंगठित, विश्रृंखलित और विवादग्रस्त बना दिया था। इस सामाजिक पराभव को भारतीय नवोत्थान ने प्रभावित किया और प्रभाव सूत्र के रूप में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन तथा थियोसोफिकल सोसाइटी के नाम उल्लेखनीय है। ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज को जीवन के चतुर्दिक क्षेत्रों मे नवीनजीवन प्रदान किया। वस्तुतः ब्रह्म समाज के विविध क्रिया–कलापों ने समाज सुधार आन्दोलन और भारत की राष्ट्रीय नवजागृति, दोनों को ही, अत्यधिक बल प्रदान किया। सामाजिक क्षेत्र में आर्य समाज ने बाल विवाह, बहु–विवाह, पर्दा–प्रथा, जाति–प्रथा, सतीदृप्रथा, आदि कुरीतियों का विरोध किया।

शैक्षणिक क्षेत्र

भारतीय नवजागरण का प्रभावशाली स्वरूप शैक्षणिक क्षेत्र में था। पाश्चात्य शिक्षा तथा ज्ञान–विज्ञान के सम्पर्क से देश में बौद्धिक अनुसंधान की नवीन भावना का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में नवीन शिक्षा के प्रसार हेतु स्थापित शिक्षण संस्थाओं से उत्साहित होकर भारत में स्थित विभिन्न सामाजिक–धार्मिक संस्थाओं ने भी अपनी अपनी शिक्षण संस्थाएँ संचालित कर शिक्षा–प्रसार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयास किए। परिणामतः युवा–वर्ग में आत्मगौरव का सशक्त भाव जागृत हुआ।

आर्थिक क्षेत्र

ब्रिटिश दासता की बेड़ियों में जकड़े होने के फलस्वरूप भारत का आर्थिक पराभव हो गया, इस आर्थिक पराभव ने भी मूल रूप से भारत में आर्थिक पुनर्जागरण की नींव की स्थापना

की। परम्परागत व्यवसायों से हटकर व्यापार और वाणिज्य की प्रेरणा से भारतीयों ने कार्य किया। परिणामस्वरूप भारतीय समाज में जिस नये आर्थिक वर्ग का निर्माण हुआ उसने स्वतंत्रता पूर्व सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यों में आर्थिक सहायता देकर अपना योगदान दिया। इस प्रकार नये आर्थिक प्रतिमानों की रचना हुई तथा राष्ट्रीय जीवन को इन आर्थिक शक्तियों ने प्रभावित किया।

धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र

पुनर्जागरण की आंधी का प्रथम वेग इतना अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ कि भारतीय युवा वर्ग को अपने प्राचीन हिन्दु धर्म से अनास्था हो गई और वह ईसाईयत की ओर मुड़ने लगा। यह वातावरण धार्मिक आन्दोलनों के प्रारम्भ होने के बाद बदला। धार्मिक आन्दोलनों के परिणामस्वरूप हिन्दु धर्म की प्राणशक्ति को पुनः प्रदर्शित होने का अवसर प्राप्त हुआ।

आध्यात्मिकता का आवरण ओढ़े भारतीय संस्कृति भी इस पुनर्जागरण से प्रभावित हुई। आत्मानुभूति की प्रेरणा देने वाली भारतीय संस्कृति को अरविन्द ने अपनी नवीन व्याख्याओं से वंदनीय बनाया।

राजनीतिक क्षेत्र

नवोत्थान का प्रभाव मनुष्य और समाज के जीवन से सम्बन्धित प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ा। राजनीतिक क्षेत्र में पुनर्जागरण का स्पष्ट प्रभाव रहा हैं। भारत के लिए ब्रिटिश शासन के समान शासन संस्थाओं की मांग और स्थापना के पीछे प्रत्यक्षतः पुनर्जागरण की शक्तियों का ही प्रभाव था।? संसदीय और प्रजातंत्रीय संस्थाओं की स्थापना ने नये राजनीतिक विचारों को जन्म दिया। धीरे – धीरे पुनर्जागरण की भावना ने देश को राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र करा दिया। वस्तुतः बौद्धिक आन्दोलन के रूप में प्रारम्भ होकर भारतीय पुनर्जागरण अनेक धार्मिक–सामाजिक सुधारों का आधार बना और अन्त में इसने भारत के राजनीतिक आन्दोलन को जीवनदान करने में उल्लेखनीय मदद प्रदान की। भारतीय सांस्कृतिक नवोत्थान के भव्य भवन का निर्माण राम मोहन और दयानन्द, रामकृष्ण और विवेकानन्द, बंकिम और अरविन्द ने किया। भारतीय सांस्कृतिक नवोन्मेष की प्रथम सशक्त अभिव्यक्ति राजाराम मोहनराय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व में अभिव्यक्ति हुई । सांस्कृतिक नवोत्थान की प्रवृत्तियों ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के चिन्तन को पल्लवित एवं पुष्पित किया, जिसके प्रथम संस्थापक थे – राजा राममोहनराय

निष्कर्ष

सांस्कृतिक नवोत्थान ने सांस्कृतिक राष्ट्रीयता को जन्म दिया। भारत की राजनीतिक राष्ट्रीयता इसी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का विकसित रूप हैं।[15]

सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रज पुराधाओं ने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता, गौरवशाली अतीत की विरूदावली ओजस्वी भाषा में मुखरित की ओर सामाजिक धार्मिक सुधार आन्दोलन का उद्घाटन किया। सांस्कृतिक नवोन्मेष ने संसार की सत्यता में मनुष्य के विश्वास को बढ़ाया..... इसने भारत के विस्मृत इतिहास को जीवित रूप दिया, इस नवोत्थान से भारत का कायाकल्प हुआ।[16]

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. विश्वनाथनरवणे, आधुनिक भारतीय चिन्तन, (दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, 1966) पृ0 8
2. विश्वनाथनरवणे, उपर्युक्त – पृ0 8
3. इन साइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइन्सेज ,(खण्ड तेरहवॉ) (यूनाईटेड स्टेट्स, द मेकमिलन कम्पनी, 1934) पृ0 281
4. रामधारी सिंह दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय (पटना, उदयाचल–1962) पृ0 सं. 443
5. डॉ. वी.पी. वर्मा, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन आगरा, मैसर्स लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, चतुर्थ संपरिवर्धित संस्करण, 1989) पृ.सं. 2
6. डॉ. वी.पी. वर्मा, (पूर्ववर्णित), पृ.सं. 3
7. जदुनाथ सरकार, युगयुगीन भारत, (आगरा, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कंपनी, 1958) पृ.सं. 96
8. उपर्युक्त – पृ.सं. 100
9. डॉ. रामसिंह सोलंकी; विनायक दामोदर सावरकर, सामाजिक राज–चिन्तन एवं हिन्दूत्व अवधारणा, (नई दिल्ली : आशीष पब्लिशिंग हाउस) पृ.सं. 112
10. डॉ. रामधारीसिंह दिनकर, पूर्व वर्णित पृ.सं. 538–539
11. उपर्युक्त पृ0 538
12. उपर्युक्त पृ0 539
13. डॉ. लक्ष्मणसिंह ; आधुनिक भारतीय सामाजिक एंव राजनीतिक विचार (जयपुर कॉलेज बुक डिपो 1972–73), पृ.सं. 12
14. डॉ. रामधारी सिंह दिनकर ; (पूर्ववर्णित), पृ.सं.537–538
15. रामधारीसिंह दिनकर, पूर्ववर्णित पृ. 541
16. उपर्युक्त पृ0 540

❑❑❑

S SHARDA GLOBAL RESEARCH PUBLICATIONS

Reg. No. – SCA/2020/14/137251

Published by:
Sharda Modi
S Sharda Global Research Publications
Shop No. G-11, Ground Floor, Airport Plaza, Durgapura,
Tonk Road, Jaipur - 302018 (Raj.)
Phone No.: 0141-2710264 Mobile No.: 9828571010 / 9829321067
Email: sshardapublication@gmail.com

₹460/-

ISBN : 978-81-954790-6-1

Printed at:
Shilpi Computer and Printers
6/174, Malviya Nagar, Jaipur
Mobile No.: 92148 68868

Copyright © Publisher